पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस)

'भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों(एमएसएमई) में वित्तपोषण न्यूनीकरण और अनुकूलन परियोजनाएं (एफएमएपी)'

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश 3
1. परिचय: 7
2. सिडबी पृष्ठभूमि – अधिदेश और पोर्टफोलियो 10
3. स्क्रीनिंग और वर्गीकरण: 13
4. कार्यक्रम का संक्षिप्त अवलोकन 15
4.1 कार्यक्रम विकास रणनीति 15
5. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति - संक्षिप्त अवलोकन 16
5.1 सिडबी ईएसएमपी - शासन संरचना 17
5.2 एफएमएपी की संस्थागत संरचना: 18
6. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) 19
6.1 ईएसएमएस के उद्देश्य और सामान्य सिद्धांत 19
7. जीसीएफ का ईएसएमएस फ्रेमवर्क और सिडबी की संस्थागत क्षमताओं/ईएसएमपी के लिए इसकी मैपिंग 21
8. प्रमुख राष्ट्रीय विधान और विनियम 26
9. ई एंड एस जोखिम प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन 28
9.1 ई एंड एस जोखिमों की पहचान 30
9.1.1 MSME में शमन परियोजनाएं – MSME क्षेत्र के लिए E&S जोखिमों की पहचान और शमन। 34
9.1.2 एमएसएमई में अनुकूलन परियोजनाएं – एमएसएमई क्षेत्र के लिए ई एंड एस जोखिमों की पहचान और शमन 41
9.2 क्षेत्र और हस्तक्षेपों की आधारभूत जानकारी 64
9.3 पर्यावरण और सामाजिक कारण परिश्रम (ईएसडीडी) 64
9.4 ई एंड एस पर्यवेक्षण, निगरानी और रिपोर्टिंग 65
9.5 जागरूकता और क्षमता निर्माण 65
10. लागू प्रदर्शन मानकों (पीएस) का मानचित्रण 66
11. शिकायत निवारण तंत्र 72
11.1 सिडबी का 3-टियर जीआरएम 73
11.2 हितधारक जुड़ाव 74
11.3 ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए शिकायत निवारण 74
11.4 लिंग आधारित हिंसा और SEAH के लिए शिकायत निवारण 75
11.5 हितधारक परामर्श, शिकायतों का सार्वजनिक प्रकटीकरण 76

हाँ/नहीं/लागू नहीं 89
अनुलग्नक 1- पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति (ESMP) 91
हाँ/नहीं/लागू नहीं 104
अनुलग्नक 2: अस्वीकार्य सूची 107
अनुलग्नक 4: पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम चेकलिस्ट 110
हाँ/नहीं/लागू नहीं 111
अनुलग्नक 5: पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) अनुपालन शीट 115
अनुलग्नक 6: ईई उपायों और इसके लाभों का सारांश 117
अनुलग्नक 7: ईएसजी रेटिंग - पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ईएसजी) मापदंडों का आकलन 118
अनुलग्नक 8: ई एंड एस वार्षिक रिपोर्ट 4
परिभाषाएँ और संक्षिप्ताक्षर: 6
सलग्नक - 2 एसईएएच नीति 6
संलग्नक – 3 ग्राहक शिकायत निवारण नीति 7
संलग्नक- 4- सेक्टर स्तरीय बेसलाइन 1
संलग्नक -5 ईएसजी रेटिंग टूल पैरामीटर: 12
संलग्नक- 6 स्वदेशी लोगों की रूपरेखा 24
संलग्नक-7 EV क्षेत्र के लिए बैटरी उपयोग, रखरखाव और निपटान 28
संलग्नक- 8 पुनर्वास कार्य योजना 32

इस मुख्य दस्तावेज़ के साथ अन्य अनुलग्नक:

अनुलग्नक 2: SEAH नीति

अनुलग्नक 3: सिडबी शिकायत निवारण नीति

अनुलग्नक 4: सेक्टर स्तर आधार रेखा (Excel)

अनुलग्नक 5: ईएसजी उपकरण पैरामीटर (ईएसजी रेटिंग टूल का विवरण यानी अनुलग्नक 7)

अनुलग्नक 6: स्वदेशी लोग फ्रेमवर्क

संलग्नक 7: EV बॅटरी मँगमेंट सिस्टम

अनुलग्नक 8: पुनर्वास कार्य योजना- ग्रीनफील्ड परियोजनाएं

कार्यकारी सारांश

भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है, जिसमें जल तनाव, गर्मी की लहरें और सूखा, गंभीर तूफान और बाढ़, और स्वास्थ्य और आजीविका से संबद्ध नकारात्मक परिणाम शामिल हैं। बीसवीं शताब्दी के मध्य से, भारत ने औसत तापमान में वृद्धि; मानसून वर्षा में कमी; अत्यधिक तापमान और वर्षा की घटनाएं, सूखे और समुद्र के स्तर में वृद्धि; और मानसून प्रणाली में अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ गंभीर चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि देखी है । इस बात के अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि क्षेत्रीय जलवायु में ये परिवर्तन मानवीय गतिविधियों के कारण हुए हैं।

यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार, देश का उद्देश्य है:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी के रूप में 'लाइफ'- 'लाइफटाइम फॉर एनवायरनमेंट' के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम से संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने के तरीके को आगे बढ़ाना और प्रचारित करना।
- आर्थिक विकास के तदनुरूपी स्तर पर अन्य लोगों द्वारा अब तक अपनाए जा रहे मार्ग की तुलना में जलवायु अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना।
- 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त, हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) सहित, की मदद से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समकक्ष अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन करना।
- संसाधन की आवश्यकता और संसाधन अंतर को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त शमन और अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिए विकसित देशों से घरेल तथा नया एवं अतिरिक्त धन जुटाना।
- क्षमताओं का निर्माण करना, भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी का तेजी से विस्तार करने के लिए और ऐसी भावी प्रौद्योगिकियों के प्रति संयुक्त सहयोगी अनुसंधान एवं विकास(आरएंडडी) करने हेतु घरेलू ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय स्थापत्यकला(आर्किटेक्चर) का निर्माण करना।

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर यूनाईटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 26) के 26वें सत्र में विकासशील देशों की चिंताओं को स्पष्ट किया है और उनके समक्ष रखा है। इसके अलावा, भारत ने भारत की जलवायु कार्रवाई के निम्नलिखित पाँच अमृत तत्व (पंचामृत) प्रस्तुत किए:

i 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना।

ii 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना।
iii अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी।
iv 2005 के स्तर पर 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी।
v 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।

भारत की प्रतिबद्धता में 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त, हरित जलवायु निधि(जीसीएफ)सहित, की मदद से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शामिल है।

यह देखते हुए कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अत: लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका है। इस प्रकार,एमएसएमई की ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और विकार्बनन(डीकार्बोनाइजेशन) को प्राप्त करना इस क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से काफी फायदेमंद है, जिससे यह बाहरी आघातों के प्रति और ज्यादा अनुकूल बन जाएगा।

स्वच्छतर और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त स्रोतों को जुटाने की आवश्यकता होगी। एक विकासशील देश के रूप में, भारत को यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विकासशील देश पक्षकारों की सहायता करने हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए विकसित राष्ट्रों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

इस संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने से चिह्नित किए गए उच्च ऊर्जा गहन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव में काफी सुधार हो सकता है, साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है और सरकारी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त किया जा सकता है। सिडबी ने इस कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) से वित्तीय सहायता मांगी है। इसके बाद इस निधि(फंड) का उपयोग एमएसएमई को न्यूनीकरण और अनुकूलन उप-परियोजनाओं के जरिए चिह्नित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ऋण और अप्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से वित्त प्रदान करने हेतु रियायती ऋण के रूप में किया जाएगा।

देश के हरित संकल्प के अनुरूप, सिडबी वित्तीय और गैर-वित्तीय जुड़ाव के माध्यम से पारितंत्र के हरितीकरण पर काम कर रहा है। एमएसएमई को दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता होने के नाते इस हरित मिशन में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता है। आगे चलकर, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे इनके(एमएसएमई) मार्जिन और व्यवसाय विकास को प्रभावित करेंगे।

सिडबी के पास 2005 से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को लागू करने का अनुभव है और उसने बहुपक्षीय और द्विपक्षीय से विभिन्न ऋण-व्यवस्था(लाइन ऑफ क्रेडिट) प्राप्त किए हैं, एफएमएपी की अवधारणा इन परियोजनाओं को लागू करने से प्राप्त अनुभव के आधार पर की गई है। इस क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और एमएसएमई के लिए स्थिरता रिपोर्टिंग के अवसरों का आकलन करते हुए, सिडबी ने सिडबी-डीएंडबी सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स (एसपीईएक्स) बनाने के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डी एंड बी) के साथ साझेदारी की है। सूचकांक का उद्देश्य स्थिरता के प्रति एमएसएमई (बड़े पैमाने पर एमएसएमई

क्लस्टर केंद्रित) की समझ और तैयारियों का आकलन करना है। अभिप्राय: यह है कि इसे संघों, नीति निर्माताओं और समर्थकों के लिए मात्रात्मक माप के रूप में प्रस्तुत करना है ताकि व्यवसायों को उनकी व्यावसायिक रणनीति में ईएसजी ढांचे को अपनाने की दिशा में प्रेरित किया जा सके।

सिडबी के एसपीईएक्स (अक्टूबर-दिसंबर 2023 संस्करण) ने एक डिजिटल प्रश्नावली के माध्यम से पूरे भारत में 250+ एमएसएमई का सर्वेक्षण किया, जिसमें उनकी धारणा, समझ और धारणीय प्रथाओं/उपायों के कार्यान्वयन को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न शामिल किए गए थे। पिछली रिपोर्ट की मुख्य खोज यह थी कि एमएसएमई स्थिरता उपायों को लागू करने के इच्छुक हैं,किंतु अभी भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा और विशेषज्ञता की कमी है। एफएमएपी संकेंद्रित प्रेरणादायक और तकनीकी विशेषज्ञता सहायता के ज़रिए प्रमुख चुनौतियों का समाधान करेगा।
कार्यक्रम के पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए, एसपीईएक्स के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के साथ सर्वेक्षण किए गए, समूहों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, हितधारक परामर्श अर्थात् "हरित भारतीय वित्त प्रणाली (जीआईएफएस)' – महिलाओं की पहल द्वारा वित्त की हरितीकरण(ग्रो) के बैनर तले "हरित वित्तपोषण एवं मुख्यधारा के लोगों (जेंडर) का सुदृढ़ीकरण'' का आयोजन किया गया, इसी तरह के पहले से चल रहे हस्तक्षेपों के ईएसएमएफ, पीआरएसएफ, आदि की समीक्षा की गई। इस साहित्य समीक्षा में भारत सरकार, जीसीएफ और विश्व बैंक की वर्तमान नीतियों, कानूनों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं तथा पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की परिचालन नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को भारत सरकार की नीतियों, अधिनियमों, नियमों और परियोजना/कार्यक्रम वित्तपोषण के हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का उल्लेख करते हुए तैयार किया गया है। परियोजना के विकास चरण को देखते हुए, इस स्तर पर उप-परियोजनाओं की सही स्थिति, आकार और सीमा की अभी जानकारी नहीं है और इसका आकलन कार्यान्वयन चरण के दौरान किया जाएगा। अत:, ईएसएमएस को उप-परियोजना स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की स्क्रीनिंग और आकलन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है।

इस दस्तावेज के लिए मौजूदा राष्ट्रीय नीतियों और विधानों, पर्यावरण, सामाजिक और ऊर्जा दक्षता के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के साथ-साथ मान्यता प्राप्त इकाई(सिडबी) के ईएसएमपी और जीसीएफ की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीतियों की समीक्षा की गई थी। विशेष रूप से, ईएसएमएस को आईएफसी के कार्य-निष्पादन मानकों के अनुरूप बनाया गया है। वायु *(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एमओईएफसीसी, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिन क्षेत्रों को सहायता दी जानी है, उन्हें 'रेड' या 'ऑरेंज या 'ग्रीन' या 'व्हाइट' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है*। कार्यक्रम की गतिविधियों से संबंधित संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिम और प्रभाव आमतौर पर व्यक्तिगत या संचयी रूप से साइट-विशिष्ट, काफी हद तक प्रतिवर्ती होते हैं, और जो पर्याप्त नीति कार्यान्वयन और कार्यस्थल मानकों के माध्यम से आसानी से हल किए जाते हैं। एमएसएमई को इस प्रकार, जीसीएफ जोखिम श्रेणियों के तहत श्रेणी 'बी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, कार्यक्रम को मध्यस्थता के मध्यम स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, या जीसीएफ दिशानिर्देशों के अनुसार I2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि इनकी निवेश प्रक्रिया में वित्तीय मध्यस्थता शामिल होगी। **आईएफसी के पीएस के अनुसार, परियोजना को पीएस1-**

5 के साथ संरेखित किया जाएगा; पीएस 5-8 इस विशेष परियोजना गतिविधियों के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वदेशी लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर प्रत्यक्ष प्रभाव शामिल नहीं है।

इसमें भाग लेने वाले वित्तीय संस्थान और सिडबी यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम उधारकर्ता संबंधित सरकारी नियमों (कानूनों, मानदंडों, अधिनियमों, आदि) और जीसीएफ परिचालन नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न संबंधित हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, विभिन्न कमजोर समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने और अनुकूलन निधि के माध्यम से लिंग समावेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ईएसएमएस मुख्य रूप से पर्यावरणीय मुद्दों (ऊर्जा खपत, हवा, पानी, अपशिष्ट प्रबंधन आदि) और सामाजिक मुद्दों (श्रम और काम करने की स्थिति, लिंग, जाति और धर्म के बावजूद समान अवसर, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य,बचाव और सुरक्षा, यौन उत्पीड़न और संघर्ष) पर परियोजना गतिविधियों के संभावित प्रभावों को रेखांखित करता/प्रकाश डालता है। इसके अलावा, ईएसएमएस में एक समुचित सावधानी प्रक्रिया, कार्यक्रम-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) और कार्यक्रम-स्तरीय हितधारक संलग्नता योजना (एसईपी) भी है।

ईएसएमएस (अनुपालन की निगरानी सहित) के तहत दी गई शर्तों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी करने के लिए, एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था भी मौजूद है। प्रत्येक उप-परियोजना में गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना शामिल होगी। परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) उप-परियोजना स्तर पर ईएसएमएस की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी। वित्तीय मध्यस्थ स्क्रीनिंग रिपोर्ट, आवधिक निगरानी रिपोर्ट, हितधारक संलग्नता रिपोर्ट एकत्र करेंगे और अंतिम उधारकर्ता ईएस कार्य-निष्पादन की निगरानी करेंगे और एई को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एई द्वारा समीक्षा के बाद अंतिम रिपोर्ट जीसीएफ और एई की वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएगी। स्थानीय हितधारकों की सुविधा के लिए ईएसएमएस रिपोर्टों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा और अंग्रेजी संस्करणों(वर्जन) को सिडबी और जीसीएफ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

1. परिचय:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आर्थिक विकास के इंजन हैं, और वे समान विकास प्राप्त करने के साधन हैं। भारत में, 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं जो 111 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं[1]। भारत की कुल जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हुए, एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण सकल मूल्य उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण की हिस्सेदारी 36.2% थी[2]। अखिल भारतीय निर्यात में विनिर्दिष्ट एमएसएमई संबंधित उत्पादों के निर्यात का हिस्सा 2022-23 43.6% था[3]। सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार में इसके योगदान की दृष्टि से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एसएमई का महत्वपूर्ण प्रभाव है।

तथापि, इन इकाइयों को अकुशल प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के कारण उच्च उत्पादन लागत सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र भारत में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा का लगभग 25% उपभोग करता है[4]। जीएचजी उत्सर्जन ऊर्जा खपत के समानुपाती होने की उम्मीद है। 2012-13 से 2019-20 तक इस क्षेत्र में रुझान विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ऊर्जा खपत (थर्मल और इलेक्ट्रिकल) में वर्ष दर वर्ष 6.8% वर्ष की वृद्धि देखी गई है।

इकाई स्तर पर, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने ऊर्जा लागत को उत्पादन लागत (30% तक) का एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया है। यह एमएसएमई को उत्पादन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने का अवसर प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप एक कुशल उत्पादन प्रणाली और कई अन्य लाभ मिलते हैं। ऊर्जा की खपत को कम करने या स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति का विकल्प चुनने से लागत कम होती है और लाभप्रदता बढ़ती है। इसके साथ-साथ इससे कंपनी की छवि भी बढ़ती है। ऊर्जा दक्षता द्वारा संचालित स्थायी प्रथाओं को अपनाने के संभावित लाभ नीचे दिए गए आंकड़े में दिए गए हैं:

[1] https://www.ibef.org/blogs/msme-sector-imperative-to-lift-indian-economy
[2] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946375
[3] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946375#:~:text=As%20per%20the%20information%20received,45.0%25%20and%2043.6%25%20respectively।
[4] भारत में MSME क्षेत्र में उत्सर्जन में कमी को सक्षम करना, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने वाले न्यूनीकरण उपायों के अलावा, अनुकूलन उपायों को भी विशेष रूप से बाढ़, चक्रवात और भूजल की बिगड़ती गुणवत्ता और पानी की कमी के कारण आवश्यक पानी और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण जैसी चरम मौसम की घटनाओं में भी लक्षित किया जाएगा। डिस्चार्ज से पहले केवल 30% अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है और केवल थोड़ी मात्रा का पुन: उपयोग किया जाता है, भारत के पास उन परियोजनाओं को भुनाने का एक विशाल अवसर है जो अपशिष्ट जल को रीसाइक्लिंग और पुन: उपयोग के लिए उपचारित करते हैं। व्यापक जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग पीने योग्य और गैर-पीने योग्य मांग दोनों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक विश्वसनीय, दीर्घकालिक जल आपूर्ति स्रोत प्रदान करता है। पानी का पुन: उपयोग करके, भारत समस्त उपलब्ध पानी से प्राप्त हुई उपयोगिता में काफी वृद्धि कर सकते हैं और आपूर्ति-मांग के अंतर को पाटने में मदद कर सकता हैं[5]।

स्थायी प्रथाओं को आगे बढ़ाने के कई लाभों के बावजूद, एमएसएमई उत्पादन बढ़ाने वाले उपायों में निवेश करना पसंद करते हैं। तीव्र प्रतिस्पर्धा और घटते मुनाफे के कारण ऊर्जा दक्षता को अब लागत में कमी लाने के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। वित्त तक पहुंच, सीमित तकनीकी ज्ञान, कुशल मानव शक्ति की कमी आदि भी बाधाओं के रूप में उद्धृत किया गया है। अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय एमएसएमई में पर्यावरण और ऊर्जा सर्वोत्तम प्रथाएं मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों (एफआई) से प्रतिस्पर्धी दरों पर व्यापार के अनुकूल, समय पर और पर्याप्त वित्त नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ सकीं हैं[6]। ये एमएसएमई जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, बफर व्यवधानों के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन या नई तत्काल चुनौतियों पर प्रतिक्रिया और सीमित तकनीकी ज्ञान इस प्रकार व्यापार निरंतरता को प्रभावित करते हैं।

प्रस्तावित कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निवेश के अवसरों का लाभ हेतु वित्तीय और बाजार संसाधनों के साथ चह्नीत कि गए क्षेत्रों में एमएसएमई की सहायता करके इन प्रमुख बाधाओं को दूर करना है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, सिडबी ने ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। जीसीएफ से रियायती ऋण की सहायता के साथ सिडबी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के माध्यम से एमएसएमई को ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय आदि और उपकरणों को अपनाने के लिए ऋण प्रदान करेगा।

पिछले अनुभव के आधार पर, इस स्तर पर संकेतक क्षेत्रों की पहचान की गई है, उप-परियोजनाओं का वास्तविक स्थल(लोकेशन), आकार और सीमा की इस स्तर पर जानकारी नहीं है, और उप-परियोजनाओं के विवरणों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन चरण के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रकार, उप-परियोजना स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक मामलों की स्क्रीनिंग और आकलन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) विकसित की गई है। ईएसएमएस आगे प्रासंगिक नीतियों, दिशानिर्देशों, प्रथा कोड(कोड ऑफ प्रेक्टिस), और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है जिन्हें परियोजना डिजाइन में पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के एकीकरण के लिए ध्यान में रखा जाना है। सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करने और इस ईएसएमएस में निर्धारित संभाव्य पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की जांचसूची (चेकलिस्ट) का उपयोग कर भाग लेने वाले(पार्टिसिपेटिंग) वित्तीय संस्थानों/अंतिम-उधारकर्ताओं/इकाइयों को जीसीएफ सुरक्षा नीतियों और संबंधित सरकारी

[5] http://social.niti.gov.in/uploads/sample/water_index_report2.pdf
[6] विश्व बैंक 'एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण' (FEEM)

नीतियों और संबंधित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

यह ईएसएमएस अपेक्षित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और निगरानी में सहायता करने के लिए नियोजित किए जाने वाले किसी पर्यावरणीय और/या सामाजिक सुरक्षा परामर्शदाता/विशेषज्ञ/गतिविधियों के विचारार्थ विषय (टीओआर) तैयार करने के लिए दिशानिर्देश के रूप में भी कार्य करेगा। इसलिए, ईएसएमएस का उपयोग जीसीएफ परियोजनाओं के तहत परिकल्पित गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए टेम्पलेट और दिशानिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. सिडबी पृष्ठभूमि – अधिदेश और पोर्टफोलियो

भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा 2 अप्रैल, 1990 को स्थापित सिडबी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। 1990 से संसद के अधिनियम ने सिडबी की स्थापना को अधिकृत किया। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने, वित्तपोषण और विकसित करने के साथ-साथ संबंधित गतिविधियों में शामिल कई संस्थानों के संचालन के समन्वय का तीन लक्ष्य सिडबी द्वारा प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी क्षमता में किया जाना है।

एमएसएमई को भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 1985 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। किसी उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

उद्यम श्रेणी	संयंत्र और मशीनरी / उपकरण और कारोबार में निवेश के आधार पर मानदंड
सूक्ष्म	रु 1 करोड़ (यूएस डालर 125,000) तक का निवेश और रु 5 करोड़ (यूएस डालर 625,000) तक का टर्नओवर
लघु	रु 10 करोड़ (यूएस डालर 1.25 मिलियन) तक का निवेश और रु 50 करोड़ (यूएस डालर 6.25 मिलियन) तक का टर्नओवर
मध्यम	रु 50 करोड़ (यूएस डालर 6.25 मिलियन) तक का निवेश और रु 250 करोड़ (यूएस डालर 31.25 मिलियन) तक का टर्नओवर

सिडबी का मिशन एमएसएमई को ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और सुदृढ़ करना है और एमएसएमई पारितन्त्र(इको-सिस्टम) में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों का समाधान करना है। यह विजन एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में उभरना है, ताकि इसे मजबूत, जीवंत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, सिडबी को पसंदीदा और ग्राहक अनुकूल संस्थान के रूप में स्थापित किया जा सके, शेयरधारक धन में वृद्धि हो सके और आधुनिक प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से उच्चतम कॉर्पोरेट मूल्यों को पूरा किया जा सके। यह निम्नलिखित के माध्यम से अपने अधिदेश को निष्पादित करता है:

1. <u>अप्रत्यक्ष ऋण</u>- एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में गुणक प्रभाव/बड़ी पहुंच के आधार पर और बैंकों, लघु वित्त बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई और नए युग के फिनटेक के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

2. <u>प्रत्यक्ष ऋण</u>- इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में मौजूदा ऋण अंतराल को भरना है और यह प्रदर्शनात्मक और नवोन्मेषी ऋण उत्पादों के ज़रिए प्रदान किया जाता है, जिसे क्रेडिट वितरण पारितंत्र द्वारा और आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. <u>फंड ऑफ</u> फंड्स- फंड ऑफ फंड्स चैनल के माध्यम से उभरते स्टार्टअप को सहायता प्रदान करके उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है।
4. <u>संवर्धन और विकास</u>- क्रेडिट-प्लस पहल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना और नवोदित उद्यमियों को संभालना।
5. <u>फैसिलिटेटर</u>- सरकार की एमएसएमई उन्मुख योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी जैसी भूमिकाओं के माध्यम से एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाना।

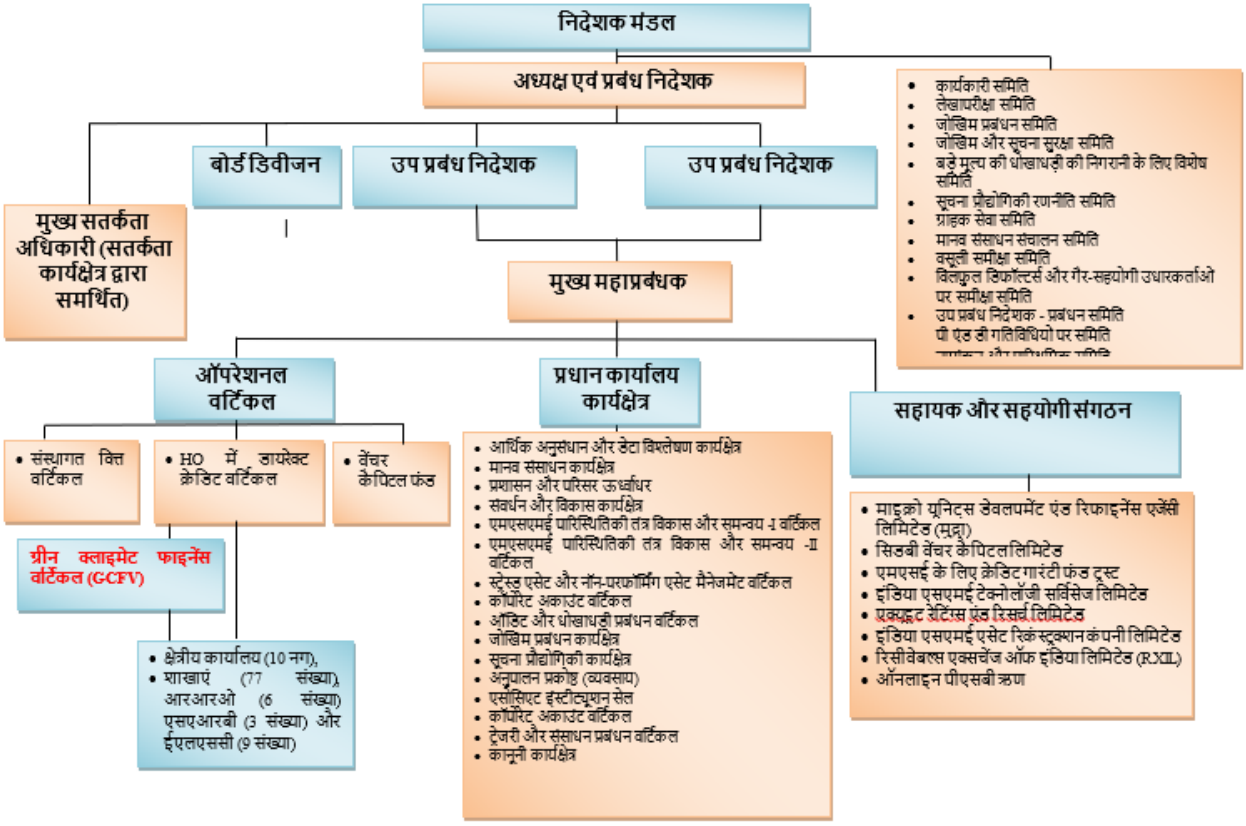

आकृति 1: सिडबी का संगठनात्मक चार्ट

एक जिम्मेदार वित्तपोषक के रूप में, सिडबी ने प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक कानूनों/मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संस्थागत प्रक्रियाओं को अपनाया है। इसके अंतर्गत, सिडबी ने :

- एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति (ईएसएमपी) को अपनाया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि इसकी पहल पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को कम करने पर केन्द्रित है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) को अपनाया है।

- अपने ग्राहकों को त्वरित और कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक शिकायत निवारण नीति अपनाई गई है।

उपरोक्त सभी इस दस्तावेज़ के अंत में क्रमशः **अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 और 3** में संलग्न किए गए/रखे गए हैं।

3. स्क्रीनिंग और वर्गीकरण:

यह खंड प्रत्येक उप-परियोजना के लिए प्रमुख जोखिमों के आकलन की रूपरेखा तैयार करता है जिसे एफएमएपी के तहत वित्तपोषित किए जाने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उप-परियोजनाओं को श्रेणी ख अथवा जीसीएफ से नीचे की श्रेणी में लाने की परिकल्पना की गई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित सभी परियोजनाएं स्क्रीनिंग, यथोचित परिश्रम, संबद्ध पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों आदि के लिए तंत्र का पालन करेंगी, जैसा कि ईएसएमएस की धारा 9 में बताया गया है।

उप-परियोजनाओं की स्क्रीनिंग के लिए दो प्रारंभिक चरण निम्नानुसार हैं:

चरण संख्या	स्क्रीनिंग प्रकार	स्तर	जिम्मेदार व्यक्ति
1	श्रेणी ए/आई 1 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग के लिए बहिष्करण सूची और ईएसडीडी जांच सूची के आधार पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग।	शाखा स्तर पर	प्रसंस्करण अधिकारी
2	ईएसजी रेटिंग टूल के आधार पर परियोजनाओं की स्क्रीनिंग	पीएमयू/बीओ स्तर पर	ईएसएस विशेषज्ञ

चरण 1**: श्रेणी A/I1 परियोजनाओं को स्क्रीन आउट करने के लिए बहिष्करण सूची और ESDD चेक सूची के आधार पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग।**

जीसीएफ द्वारा समर्थित गतिविधियों की पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम श्रेणियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

कैटेगरी A	**संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय और / या सामाजिक जोखिमों और प्रभावों वाली गतिविधियां, जो व्यक्तिगत या संचयी रूप से, विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हैं;**
कैटेगरी B	संभावित सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिमों और प्रभावों वाली गतिविधियाँ, जो व्यक्तिगत रूप से या संचयी रूप से, कुछ, आमतौर पर साइट-विशिष्ट, काफी हद तक प्रतिवर्ती, और शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संबोधित की जाती हैं; और
कैटेगरी C	न्यूनतम या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय और / या सामाजिक जोखिम और / या प्रभावों के साथ गतिविधियाँ।

- *मध्यस्थता का उच्च स्तर, या।1, जब किसी मध्यस्थ के मौजूदा या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में श्रेणी ए गतिविधियों के लिए वित्तीय जोखिम शामिल होता है, या शामिल होने की उम्मीद होती है;*

- *मध्यस्थता का मध्यम स्तर, या।2, जब किसी मध्यस्थ के मौजूदा या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में श्रेणी B गतिविधियों के लिए वित्तीय जोखिम शामिल होता है, या शामिल होने की उम्मीद होती है; और*

- *मध्यस्थता का निम्न स्तर, ।3, जब एक मध्यस्थ के मौजूदा या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में श्रेणी C गतिविधियों के लिए वित्तीय जोखिम शामिल होता है।*

स्क्रीनिंग का पहला स्तर जो बहिष्करण सूची (अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न) और अनुलग्नक 4 में दी गई ईएसडीडी चेकलिस्ट पर आधारित होगा, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी प्रस्ताव कैट के अंतर्गत नहीं आता है। जीसीएफ की ए/आई-1 गतिविधियां। कैट के बहिष्कार से संबंधित प्रारंभिक जांच। A/I1 में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- परियोजना परिव्यय (यदि प्रति परियोजना 60 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है)
- क्या संभावित प्रभाव (पर्यावरण और / या सामाजिक जोखिम) विविध, अपरिवर्तनीय हैं, या अभूतपूर्व
- क्या परियोजना के प्रभाव को पर्याप्त नीति कार्यान्वयन और कार्यस्थल मानकों और उपयुक्त मानदंडों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा?

कार्यक्रम की गतिविधियों से संबंधित संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और/या सामाजिक जोखिम और प्रभाव व्यक्तिगत या संचयी रूप से आम तौर पर साइट-विशिष्ट, काफी हद तक प्रतिवर्ती होते हैं, और पर्याप्त नीति कार्यान्वयन और कार्यस्थल मानकों के माध्यम से आसानी से संबोधित किए जाते हैं।

इसके अलावा, ऐसी उप-परियोजनाएं निम्नलिखित में से किसी को भी ट्रिगर नहीं करेंगी;

- बड़े भौगोलिक पैमाने
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा
- मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र और महत्वपूर्ण आवासों में स्थित है
- स्वदेशी लोगों के अधिकारों, संसाधनों और भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव डालना;

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर, यदि परियोजना श्रेणी कैट के मूल्यांकन सहित अपवर्जन सूची में पाई जाती है, तो उसे बाहर रखा जाएगा। जीसीएफ के ए/आई-1 के मामले में, तो परियोजना की जांच की जाएगी और वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

चरण 2: ईएसजी रेटिंग टूल के आधार पर परियोजनाओं की स्क्रीनिंग

स्क्रीनिंग का दूसरा स्तर ईएसजी रेटिंग टूल (अनुलग्नक 7 के रूप में संलग्न) के माध्यम से किया जाएगा। सिडबी का ईएसजी रेटिंग टूल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े पर्यावरण, सामाजिक और शासन जोखिमों को मापने और उनका आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक ढांचा है और प्रत्येक उप-परियोजना के लिए रेटिंग उत्पन्न करेगा। इसका प्राथमिक लक्ष्य वित्तपोषण निर्णय लेने से पहले गैर-वित्तीय (ईएसजी) मापदंडों के लेंस में प्रत्येक एमएसएमई प्रस्ताव की जांच की सुविधा प्रदान करना है।

4. कार्यक्रम का संक्षिप्त अवलोकन

4.1 कार्यक्रम विकास रणनीति

कार्यक्रम की परिकल्पना शुरू से अंत तक तकनीकी सहायता के साथ-साथ विभिन्न वसूली योग्य शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई को वित्त प्रदान करके पिछले अनुभवों से सीखने पर निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। रियायती ऋण मांग सृजित करने और भारत में कम कार्बन प्रौद्योगिकी बाजार के विकास का समर्थन करने के लिए है, जो अभी भी एमएसएमई क्षेत्र में प्रचलित नहीं है।

इसके अलावा, इस प्रस्ताव को विकसित करने के एक हिस्से के रूप में, एमएसएमई, फाइनेंसरों, थिंकटैंक, सरकार, विभिन्न उद्योगों और मूल्य श्रृंखलाओं में कॉरपोरेट्स के साथ कई हितधारक परामर्श आयोजित किए गए। **इन विचार-विमर्शों का सारांश स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट प्लान शीर्षक वाले अनुबंध में दिया गया है।**

- प्रस्तावित कार्यक्रम एमएसएमई में 13 क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु परिवर्तन शमन परियोजनाओं **पर ध्यान केंद्रित करेगा** जैसे कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य रूप से सौर रूफटॉप परियोजनाएं, नई और अभिनव प्रौद्योगिकियां। मांग पक्ष में निवेश ध्वनि आर्थिक समझ में आएगा क्योंकि ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को आमतौर पर आपूर्ति-पक्ष विद्युत शक्ति क्षमता वृद्धि की तुलना में कम पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है।

- अनुकूलन परियोजनाओं **के तहत लक्षित प्रौद्योगिकियां** मौसम पूर्वानुमान और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात/सुनामी/बाढ़ के साथ-साथ भूकंप/चरम मौसम की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली होंगी। जलवायु स्मार्ट परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली और जल कुशल और रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं जैसे शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी), बहिस्त्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी), रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र, आदि।

इस कार्यक्रम के लिए, सिडबी "कार्यकारी इकाई" और "मान्यता प्राप्त इकाई" की दोहरी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख हितधारकों में उद्योग संघ (व्यवसाय प्रबंधन संगठन), एमएसएमई इकाइयां, प्रौद्योगिकी प्रदाता, मूल उपकरण निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ / सलाहकार, पीएफआई आदि शामिल होंगे। सिडबी के हस्तक्षेप से एमएसएमई को यह हासिल करने में मदद मिलेगी:

- संसाधनों के बेहतर उत्पादक उपयोग के माध्यम से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन
- संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण पर उद्योग के प्रभाव को कम करके पर्यावरण संरक्षण।
- रोजगार प्रदान करके और श्रमिकों और स्थानीय समुदायों की भलाई की रक्षा करके सामाजिक वृद्धि।

5. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति - संक्षिप्त अवलोकन

सिडबी ने 2021 में एक पर्यावरण और सामाजिक नीति (ईएसएमपी) तैयार की और अपनाई और इसे अनुलग्नक 1 में रखा गया है। सिडबी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (पहले भारत में लघु उद्योगों (एसएसआई) के रूप में वर्गीकृत) के प्रचार, वित्त और विकास की जिम्मेदारी वाला शीर्ष संस्थान है, जो सभी छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अतीत और भविष्य में सिडबी की पहलों का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देकर पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को कम करना है:

- लागू भारतीय पर्यावरण और श्रम विधानों का अनुपालन
- क्लीनर उत्पादन के तरीके
- ऊर्जा और पानी की बचत के तरीके
- उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग
- बाल श्रम और जबरन मजदूरी का कोई उपयोग नहीं

सिडबी का ईएसएमपी विभिन्न जोखिमों जैसे क्रेडिट, कानूनी, प्रतिष्ठित जोखिम आदि का प्रबंधन करता है जो सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से उत्पन्न हो सकते हैं। सिडबी की ई एंड एस नीति के उद्देश्य हैं:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता में योगदान देने वाले भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करना।
- प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक नीतियों, कानूनों और भारत सरकार के नियमों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों / दाताओं के ई एंड एस सुरक्षा उपायों का पालन करना।
- सिडबी द्वारा या इसके वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से सीधे सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों/जोखिमों से बचना, कम करना और कम करना।
- सिडबी और इसके वित्तीय मध्यस्थों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान ई एंड एस अनुपालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और तंत्र प्रदान करना।

वर्तमान में इस नीति की प्रयोज्यता निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों तक सीमित है:

1. जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी प्रस्ताव और कार्यक्रम जीसीएफ से वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किए जाते हैं।
2. एमएसएमई को अपनी सीधी सहायता के तहत सिडबी द्वारा 300 मिलियन रुपये से अधिक के ऋण आकार के साथ परियोजना प्रस्ताव और कार्यक्रम।
3. **विभिन्न हरित उत्पादों के तहत बैंकों/एनबीएफसी/एमएफआई आदि को अप्रत्यक्ष ऋण (जैसा लागू हो) सहित एमएसएमई को अपनी सीधी सहायता के तहत सिडबी द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी हरित ऋण, जिनमें द्विपक्षीय/बहुपक्षीय भागीदारों (जीसीएफ, केएफडब्ल्यू, एएफडी, एडीबी, विश्व बैंक, आदि सहित) से ऋण श्रृंखला के माध्यम से समर्थित प्रस्ताव शामिल हैं।**
4. 5000 मिलियन रुपये से अधिक के ऋण आकार के साथ सिडबी की वित्तीय मध्यस्थों/कार्यान्वयन संस्थाओं से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी परियोजना प्रस्ताव।
5. यह नीति सामान्यत उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की जाएगी जिनमें इसके प्रभावों के आधार पर पुनवत्त सहायता दी जाती है।

नीति नौ पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानक (पीएस) प्रदान करती है जो उधारकर्ता या लाभार्थी और परियोजना पूरे परियोजना जीवन चक्र के दौरान अनुपालन करेगी। **सिडबी के पीएस विश्व बैंक, आईएफसी और जीसीएफ के पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानकों के अनुरूप हैं। इन निजी क्षेत्र का अनुसरण सिडबी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए किया जाता है ताकि उनसे जुड़े जोखिमों का आकलन किया जा सके, जोखिमों को समयबद्ध तरीके से कम किया जा सके और प्रतिकूल ई एंड एस प्रभावों के बिना परियोजनाओं का प्रबंधन किया जा सके।**

ईएसएमपी जोखिमों को भी वर्गीकृत करता है और ई एंड एस जोखिम के खिलाफ परियोजनाओं को स्क्रीन करने के लिए एक प्रक्रिया देता है। कार्यक्रम के लिए लागू पीएस और ईएसएमपी के अनुसार ई एंड एस जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया इस दस्तावेज़ के बाद के खंडों में साझा की गई है।

5.1 सिडबी ईएसएमपी - शासन संरचना

सिडबी में ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस वर्टिकल (जीसीएफवी) ईएसएमएस के संस्थागत स्तर के कार्यान्वयन, सिडबी के विभिन्न कार्यों में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं का समन्वय और मुख्यधारा में लाने और इसके कार्यान्वयन पर सिडबी प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टिंग का समन्वय करता है।

सिडबी में जीसीएफवी का नेतृत्व सिडबी की गतिविधियों में ई एंड एस पहलुओं को लागू करने की समग्र जिम्मेदारी के साथ एक मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) द्वारा किया जाता है। सीजीएम जीसीएफवी को महाप्रबंधक (जीएम), उप महाप्रबंधक (डीजीएम), सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) और प्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों के साथ-साथ क्षेत्रीय विशेषज्ञों द्वारा समर्थित किया जाता है।

ई एंड एस आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए निम्नलिखित संरचना प्रस्तावित है:

1. ई एंड एस प्रबंधक - पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय सहित ई एंड एस संबंधित मामलों का समग्र प्रबंधन।
2. ई एंड एस अधिकारी - पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय सहित ई एंड एस आवश्यकताओं और संबंधित पहलुओं के अनुपालन से संबंधित समग्र परिचालन स्तर की गतिविधियां।

ई एंड एस प्रबंधक और ई एंड एस अधिकारी के व्यापक कार्यों में शामिल होंगे:

1. पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में कार्यक्रम हितधारकों के लिए जागरूकता पैदा करना और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करना,
2. यह सुनिश्चित करना कि परियोजना का कार्यान्वयन नियामक आवश्यकताओं के अनुसार और इस तरह से है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है।
3. कार्यक्रम हितधारकों द्वारा कार्यक्रम गतिविधियों के लिए पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं के कार्यान्वयन पर निगरानी और रिपोर्टिंग।
4. कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वयन के सभी चरणों में ईएसएमएस के कार्यान्वयन के लिए भाग लेने वाले वित्तीय मध्यस्थों के साथ जुड़ना।
5. ईएसएमएस के हिस्से के रूप में श्रम प्रबंधन प्रक्रियाओं (एलएमपी) और नीतियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना
6. परियोजना के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करें।

7. संबंधित सिडबी कर्मचारियों के साथ-साथ पीएफआई और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए ई एंड एस क्षमता निर्माण सहायता का समन्वय करना।

ऐसे व्यक्ति की पहचान होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और कार्यों और उनकी प्रासंगिक विशेषज्ञता को भागीदार संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा।

5.2 एफएमएपी की संस्थागत संरचना:

सिडबी कार्यक्रम के लिए एई के साथ-साथ ईई की भूमिका निभाता है। सिडबी का ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस वर्टिकल (जीसीएफवी) परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा, जिसमें एक टीम मान्यता प्राप्त इकाई की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगी और परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन करने वाली एक अन्य टीम निष्पादन इकाई के कर्तव्यों का पालन करेगी। पीएमयू डायरेक्ट क्रेडिट वर्टिकल (डायरेक्ट लेंडिंग के लिए) और एनबीएफसी वर्टिकल (अप्रत्यक्ष ऋण के लिए) की सहायता और समर्थन करेगा। संरचना नीचे दी गई है:

- डायरेक्ट क्रेडिट वर्टिकल (शाखा, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से) और एनबीएफसी / इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस वर्टिकल (आईएफवी) वर्टिकल क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋणों के लिए मंजूरी, ऋण दस्तावेज, संवितरण, अनुवर्ती कार्रवाई और अंतिम उपयोग की निगरानी, ऋण चुकौती, आदि के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण केवल विभिन्न स्तरों (शाखा, क्षेत्रीय/अंचल और प्रधान कार्यालय) पर ऋण समितियों द्वारा ऋण आकार, ऋणों के वर्गीकरण आदि के आधार पर समय-समय पर सिडबी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं।
- सिडबी के संचालन का प्रबंधन बोर्ड द्वारा डीसीवी और एनबीएफसी/आईएफवी वर्टिकल के साथ-साथ सिडबी के अनुपालन ऊर्ध्वाधर, ऑडिट वर्टिकल, जोखिम प्रबंधन वर्टिकल के माध्यम से निगरानी, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ किया जाता है।
- परियोजना के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए, सिडबी ने एक बहु-ऊर्ध्वाधर कोर टीम की पहचान की है जो कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में काम करेगी। पीएमयू की मेजबानी सिडबी द्वारा की जाएगी। पीएमयू का नेतृत्व वर्टिकल हेड करता है और पीएमयू सदस्यों को बैंक और अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों के साथ काम करने का पूर्व अनुभव है। स्टाफ संसाधनों में पर्याप्त तकनीकी और साथ ही प्रत्ययी और सुरक्षा उपायों का अनुभव है।
- ई एंड एस पहलुओं का समन्वय और प्रबंधन एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप महाप्रबंधक के पद से नीचे नहीं होगा जो पीएमयू का हिस्सा होगा। उसे सुरक्षा उपायों के कार्य के लिए समर्पित ई एंड एस विशेषज्ञ (ईएसएस) द्वारा समर्थित किया जाएगा।

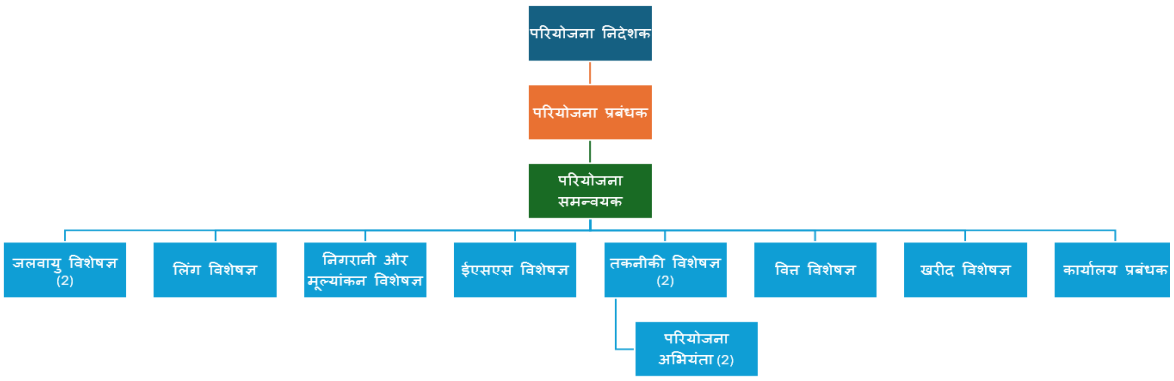

6. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस)

6.1 ईएसएमएस के उद्देश्य और सामान्य सिद्धांत

ईएसएमएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत कार्यकलापों से निम्नलिखित मुद्दों का समाधान होगा

ईएसएमएस के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम की गतिविधियों का कार्यान्वयन जीसीएफ ईएसएमएस के सिद्धांतों और कार्यक्रम डिजाइन में शामिल तंत्र और कार्यान्वयन व्यवस्था पर आधारित होगा।

AE और निष्पादन इकाई (EE) के दायरे में ऊर्जा-कुशल उपकरण और मशीनरी का मूल्यांकन, EE उपकरण और मशीनरी की स्थापना/प्रतिस्थापन, और परियोजना के हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय, सामाजिक और लिंग सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय मध्यस्थ यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम उधारकर्ता ई एंड एस से संबंधित सरकारी नियमों (कानून, अध्यादेश, अधिनियम, आदि) और जीसीएफ परिचालन नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि जीसीएफ वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधि को जीसीएफ ईएसएस मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जीसीएफ पर्यावरण और सामाजिक

स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के प्रदर्शन मानकों को अपनाता है और इस प्रकार ईएसएमएस को भी इसका पालन करना चाहिए।

इसके अलावा, टीए घटक ईएई को ईएसएमएस को लागू करने के लिए वित्तीय मध्यस्थों और अंतिम उधारकर्ताओं दोनों के लिए कुछ क्षमता विकास गतिविधियों को डिजाइन करने में मदद करेगा, जिसमें साइट-विशिष्ट सुरक्षा उपकरणों और उपायों की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी शामिल है।

इसके अलावा, ईएसएमएस उचित परिश्रम प्रक्रिया में एक उप-परियोजना स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) और उप-परियोजना स्तरीय हितधारक सगाई योजना (एसईपी) को एकीकृत करेगा। जीआरएम और एसईपी यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न हितधारकों और कमजोर समुदायों के विचार कार्यक्रम-स्तर के परिणामों पर परिलक्षित होते हैं।

ईएसएमएस में परियोजना-विशिष्ट और समग्र निगरानी और रिपोर्टिंग दोनों शामिल होंगे। रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट और अंतरिम मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल होंगी जो राष्ट्रीय नीतियों और नियामक ढांचे, सिडबी के ईएसएमपी, ईएसएस और जीसीएफ के ईएसएस मानकों के साथ परियोजनाओं की स्थिरता को निर्दिष्ट करती हैं।

7. जीसीएफ का ईएसएमएस फ्रेमवर्क और सिडबी की संस्थागत क्षमताओं/ईएसएमपी के लिए इसकी मैपिंग

जीसीएफ का ईएसएमएस ढांचा जीसीएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं और उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। विशेष रूप से, ईएसएमएस ढांचे का उद्देश्य है:

1. **समर्थित/स्क्रीनिंग परियोजनाओं की सूची** जोखिम वर्गीकरण के आधार पर ईएसएमपी सहायता की जाने वाली परियोजनाओं के प्रकार/प्रकृति की पहचान करता है।

2. **पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान और आकलन करें:** परियोजनाओं का मूल्यांकन उनके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के लिए किया जाता है। इसमें दोनों नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं जिन्हें कम करने की आवश्यकता है और संभावित लाभ जिन्हें बढ़ाया जा सकता है।

3. **जोखिम, रिपोर्टिंग और अनुपालन का प्रबंधन और निगरानी करें:** आकलन के आधार पर, प्रबंधन योजनाओं को शमन रणनीतियों, निगरानी योजनाओं और हितधारक सगाई गतिविधियों सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से जोखिमों को संबोधित करने के लिए विकसित किया जाता है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, और पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन पर रिपोर्टिंग करता है।

4. **शिकायत निवारण:** इसमें एक शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिकायतों को लागू नीतियों और मानकों के अनुरूप संबोधित किया जाए।

5. **सार्वजनिक प्रकटीकरण और परामर्श:** सिडबी अपनी वेबसाइट और भौतिक प्रकटीकरण (जहां भी लागू हो) के माध्यम से, अपनी सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुपालन में प्रासंगिक रिपोर्टों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेगा। प्रारंभिक पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिंग के परिणाम, और पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन का मसौदा, सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

6. **SEAH की शून्य सहिष्णुता:** SIDBI किसी भी रूप में किसी भी यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। SIDBI ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) को अपनाया है।

7. **स्वदेशी लोग:**। पेरिस समझौते को अपनाने वाले सीओपी निर्णय ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने से संबंधित स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों की प्रथाओं और प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता को मान्यता दी और ऐसा करने में मदद करने के लिए स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों के मंच का संचालन किया। यह देखते हुए कि एमएसएमई औद्योगिक समूहों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, सिडबी की परियोजना से स्वदेशी लोगों, उनकी भूमि, संस्कृति, आजीविका या जीवन के तरीके पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है

इसके अलावा, स्वदेशी समुदायों और स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) विकसित की जाएगी, जहां प्रभावों की पहचान की जाती है, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष,

नकारात्मक या सकारात्मक हों, यदि आईपीपी के लिए आवश्यक प्रकटीकरण के साथ लागू हो। उक्त योजना में शामिल होंगे:

a) (आधारभूत जानकारी (स्वतंत्र और भागीदारी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं से);
b) मुख्य निष्कर्ष और प्रभावों, जोखिमों और अवसरों का विश्लेषण; स्वदेशी लोग नीति
c) नकारात्मक प्रभावों से बचने, कम करने और कम करने और सकारात्मक प्रभावों और अवसरों को बढ़ाने के उपाय;
d) समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन;
e) परामर्श के परिणाम (पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान), जिसमें भाग लेने वाले लोगों और संगठनों की एक सूची, एक समय सारिणी, जो प्रत्येक गतिविधि के लिए जिम्मेदार था, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, और भविष्य की सगाई की योजनाएं;
f) लिंग मूल्यांकन और कार्य योजनाएं;
g) लाभ साझाकरण योजनाएं;
h) कार्यकाल व्यवस्था;
    (i) शिकायत निवारण तंत्र;
i) लागत, बजट, समय सारिणी, संगठनात्मक जिम्मेदारियां; और मानीटरिंग, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग।

- सिडबी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उचित परिश्रम और निरीक्षण करेगा कि इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

- जहां समुदायों को मिलाया जाता है, या स्वदेशी लोग विभिन्न सामाजिक और जातीय समूहों के करीब रहते हैं और आईपीपी को स्वदेशी लोगों और एक साथ या निकटता में रहने वाले अन्य समूह दोनों के लाभ के लिए विकसित किया जाएगा।

ईएसएमपी ढांचा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीसीएफ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं टिकाऊ हैं और पर्यावरण और इसमें शामिल समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं।

तालिका: जीसीएफ के ईएसएमएस फ्रेमवर्क का सिडबी के ईएसएमपी/संस्थागत ढांचे के साथ मानचित्रण

क्र.सं.	जीसीएफ ईएसएमएस फ्रेमवर्क का पहलू	सिडबी के ईएसएमपी/संस्थागत ढांचे की मैपिंग
1.	समर्थित परियोजनाओं की सूची/स्क्रीनिंग	सिडबी स्वयं, या वित्तीय मध्यस्थ जो कार्यरत हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की जांच करते हैं कि प्रस्तावित परियोजनाएं सिडबी द्वारा तैयार नकारात्मक सूची/बहिष्करण सूची में नहीं हैं **(अनुलग्नक 1 का अनुभाग 9.1 और परिशिष्ट । देखें)।** नकारात्मक सूची में बाल श्रम के हानिकारक अथवा शोषणकारी रूप, हथियारों अथवा युद्ध सामग्री के उत्पादन अथवा व्यापार, एल्कोहालिक पेयों और तम्बाकू के उत्पादन अथवा व्यापार आदि वाली परियोजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक स्क्रीनिंग प्रक्रिया में, व्यक्तिगत प्रस्तावों का भी निम्नलिखित के लिए मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कैट के अंतर्गत नहीं आते हैं। जीसीएफ की ए/आई-1 गतिविधियां:

क्र.सं.	जीसीएफ ईएसएमएस फ्रेमवर्क का पहलू	सिडबी के ईएसएमपी/संस्थागत ढांचे की मैपिंग
		1. परियोजना परिव्यय (यदि प्रति परियोजना 60 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है) 2. क्या संभावित प्रभाव (पर्यावरण और/या सामाजिक जोखिम) विविध हैं, अनुक्रमणीय या अभूतपूर्व 3. क्या परियोजना के प्रभाव को पर्याप्त नीति कार्यान्वयन और कार्यस्थल मानकों और उपयुक्त मानदंडों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा? उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर, यदि परियोजना कैट श्रेणी में पाई जाती है, तो वह इस श्रेणी में पाई जाती है। I-1 का, तो परियोजना की जांच की जाएगी और वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एक परियोजना स्तर पर, प्रत्येक परियोजना एक ईएसडीडी चेकलिस्ट के आधार पर उचित परिश्रम के अधीन है जो पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, प्रत्येक परियोजना को उनके ई एंड एस प्रदर्शन के आधार पर भी रेट किया जाएगा। यह सिडबी के ईएसजी रेटिंग टूल के आधार पर किया जाता है।
2.	E&S जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन	पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक साधन है कि परियोजनाएं पर्यावरण और सामाजिक रूप से मजबूत और टिकाऊ हैं। यह सूचित निर्णय लेने का समर्थन करता है। इसलिए, परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के अलावा, सिडबी या वित्तीय मध्यस्थों को दस्तावेज सत्यापन, क्षेत्र दौरे, और पर्यावरण और सामाजिक जांच सूची (अनुलग्नक 1 का परिशिष्ट II देखें) के माध्यम से परियोजना के संभावित जोखिमों और पर्यावरण और सामाजिक अनुपालन की जांच करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ऋण प्रस्ताव के मूल्यांकन/रेटिंग के समय, प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन भी उनके ई एंड एस निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। यह सिडबी के ईएसजी रेटिंग टूल के आधार पर किया जाता है **(अनुलग्नक 5 और अनुलग्नक 7 देखें)।** ईएसजी रेटिंग टूल सिडबी को ई एंड एस जोखिम का आकलन करने और इसकी उचित कीमत तय करने में मदद करेगा। स्क्रीनिंग और ई एंड एस जोखिमों पर विचार करने पर, मूल्यांकन प्राधिकारी परियोजना / कार्यक्रम के अनुमोदन पर उपयुक्त निर्णय ले सकता है।
3.	जोखिम, रिपोर्टिंग और अनुपालन प्रबंधित और मॉनिटर करें	सिडबी के ईएसएमपी **(अनुबंध 1 की धारा 9.2, 9.3, 9.4 देखें)** में कहा गया है कि पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की जांच के दौरान पहचाने गए सभी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का समाधान करना वित्तीय मध्यस्थों/मेजबान इकाई की जिम्मेदारी है। कार्यान्वयन संस्थाओं की कार्यक्रम रिपोर्टों में किसी भी पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक खंड शामिल होगा, जिसमें जोखिमों से बचने, कम करने या कम करने के लिए आवश्यक उपाय शामिल हैं।

क्र.सं.	जीसीएफ ईएसएमएस फ्रेमवर्क का पहलू	सिडबी के ईएसएमपी/संस्थागत ढांचे की मैपिंग
		रिपोर्ट में यह भी शामिल होगा, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी सुधारात्मक कार्यों का विवरण जो आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, मध्यावधि और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्टों में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के संबंध में कार्यक्रम निष्पादन का मूल्यांकन भी शामिल होगा। प्रभावी निगरानी के लिए ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के प्रारूप और आवधिकता का निर्णय कार्यक्रम के प्रारंभ के दौरान लिया जाता है।
4.	शिकायत निवारण तंत्र	सिडबी के पास एक व्यापक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) **है (अनुलग्नक 3 देखें),** जिसे संक्षेप में नीचे समझाया गया है। इसने शिकायतों/शिकायतों के लिए एक वेब-सक्षम पंजीकरण फॉर्म रखा है, जिसके द्वारा परियोजना प्रभावित हितधारक अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। सिडबी यह भी अधिदेश देता है कि कार्यान्वयन एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों के पास एक प्रभावी जीआरएम भी होगा जो सिडबी द्वारा समथत परियोजनाओं से प्रभावित स्टेकहोल्डरों के लिए प्रावधान करता है। ऐसा तंत्र ऐसी किसी भी परियोजना के कारण संभावित या वास्तविक पर्यावरणीय या सामाजिक नुकसान के बारे में शिकायतें प्राप्त करने और संबोधित करने के लिए सुलभ, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी होगा।
5	सार्वजनिक प्रकटीकरण और परामर्श	सिडबी अधिदेश देता है कि प्रतिभागी वित्तीय संस्थान किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाने में यथाशीघ्र हितधारकों की पहचान करें। प्रारंभिक पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिंग के परिणाम, और पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन का मसौदा, सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पणधारियों की भागीदारी का कार्यक्षेत्र और बारंबारता कार्यक्रम की प्रकृति और पैमाने तथा इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, सिडबी के मौजूदा ईएसएमपी में कहा गया है कि सिडबी, अपनी वेबसाइट और भौतिक प्रकटीकरण (जहां भी लागू हो) के माध्यम से, अपनी सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुपालन में प्रासंगिक रिपोर्टों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेगा।
6	SEAH की शून्य सहिष्णुता	SIDBI ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) को अपनाया है। यह अधिनियम उल्लिखित तीन तत्वों जैसे "रोकथाम, निषेध और निवारण" के अनुपालन के माध्यम से यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल समानता के लिए महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की इच्छा रखता है। एई यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संस्थागत व्यवस्था का पीएफआई और एमएसएमई द्वारा पालन किया जाता है और ईएसएमएस के अनुलग्नक 8 में

क्र.सं.	जीसीएफ ईएसएमएस फ्रेमवर्क का पहलू	सिडबी के ईएसएमपी/संस्थागत ढांचे की मैपिंग
		विस्तृत कार्यक्रम के तहत रिपोर्टिंग तंत्र के अनुसार इसकी उचित रिपोर्टिंग की जाती है। सिडबी किसी भी रूप में किसी भी यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। शून्य-सहिष्णुता के सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए, FMAP उत्तरजीवी-केंद्रित और लिंग-उत्तरदायी तरीके से SEAH को प्रभावी ढंग से रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी वित्तपोषित गतिविधियों के महत्व को पहचानता है। सिडबी यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्यान्वयन एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों में भी आवश्यकता के अनुसार प्रभावी एसईएएच दिशानिर्देश, मानक लागू होंगे।
7	स्वदेशी लोग	यह देखते हुए कि एमएसएमई औद्योगिक समूहों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, सिडबी की परियोजना से स्वदेशी लोगों, उनकी भूमि, संस्कृति, आजीविका या जीवन के तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि, सिडबी अपने वित्तीय संस्थानों के माध्यम से एफएमएपी के माध्यम से उप-परियोजनाओं को सुनिश्चित करेगा, जिसमें (ए) स्वदेशी लोगों के समुदायों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचने, या (बी) जब परिहार संभव नहीं है, ऐसे प्रभावों को कम करने, कम करने, कम करने या क्षतिपूर्ति करने के उपाय शामिल हैं। उप-परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है कि स्वदेशी लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हों जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और लिंग और अंतर-पीढ़ीगत रूप से समावेशी हों। हालांकि, स्वदेशी लोगों पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए एक स्वदेशी लोगों की रूपरेखा (आईपीएफ) विकसित की गई है (अनुलग्नक 6 देखें)। इसके अलावा, स्वदेशी समुदायों और स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) विकसित की जाएगी, जहां प्रभावों की पहचान की जाती है, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नकारात्मक या सकारात्मक हों, यदि आईपीपी के लिए आवश्यक प्रकटीकरण के साथ लागू हो।

8. प्रमुख राष्ट्रीय विधान और विनियम

यह खंड प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक नीतियों और नियमों और घटक परियोजनाओं पर लागू दिशानिर्देशों पर प्रकाश डालता है।

विषयों	प्रमुख विधान (उप-परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता भिन्न हो सकती है)
पर्यावरण संरक्षण	• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 • पर्यावरण संरक्षण (तीसरा) संशोधन नियम, 2002, बाद के संशोधनों के साथ • वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 1987 में संशोधित; और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1982 • ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण नियम), 2000 • जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 (धारा 25) (इसके बाद जल अधिनियम 1974 के रूप में संदर्भित) • भारत में भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित दिशानिर्देश दिनांक 12 दिसंबर 2018, 01 जून 2019 से प्रभावी • खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंड्री) नियम, 2016 • ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 • पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) आदेश, 2016 का विनियमन • वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 • राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए दिशानिर्देश, 2011 • तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019
भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन	• भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (RFCT LARR अधिनियम 2013) • विभिन्न राज्य सरकारों (केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, गोवा, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश) द्वारा सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश/नीतियां/नियम/कानून • विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि राजस्व कोड
श्रम और काम करने की स्थिति	• कारखाना अधिनियम 1948 और राज्य कारखाना नियम (औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकता निदेशक) • केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 और संशोधन • बाल और किशोरावस्था श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1986, 2017 में संशोधित • बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976 • अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन), 1970 • भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 • समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

	• मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 • वेतन भुगतान अधिनियम 1936 • कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 • बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और नियम 1975 और बाद में संशोधन • अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979 • ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 • कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 • औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम 1996 • राज्य विशिष्ट दुकानें और स्थापना नियम
सगाई और समावेश, सांस्कृतिक विरासत और अन्य पर सामाजिक सुरक्षा उपाय	• पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 • वन अधिकार अधिनियम 2006; • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 • प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 2010 तक संशोधित

9. ई एंड एस जोखिम प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन

परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन चक्र में ई एंड एस आयामों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने और एकीकृत करने के लिए, परियोजना चक्र के प्रमुख चरणों के माध्यम से निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा।

तालिका: चरण वार ई एंड एस एकीकरण प्रक्रिया, जिम्मेदार एजेंसी, इसकी आवृत्ति और संबंधित प्रारूप

दक्षिणी। नहीं।	मंच	गतिविधि विवरण	उत्तरदायित्व	आवृत्ति	हवाला
1.	परियोजना स्क्रीनिंग/ई एंड एस जोखिम वर्गीकरण	यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं की बहिष्करण/नकारात्मक सूची में शामिल परियोजनाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।	सिडबी/पीएफआई	प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के समय और ऋण आवेदन के साथ रिपोर्ट की गई	**बहिष्करण सूची के लिए इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक 2 का संदर्भ लें**
2.	पर्यावरण और सामाजिक कारण परिश्रम (ESDD)	संबद्ध ई एंड एस जोखिमों का आकलन करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए किया जाना है, संबंधित प्रभावों को समाप्त/कम करने के लिए प्रस्तावित साधन/प्रावधान, उनकी पर्याप्तता और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त उपाय सुझाएं। प्रत्येक परियोजना ई एंड एस चेकलिस्ट को पूरा नहीं करती है: • नियामक दृष्टिकोण से वित्तपोषित नहीं किया जाएगा • अन्य सभी मापदंडों के लिए, यह वित्तपोषण से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन के अधीन होगा	उधारकर्ता (एमएसएमई)	प्रत्येक ऋण आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है	**चेकलिस्ट के लिए इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक 4 का संदर्भ लें**
		ईएसडीडी रिपोर्ट की समीक्षा	सिडबी क्रेडिट अधिकारी	ऋण आवेदन की समीक्षा के समय	**ईएसडीडी रिपोर्ट प्रारूप**

दक्षिणी। नहीं।	मंच	गतिविधि विवरण	उत्तरदायित्व	आवृत्ति	हवाला
					के लिए इस दस्तावेज़ का अनुलग्नक 5
3	इन-प्रिंसिपल अप्रूवल	ऊर्जा की बचत और अन्य ई एंड एस लाभों का आकलन	जीसीएफवी	ऋण आवेदन की समीक्षा के समय	**परियोजना से ई एंड एस लाभों को व्यक्त करने पर प्रारूप के लिए इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक 6 का संदर्भ लें**
4	ईएसजी रेटिंग	ईएसजी रेटिंग टूल के माध्यम से पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ईएसजी) मापदंडों का आकलन	सिडबी ऋण अधिकारी	ऋण प्रस्ताव के मूल्यांकन/रेटिंग के समय	**ESG रेटिंग टूल के लिए इस दस्तावेज़ का अनुलग्नक 7 देखें**
5	ई एंड एस पर्यवेक्षण, निगरानी और रिपोर्टिंग	ईएसडीडी रिपोर्ट में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए नमूना आधार पर साइट का दौरा करना	(सिडबी ऋण अधिकारी	संपूर्ण परियोजना अवधि के दौरान (वर्ष में कम से कम एक बार)	-
			जीसीएफवी	आवश्यकता के आधार पर	
		ईएसएमएस की प्रभावशीलता और जमीन पर इसके कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए स्वतंत्र ई एंड एस निगरानी का आयोजन करना[7]	जीसीएफवी (स्वतंत्र सलाहकार/एजेंसी के माध्यम से)	हर साल	**ई एंड एस वार्षिक रिपोर्टिंग प्रारूप के लिए अनुलग्नक 8 देखें**

[7] स्वतंत्र मूल्यांकन में लागू नियमों/विनियमों के अनुपालन की निगरानी, परियोजना के तहत निर्धारित योजनाओं और प्रक्रियाओं का पालन शामिल होगा; लिंग आधारित हिंसा, यौन शोषण, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न (एसईएएच) जोखिमों आदि से निपटने के उपायों सहित लिंग कार्य योजना सहित ऊर्जा बचत, शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम), चिंताओं की घटनाएं आदि शामिल हैं।

9.1 ई एंड एस जोखिमों की पहचान

कार्यक्रम के लिए ई एंड एस जोखिमों की पहचान कई स्तरों पर की जाएगी:

- सेक्टर/हस्तक्षेप स्तर
    - क्षेत्र/हस्तक्षेप स्तर पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उल्लिखित औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण का पालन किया जाएगा।[8]
- परियोजना स्तर
    - एक परियोजना स्तर पर, प्रत्येक परियोजना एक बहिष्करण सूची और ईएसडीडी चेकलिस्ट के आधार पर एक उचित परिश्रम के अधीन है जो पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के लिए जिम्मेदार है।
    - इसके अलावा, प्रत्येक परियोजना को उनके ई एंड एस प्रदर्शन के आधार पर भी रेट किया जाएगा। यह सिडबी के ईएसजी रेटिंग टूल के आधार पर किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय, ईवी, आदि के लिए एमएसएमई के वित्तपोषण में सिडबी के अनुभव के आधार पर और व्यापक हितधारक परामर्श (जिसके निष्कर्ष **हितधारक सगाई योजना शीर्षक अनुबंध में साझा किए गए हैं**), निम्नलिखित तालिकाएं प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं, और प्रत्येक के लिए नियोजित शमन उपाय।

A. ऋण स्क्रीनिंग और अनुमोदन प्रक्रिया (प्रत्यक्ष ऋण के लिए)

ऋण अनुमोदन प्रक्रिया एक व्यापक तीन-चरण प्रक्रिया है जिसे ऋण आवेदनों का कड़ाई से मूल्यांकन करने और कड़े मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पहला चरण, आवेदन और प्रारंभिक स्क्रीनिंग, रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा शाखा स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस चरण के दौरान, आवेदनों को पूर्णता के लिए सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, जिसमें जलवायु संबंधी, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा दस्तावेजों जैसे अनिवार्य दस्तावेज जमा करना शामिल है। अपूर्ण आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता है/पूरा करने के लिए हाथ से पकड़ लिया जाता है, जैसा भी मामला हो, जबकि केवल पूर्ण समझे जाने वाले लोग बहिष्करण सूची मानदंडों के खिलाफ प्रारंभिक जांच से गुजरते हैं। इसके अतिरिक्त, इस स्तर पर, निम्नलिखित के लिए अलग-अलग प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कैट के अंतर्गत नहीं आते हैं। जीसीएफ की ए/आई-1 गतिविधियां:

- परियोजना परिव्यय (यदि प्रति परियोजना 60 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है)
- क्या संभावित प्रभाव (पर्यावरण और / या सामाजिक जोखिम) विविध हैं, अनुक्रमणीय या अभूतपूर्व
- क्या परियोजना के प्रभाव को पर्याप्त नीति कार्यान्वयन और कार्यस्थल मानकों और उपयुक्त मानदंडों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा?

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर, यदि परियोजना कैट श्रेणी में पाई जाती है, तो वह इस श्रेणी में पाई जाती है। I-1 का, तो परियोजना की जांच की जाएगी और वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

[8] सभी क्षेत्रों का वर्गीकरण सीपीसीबी द्वारा उल्लिखित है जिसे वेबलिंक का उपयोग करके संदर्भित किया जा सकता है: सीपीसीबी | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों को दूसरे चरण, ड्यू डिलिजेंस में भेज दिया जाता है, जबकि जो बहिष्करण सूची के अंतर्गत आते हैं (जिसमें श्रेणी ए / आई 1 परियोजनाएं शामिल हैं) को अस्वीकार कर दिया जाता है। ड्यू डिलिजेंस चरण को शाखा स्तर पर समानांतर में निष्पादित किया जाता है और इसमें कई महत्वपूर्ण आकलन शामिल होते हैं। स्क्रीनिंग का दूसरा स्तर ईएसजी रेटिंग टूल (अनुलग्नक 7 के रूप में संलग्न) के माध्यम से किया जाएगा। प्रसंस्करण अधिकारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता, क्रेडिट देय परिश्रम और ईएसडीडी चेकलिस्ट जानकारी (अनुलग्नक- 4) की जांच से संबंधित मूल्यांकन करता है। समवर्ती रूप से, परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) में जलवायु विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ और ई एंड एस विशेषज्ञ जलवायु से संबंधित, तकनीकी उचित परिश्रम करेंगे और तकनीकी, ई एंड एस और जलवायु परिप्रेक्ष्य से प्रस्तावित परियोजना की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए ईएसएस अनुपालन (ईएसजी रेटिंग टूल का उपयोग करके) के लिए परियोजनाओं की जांच करेंगे।

तीसरे चरण में, तकनीकी रूप से मजबूत और वित्तीय रूप से व्यवहार्य आवेदन क्रेडिट मूल्यांकन ज्ञापन तैयार करने के चरण में आगे बढ़ते हैं। मेकर और चेकर से युक्त प्रसंस्करण टीम एक व्यापक क्रेडिट मूल्यांकन ज्ञापन संकलित करती है, जिसे तब अंतिम मूल्यांकन और निर्णय लेने के लिए ऋण स्वीकृति समिति को प्रस्तुत किया जाता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, प्रारंभिक आवेदन जांच और उचित परिश्रम प्रक्रियाओं में शामिल किसी भी सदस्य को ऋण स्वीकृति समिति का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है।

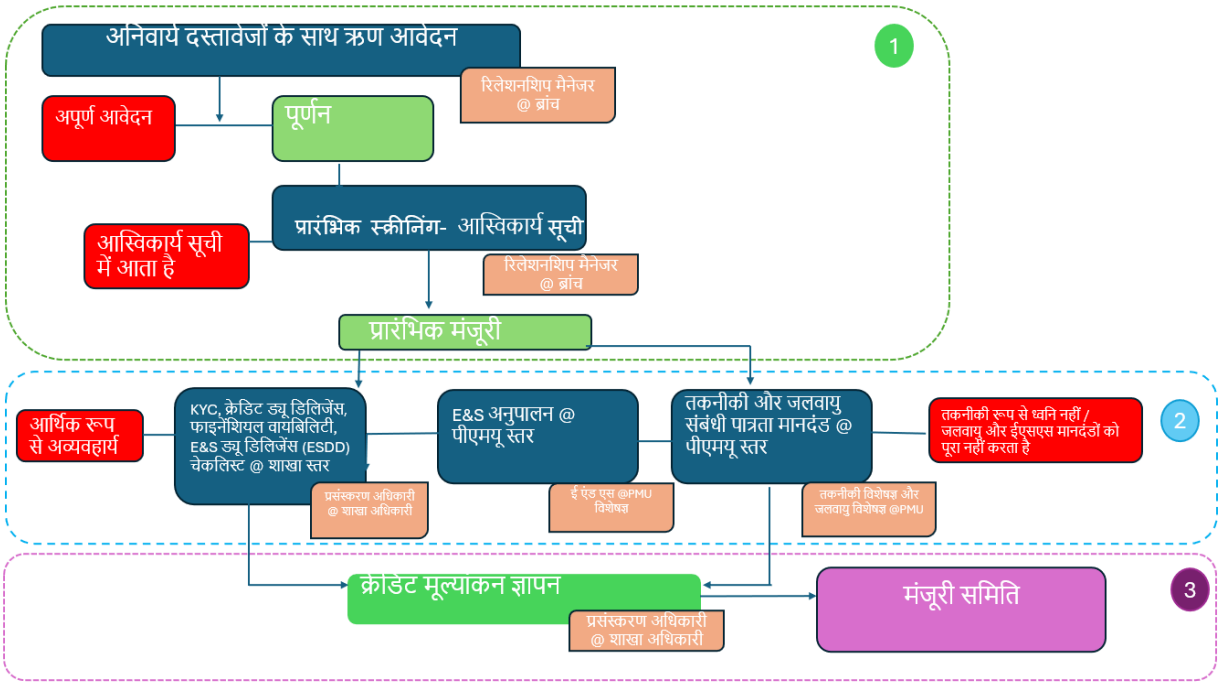

B. अप्रत्यक्ष वित्तपोषण और उचित परिश्रम का तंत्र

एफएमएपी कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य पीएफआई की क्षमता का निर्माण करना और उन्हें न केवल रियायती धन प्रदान करके जलवायु वित्तपोषण शुरू करने के लिए समर्थन करना है, बल्कि जलवायु वित्तपोषण के लिए आवश्यक अतिरिक्त/नई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करना है जिसमें ऊर्जा बचत क्षमता के आकलन के संदर्भ में जलवायु लाभों का आकलन शामिल है। जीएचजी उत्सर्जनों में कमी का आकलन करना और पर्यावरण, सामाजिक और लैंगिक सम्यक सावधानी बरतना और उसकी मानीटरिंग करना। तदनुसार, अप्रत्यक्ष वित्त घटक पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष वित्त के लिए तीन चरणों वाला दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है।

- पहला कदम उन पात्र पीएफआई की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना है जिनकी जलवायु वित्तपोषण में रुचि है और जो इसके लिये आवश्यक नई प्रणालियों को अपनाने के इच्छुक हैं।
- दूसरा कदम इन पैनलबद्ध पीएफआई को सुग्राहीकरण और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना है और टर्म शीट के साथ रियायती शर्तों पर पुनर्वित्त के रूप में ऋण सहायता की मंजूरी भी प्रदान करना है जो अंतर्निहित उप-ऋणों की पात्रता, ईएसएमएस उचित परिश्रम आवश्यकताओं, ऊर्जा बचत/जीएचजी उत्सर्जन में कमी या अन्य आवश्यकताओं के बारे में एफएमएपी कार्यक्रम के अनुसार शर्तों को निर्दिष्ट करेगा, सिडबी उपरोक्त आवश्यकताओं के लिए इन पीएफआई को कार्यक्रम के तहत बनाए गए पीएमयू का समर्थन प्रदान करेगा। टर्म शीट में यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि पीएफआई को कार्यक्रम के तहत सिडबी से संवितरण की x राशि मांगने से पहले टर्म शीट की सभी शर्तों को पूरा करने वाले नए एमएसएमई ऋणों के पोर्टफोलियो का कम से कम 3x बनाने की आवश्यकता होगी। पीएफआई को शर्तों को स्वीकार करने और मंजूरी देने और सिडबी के साथ ऋण दस्तावेज में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी।
- तीसरा चरण संवितरण होगा जिसमें पीएफआई को सिडबी को संतुष्ट करने के लिए सभी विवरण, दस्तावेज की प्रति आदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि मंजूरी के समय टर्म शीट में निर्धारित शर्तों का पूरी

तरह से पालन किया गया है। सिडबी द्वारा उपयुक्त नमूने के भौतिक सत्यापन के साथ इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद ही सिडबी द्वारा पीएफआई को ऋण वितरित किया जाएगा।

- चौथा चरण हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक मजबूत निगरानी, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग और सीखने का ढांचा है जो वास्तविक समय की रणनीति समायोजन की सुविधा प्रदान करेगा। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य एमएसएमई के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना होगा, जबकि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना होगा, जो स्थायी, कम उत्सर्जन विकास के लिए जलवायु कोष के लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा।

C. शमन और अनुकूलन विशिष्ट ई एंड एस जोखिमों की पहचान नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

9.1.1 MSME में शमन परियोजनाएं – MSME क्षेत्र के लिए E&S जोखिमों की पहचान और शमन[9]।

क्र.सं.	**अंचल**	**सीपीसीबी वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकरण**	**पर्यावरण जोखिम की पहचान**	**पर्यावरण जोखिम शमन**	**सामाजिक जोखिम की पहचान**	**सामाजिक जोखिम शमन**	**सामाजिक उत्तरदायित्व**
1	खाद्य प्रसंस्करण	नारंगी	जल और वायु प्रदूषण	ऊर्जा कुशल ईटीपी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।	1. न्यूनतम मजदूरी 2. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) 3. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं। आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	घरेलू और कृषि के लिए आस-पास के समुदायों को स्वच्छ और उपयोगी पानी प्रदान करना। नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच।
2	वस्त्र	लालौहा-भूरा	जल और वायु प्रदूषण।	ऊर्जा कुशल ईटीपी एक सामान्य सुविधा केंद्र दृष्टिकोण के तहत आम मरने वाली इकाइयां, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	**एक.** न्यूनतम मजदूरी	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है)	घरेलू और कृषि के लिए आस-पास के समुदायों को स्वच्छ और उपयोगी पानी प्रदान करना। नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच

[9] इसके अलावा, इस तालिका में एई एई को संदर्भित करेगा, जहां लागू हो, ई एंड एस उचित परिश्रम का मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय जोखिम पहचान पर संलग्न दस्तावेज 'विश्व बैंक दस्तावेज' का भी उल्लेख करेगा।

						4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	
3	ईंट भट्ठा	नारंगी	वायु प्रदूषण	पर्याप्त ढेर ऊंचाई/वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ उन्नत चिमनियां	एक. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच
4	रबर और प्लास्टिक	नारंगी और हरा	कुछ पीएम उत्सर्जन और अप्रिय गंध।	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण। गंध प्रबंधन प्रक्रियाएं	एक. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)।	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच
5	फार्मास्यूटिकल्स	नारंगी	सभी प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं।	ऊर्जा कुशल ईटीपी एक सामान्य सुविधा केंद्र दृष्टिकोण के तहत	एक. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं। आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति,	एचएच और कृषि के लिए समुदायों द्वारा स्वच्छ और उपयोगी पानी प्रदान करें नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच

				आम मरने वाली इकाइयां, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण		3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	
6	ग्लास और सिरेमिक	नारंगी	मुख्य रूप से वायु प्रदूषण। उत्सर्जन SO2 की उम्मीद है।	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे स्क्रबर /	एक. न्यूनतम मजदूरी	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच।
7	रसायन	ललौहा-भूरा	यह मुख्य रूप से जल प्रदूषणकारी उद्योग है जिसमें अपशिष्ट होते हैं जो जहरीले होते हैं और आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं।	ऊर्जा कुशल ईटीपी, एक सामान्य सुविधा केंद्र दृष्टिकोण के तहत	एक. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	एचएच और कृषि के लिए समुदायों द्वारा स्वच्छ और उपयोगी पानी प्रदान करें नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच

8	चमड़ा	ललौहा-भूरा	उपयोग के कारण मामूली धुएं चिपकने वाले/मसूड़ों की।	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	एक. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)।	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	आस-पास के समुदायों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच
9	फ़ाउंड्री	नारंगी	यह औद्योगिक क्षेत्र सभी प्रकार उत्पन्न करता है प्रदूषण का	ऊर्जा कुशल ईटीपी एक सामान्य सुविधा केंद्र दृष्टिकोण के तहत, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	एक. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं। आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	घरेलू और कृषि के लिए आस-पास के समुदायों को स्वच्छ और उपयोगी पानी प्रदान करना। नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच
10	गूदा और कागज	ललौहा-भूरा	जल प्रदूषण, गंध प्रदूषण, वायु प्रदूषण	ऊर्जा कुशल ईटीपी एक सामान्य सुविधा केंद्र दृष्टिकोण के तहत। वायु प्रदूषण नियंत्रण	एक. न्यूनतम मजदूरी	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें	घरों और कृषि के लिए आस-पास के समुदायों को स्वच्छ और उपयोगी पानी प्रदान करें नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच

				उपकरण। गंध प्रबंधन प्रक्रियाएं।		जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	
11	सीमेंट	ललौहा-भूरा	वायु प्रदूषणउद्योग .	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	एक. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	आस-पास के समुदायों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच
12	स्टील री-रोलिंग	ललौहा-भूरा	बर्फिंग संचालन से कुछ भगोड़े पीएम उत्सर्जन के कारण मामूली वायु प्रदूषण।	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	एक. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)।	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	आस-पास के समुदायों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच
13	स्पंज आयरन	ललौहा-भूरा	हवा/पानी प्रदूषणकारी पदार्थ	ऊर्जा कुशल ईटीपी	एक. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं।	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन,	आस-पास के समुदायों को स्वच्छ और उपयोगी पानी प्रदान करना

				एक सामान्य सुविधा केंद्र दृष्टिकोण के तहत आम मरने वाली इकाइयां, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच

अधिकांश क्षेत्रों में सामाजिक जोखिम और शमन उपाय समान हैं क्योंकि यह एमएसएमई इकाइयों से संबंधित हैं जहां अपेक्षाकृत परिपक्व प्रौद्योगिकियों (यानी नवीकरणीय, ऊर्जा दक्षता, ईवीएस) को तैनात किया जा रहा है। इन जोखिमों को सामाजिक जांच (अनुबंध 4 और अनुबंध 7) के माध्यम से संबोधित किया जाएगा

पर्यावरण जोखिमों को ईएसजी रेटिंग टूल (अनुबंध 7) के माध्यम से संबोधित किया जाएगा जो परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान करता है

क्र.सं.	**अंचल**	**पर्यावरण जोखिम**	**शमन**	**सामाजिक जोखिम**	**शमन**
1	**इलेक्ट्रिक वाहन**	1. ओएचएस जोखिम 2. दुर्घटनाएं - थर्मल भगोड़ा - आग का जोखिम 3. दुर्घटनाएं - विद्युत जोखिम **4.** अनुचित बैटरी निपटान के कारण खतरनाक अपशिष्ट जोखिम	1. ओएचएस जोखिमों को ईएसजी रेटिंग टूल (अनुलग्नक 7) के माध्यम से कम किया जाएगा 2. थर्मल रनवे जोखिम को बैटरी उपयोग, रखरखाव और निपटान, थर्मल	1. जीबीवी/एसईए/एसएच जोखिम 2. श्रम संबंधी जोखिम **3.** आग के कारण जोखिम	1. GBV/SEAH जोखिमों को शिकायत निवारण तंत्र (GRM) के माध्यम से कम किया जाएगा जिसमें GBV/SEAH शामिल हैं। 2. श्रम संबंधी जोखिमों को ईएसडीडी चेकलिस्ट के साथ-साथ ईएसजी रेटिंग टूल के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

			रनवे (अनुलग्नक 7) के लिए मार्गदर्शन नोट के माध्यम से कम किया जाएगा। 3. विद्युत जोखिमों को उचित पीपीई उपकरणों के माध्यम से कम किया जाएगा और ईएसजी रेटिंग टूल (अनुलग्नक 7) के अनुसार जांच की जाएगी 4. खतरनाक कचरे का निपटान बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अनुरूप किया जाएगा। यूनिट/उधारकर्ता बैटरी प्रबंधन प्रणाली (अनुलग्नक 7) का पालन करेगा।		3. प्रारंभिक चरण में उचित परिश्रम किया जाएगा और ऋण मूल्यांकन से पहले अग्नि सुरक्षा उपायों को सत्यापित किया जाएगा।

9.1.2 एमएसएमई में अनुकूलन परियोजनाएं – एमएसएमई क्षेत्र के लिए ई एंड एस जोखिमों की पहचान और शमन

क्र.सं.	**अंचल**	**टेक्नोलॉजी**	**पर्यावरण जोखिम की पहचान**	**सामाजिक जोखिम की पहचान**	**शमन**	**लाभ**
1	कृषि	मौसम सलाह, फसल सलाहकार	पर्यावरण जोखिम केवल इन उपकरणों के निर्माण से जुड़ा होगा	1. न्यूनतम मजदूरी 2. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) 3. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं। आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2. पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस इकाई स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा उपायों से संबंधित उचित परिश्रम ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के पहले चरण में आयोजित किया जाएगा	मौसम और फसल सलाहकार समुदायों को वास्तविक समय में डेटा प्रसार में मदद करेंगे। मौसम पूर्वानुमान और बारिश की भविष्यवाणी से सिंचाई के माध्यम से पानी का कम उपयोग होगा।
2	जल संसाधन	जल उपचार उपकरण, जल प्रवाह मीटर,	इसमें कोई बड़ा पर्यावरणीय जोखिम शामिल नहीं है। पर्यावरण जोखिम केवल इन उपकरणों के निर्माण से जुड़ा होगा	1. न्यूनतम मजदूरी 2. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) 3. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं। आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस	जल संसाधनों का कुशल उपयोग। जल संरक्षण।
3	आपदा	पूर्व चेतावनी प्रणाली	पर्यावरण जोखिम केवल इन उपकरणों के निर्माण से जुड़ा होगा	1. न्यूनतम मजदूरी 2. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति,	कमजोर समुदायों के बीच अधिक तैयारी। आपदा की तैयारी | बुनियादी ढांचे को कम नुकसान।

				3. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं। आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस इकाई स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा उपायों से संबंधित उचित परिश्रम ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के पहले चरण में आयोजित किया जाएगा	
4	सेवाएँ	आईओटी आधारित उपकरण निर्माण या सेवाएं	पर्यावरण जोखिम केवल इन उपकरणों के निर्माण से जुड़ा होगा। हालांकि, ये जोखिम बहुत कम होंगे।	1. न्यूनतम मजदूरी 2. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) 3. शिकायत निवारण तंत्र (एसईएएच/जीबीवी सहित)। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं। आपातकाल के दौरान विशेष रूप से	1.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, 2.पीपीई की उपस्थिति, 3. इकाइयों के लिए जीआरएम (जिसमें जीबीवी/एसईएएच शामिल है) 4. आपातकालीन स्थितियों के लिए एम्बुलेंस इकाई स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा उपायों से संबंधित उचित परिश्रम ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के पहले चरण में आयोजित किया जाएगा	प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बेहतर अनुकूलन प्रथाओं के माध्यम से बेहतर आजीविका। प्रारंभिक पहचान प्रणाली से प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग होगा।

अधिकांश क्षेत्रों में सामाजिक जोखिम और शमन समान हैं क्योंकि यह एमएसएमई इकाइयों से संबंधित है ऋण मूल्यांकन के पहले चरण में पर्यावरण जांच के माध्यम से पर्यावरण जोखिमों को संबोधित किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप [10] से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक जोखिम

शमन प्रौद्योगिकियां (स्वच्छ तकनीक / ऊर्जा कुशल तकनीक / नवीकरणीय ऊर्जा)

क्रम संख्या	अंचल	प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप (ईई और आरई), ईई तकनीक में से कुछ का इस्तेमाल किया -	पर्यावरण के लिए खतरा	शमन	सामाजिक जोखिम	शमन	लाभ
1	खाद्य प्रसंस्करण	1 स्क्रू एयर कंप्रेसर 2 स्वचालित चीनी शंकु बेकिंग प्लांट 3 आइसक्रीम पेपर कोन स्लीव 4 निलंबित लाइनर सील मशीन (LType) सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	-सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -त्रैमासिक शोर निगरानी और	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के	-ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

[10] संदर्भ के लिए यहां सूचीबद्ध कुछ ईई प्रौद्योगिकियां।

				-शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।		लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	
2	वस्त्र	1 शटललेस रैपियर लूम 2 शटललेस वाटर/एयर जेट लूम्स 3 सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर 4 डाइंग मशीन सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा।	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के	-उत्पादकता में वृद्धि - ऊर्जा कुशल। - कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

				-शोर की निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।		साथ डिस्प्ले बोर्ड।	
3	ईंट-भट्ठा	1 रानी पॉलिश मशीन 2 स्टोन ऑटो लाइन प्रोफाइलिंग मशीन 3 मल्टीवायर डेल्टा वायर फोर्स 4 पग मिल - मिट्टी की ईंटों के लिए वायर कटिंग मशीन के साथ एक्सट्रूडर।	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -वायु प्रदूषण	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए।	-ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

		5 लेजर काटने की मशीन सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	-ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	- यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।		किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	

4	रबर और प्लास्टिक	रबर: 1 फैलाव सानना मिक्सर 2 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रोलर मिक्सर मशीनों में 3 चर आवृत्ति ड्राइव प्लास्टिक: 1 चर आवृत्ति ड्राइव (VFD)। सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	-ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

				-अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।			
5	औषध	1 ग्लास लाइन वाला रिएक्टर 2 यूवी डिटेक्टर के साथ तरल क्रोमैटोग्राफी 3 रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर 4 सूखी इंजेक्शन भरने और पैकिंग लाइन मशीन। 5 पूरी तरह से स्वचालित ब्लिस्टर पैकिंग मशीन।	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग	-कम धूल प्रदूषण - ऊर्जा कुशल। - कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

		सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार		-शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।		बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	
6	ग्लास और सिरेमिक	1 ग्लास तड़के की भट्टी 2 पूर्ण स्वचालित इन्सुलेट ग्लास प्रसंस्करण	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा।	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान	-ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

		3 आंदोलन मोटर्स के लिए ऑन-ऑफ नियंत्रक बॉल मिल्स और आंदोलन मोटर्स में 4 VFD 5 ऊर्जा कुशल मोटर्स 6 ऊर्जा कुशल पंप सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	-अपशिष्ट उत्पादन -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	- यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।	स्वास्थ्य और सुरक्षा	किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	

7	रसायन	1परिवर्तनीय आवृत्ति चालक (VFD) 2 ऊर्जा कुशल पंप 3 हॉट एयर जेनरेटर और स्प्रे ड्रायर 4 थर्मिक फ्लुइड हीटर 5 स्वचालित डिस्क फिनिशिंग सिस्टम पीएलसी नियंत्रित क्षमता सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -खतरनाक अपशिष्ट -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	-ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

				-अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। - खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।			
8	फाउंड्री	1 ऊर्जा कुशल पिघलने वाली भट्टी 2 विभाजित विस्फोट कपोला ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था 3 अपशिष्ट गर्मी वसूली 4 इंडक्शन बिलेट हीटर 5 लकड़ी गैसीफायर 6 भट्ठी के लिए इन्सुलेशन	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -खतरनाक अपशिष्ट -वायु प्रदूषण	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की	-ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

		सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	-ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। - खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।		रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	
9	गूदा और कागज	1 बॉयलर दक्षता में सुधार	सुरक्षा और आग जोखिम।	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों	उपकरण का उपयोग	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	-ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत -

		2 बॉयलर फ़ीड पानी पंप दबाव ड्रॉप में कमी सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	-ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -खतरनाक अपशिष्ट -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन।	करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	(पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	कम जीएचजी उत्सर्जन।

				- खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।			
10	चमड़ा	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -खतरनाक अपशिष्ट -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के	ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

			(प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। - खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।		लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	
11	सीमेंट	प्री हीटर, प्री कैल्सीनर	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा।	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क,	ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत -

		सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	-टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -खतरनाक अपशिष्ट -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन।	स्वास्थ्य और सुरक्षा	चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	कम जीएचजी उत्सर्जन।

				- खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।			
12	स्टील री रोलिंग	अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणाली सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण -टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -खतरनाक अपशिष्ट -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। -यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क, चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के	ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत - कम जीएचजी उत्सर्जन।

			(प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन। - खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।		लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	
13	स्पंज आयरन	अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणाली	सुरक्षा और आग जोखिम। -ध्वनि प्रदूषण	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ऑपरेटरों को उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।	उपकरण का उपयोग करते समय सुरक्षा।	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जैसे मास्क,	ऊर्जा कुशल। -कम बिजली की खपत -

		सौर (पीवी) छत/जमीन - घुड़सवार	-टूट - फूट -जल प्रदूषण -अपशिष्ट उत्पादन -खतरनाक अपशिष्ट -वायु प्रदूषण -ई-कचरा उत्पादन (प्रयुक्त सौर पैनलों के लिए)	-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए उपकरण के संबंध में नियमित निरीक्षण किया जाता है। - यूनिट में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश/मैनुअल/उपकरण मौजूद होने चाहिए। -सुरक्षा के लिए उपकरण के बगल में क्या करें/क्या न करें का उल्लेख किया जाना चाहिए। -शोर गुणवत्ता निगरानी -शोर में कमी मफलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शोर से सुरक्षा के लिए कान प्लग। - कम टूट-फूट और बेहतर सुरक्षा के लिए मशीनों/उपकरणों का वार्षिक रखरखाव। -किसी भी जल प्रदूषण के लिए सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल उपचार। -अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियमों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन।	स्वास्थ्य और सुरक्षा	चश्मे, दस्ताने, हार्नेस प्रदान किए जाने चाहिए। किसी भी वायु जनित रोगों/वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग बिजली और खतरनाक क्षेत्रों में रखे खतरे के संकेतों के साथ डिस्प्ले बोर्ड।	कम जीएचजी उत्सर्जन।

				- खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन नियमों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन -वायु गुणवत्ता निगरानी -वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रयुक्त सौर पैनलों को ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अनुसार पुनर्नवीनीकरण/भंडारण/निपटान किया जाएगा।			

<u>अनुकूलन प्रौद्योगिकियां</u>:

क्रम संख्या	क्षेत्रों	प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप	पर्यावरण जोखिम	शमन	सामाजिक जोखिम	शमन	लाभ
1	कृषि	1. जलवायु-स्मार्ट सटीक सिंचाई प्रणाली और समाधान- एमएसएमई इकाइयों को सिंचाई समाधानों के विकास और वाणिज्यिक पैमाने पर तैनाती के लिए समर्थन दिया जाएगा जो पानी के उपयोग को कम करते हैं और जलवायु जोखिमों के लिए फसलों की लचीलापन बढ़ाते हैं।	विनिर्माण इकाई – - सुरक्षा जोखिम	- विनिर्माण इकाई में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग किया जा रहा है	-उच्च लागत -किसानों में कम जागरूकता जलवायु स्मार्ट	- प्रौद्योगिकियों पर दी जाने वाली सब्सिडी -स्मार्ट सिंचाई/जैव उर्वरकों के संबंध में किसानों के	-मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाएं -उपज बढ़ाएं -पानी के आवेदन को कम करें

		2. फसल प्रजनन कार्यक्रम, जैव उर्वरक और माइक्रोबियल कीटनाशक	- परिचालन के दौरान टूट-फूट	वार्षिक रखरखाव	प्रौद्योगिकी जनशक्ति के कारण	बीच क्षमता निर्माण	
2	जल संसाधन	1. वर्षा जल संचयन, सतही जल भंडारण, तूफानी जल प्रबंधन के लिए बायोस्वेल्स, जलभृत पुनर्भरण जैसे सूखा प्रवण क्षेत्रों में पानी के अति प्रयोग को कम करने के लिए जल कुशल प्रौद्योगिकियां	विनिर्माण इकाइयां – सुरक्षा जोखिम परिचालन के दौरान टूट-फूट	-विनिर्माण इकाई में उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग किया जा रहा है	उच्च लागत लोगों में कम जागरूकता	-टेक्नोलॉजी पर दी जाएगी सब्सिडी जल कुशल प्रौद्योगिकियों के लिए क्षमता निर्माण पहल।	-पानी का संरक्षण करें -पानी का उपयोग कम करें - पानी की खपत कम करें -वर्षा अपवाह में कमी -तूफानी जल प्रदूषकों से स्थानीय जलमार्गों की रक्षा करें
3	आपदा	3 जलवायु संबंधी प्राकृतिक खतरों की अग्रिम रूप से पहचान करने और जान-माल की हानि के लिए मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियां बाढ़ और अन्य आपदा प्रतिक्रिया सेवाएं	पर्यावरण को कोई बड़ा खतरा नहीं	विनिर्माण इकाई में पीपीई का उपयोग।	लोगों में कम जागरूकता	मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली के संबंध में क्षमता निर्माण पहल।	-आपदा की तैयारी - किसानों को किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने में

							मदद करता है
4	आईओटी	सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन- जलवायु संबंधी सेवाओं से संबंधित मोबाइल उपकरणों पर उपभोक्ता सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और उद्यम सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग। उदाहरण के लिए, मृदा नमी सेंसर, LiDAR, ड्रोन, IoT आधारित सेंसर, वायरलेस मेष नेटवर्क	निर्माण– सुरक्षा	विनिर्माण इकाई में पीपीई का उपयोग	लोगों में कम जागरूकता	सेंसर और सॉफ्टवेयर समाधान के बारे में क्षमता निर्माण पहल। इस सेक्टर में आने के लिए प्रेरित होंगे स्टार्टअप्स	प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में कमी -बेहतर निगरानी

9.2 क्षेत्र और हस्तक्षेपों की आधारभूत जानकारी

प्रस्ताव के विकास के दौरान, सिडबी ने भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध हरित अवसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न हितधारकों और मंचों में कई परामर्श आयोजित किए हैं। इन परामर्शों ने हमें एमएसएमई द्वारा बड़े पैमाने पर हरित पहलों को अपनाने/तैनात करने में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति दी है, जिसमें वित्त के प्रासंगिक चैनलों तक पहुंचने में उनकी चुनौतियां भी शामिल हैं। ये परामर्श हमारे वर्तमान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में मदद करने में मूल्यवान रहे हैं, जिससे हमें भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को हरा-भरा बनाने की मौजूदा जरूरतों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है।

सिडबी के परामर्शों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के आधार पर उन क्षेत्रों की आधारभूत सूचना से इसकी पुष्टि की गई है जिनमें सिडबी वित्तपोषण करेगा[11]।

साथ में, यह जानकारी **अनुलग्नक 4 (सेक्टर स्तर Analysis_Baseline डेटा) में पाई जा सकती है**।

9.3 पर्यावरण और सामाजिक कारण परिश्रम (ईएसडीडी)

किसी परियोजना से संबद्ध ई एंड एस जोखिमों, संबद्ध प्रभावों को समाप्त/न्यूनतम करने के लिए प्रस्तावित साधनों/प्रावधानों, उनकी पर्याप्तता का आकलन करने और अतिरिक्त उपायों का सुझाव देने के लिए प्रत्येक परियोजना ई एंड एस सम्यक परिश्रम (ईएसडीडी) के अध्यधीन होगी। ईएसडीडी को ई एंड एस चेकलिस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा। **चेकलिस्ट इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक 4 में साझा की गई है**।

प्रत्येक परियोजना ई एंड एस चेकलिस्ट में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है:

- नियामक दृष्टिकोण से वित्तपोषित नहीं किया जाएगा
- अन्य सभी मापदंडों के लिए, यह वित्तपोषण से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन के अधीन होगा

चेकलिस्ट में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले सभी आवेदन सिडबी के ईएसजी रेटिंग टूल के अनुसार ईएसजी रेटिंग के अधीन होंगे। ईएसजी रेटिंग टूल सिडबी को ई एंड एस जोखिम का आकलन करने और इसकी उचित कीमत तय करने में मदद करेगा। **ईएसजी रेटिंग टूल इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक 7 में साझा किया गया है।**

[11] बी, समीक्षा पोर्टल

9.4 ई एंड एस पर्यवेक्षण, निगरानी और रिपोर्टिंग

मंजूरी के बाद निगरानी और रिपोर्टिंग सिडबी की ईएसएमपी नीति के अनुसार की जाएगी **(अनुलग्नक 1 के खंड 9.2, 9.3 और 9.4 देखें)।**

- स्तर 1 (पीएफआई से सिडबी): सिडबी अपने वित्तपोषित पोर्टफोलियो पर, ईएसडीडी रिपोर्टों में प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए नमूना आधार पर साइट का दौरा करेगा। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष वित्तपोषण यानी PFI के माध्यम से वित्तपोषण के परिदृश्य में, PFI से SIDBI के E&S पर्यवेक्षण, निगरानी और रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार अनुपालन और रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जाएगी।
- स्तर 2 (सिडबी से जीसीएफ): सिडबी जीसीएफ को एक वार्षिक ई एंड एस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट की संरचना इस दस्तावेज के अनुबंध 8 में दी गई है।

सिडबी यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यवेक्षण, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक कौशल वाले अपेक्षित कर्मचारियों को नियोजित किया जाए।

9.5 जागरूकता और क्षमता निर्माण

कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए, यह आवश्यक है कि सिडबी संगठन की क्षमता और दक्षता को विकसित और बनाए रखे। परियोजना प्रबंधन या उद्योग विशिष्ट विशेषज्ञता जैसी मूलभूत क्षमताओं का निर्माण करके, सिडबी परियोजना से संबंधित ई एंड एस मुद्दों में प्रबंधन और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

सिडबी द्वारा अपनी संगठनात्मक क्षमता के साथ-साथ इसमें शामिल पीएफआई को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की जाएंगी:

1. **भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों के अपने कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करना:**
    - शमन और अनुकूलन परियोजनाओं में शामिल ई एंड एस जोखिम।
    - परियोजना प्रबंधन के विभिन्न घटक, परियोजना की शुरुआत से लेकर इसके पूरा होने तक परियोजना कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर स्पष्ट करना।
    - प्रभावी निगरानी के लिए परियोजना के तहत विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन किया जाना है।
2. **सिडबी और उधारकर्ताओं के बीच संपर्क के रूप में कार्य करने के संबंध में क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय मध्यस्थों को विशेष सहायता प्रदान करना।**

10. लागू प्रदर्शन मानकों (पीएस) का मानचित्रण

सिडबी के ईएसएमपी के अनुसार, जीसीएफ वित्तपोषित गतिविधियों के लिए सिडबी द्वारा समर्थित सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को आम तौर पर निम्नलिखित **8 पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन मानकों (पीएस) की सुरक्षा के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया जाएगा, जो पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), अनुकूलन निधि, हरित जलवायु निधि (जीसीएफ), विश्व बैंक आदि।**

ये निष्पादन मानक उन मानदंडों को स्थापित करते हैं जिनका उधारकर्ता या लाभार्थी और परियोजना को संपूर्ण परियोजना जीवन चक्र के दौरान अनुपालन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिकूल ई एंड एस प्रभावों से बचा जाए/उचित रूप से कम किया जाए और मुआवजा दिया जाए। ये ई एंड एस प्रदर्शन मानक इस प्रकार हैं:

► PS 1(SIDBI)/GCF ESS 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन

सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(१) वित्त पोषण प्रस्ताव के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान करें; यह ईएसजी रेटिंग टूल (अनुलग्नक 7) के माध्यम से किया जा रहा है जो परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान करता है

(२) शमन पदानुक्रम को अपनाएं: अनुमान लगाएं, बचें; कम करके बताना; क्षतिपूर्ति या ऑफसेट; इसे अनुलग्नक 7 के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है (जिसमें ग्रीन प्रदर्शन की गणना पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के बारे में उधारकर्ताओं से इनपुट के आधार पर की जाती है) और इसे उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में रेट किया गया है

(३) एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार; और

(४) फंडिंग प्रस्ताव चक्र के दौरान प्रभावित समुदायों या अन्य हितधारकों को शामिल करें। इसमें संचार और शिकायत तंत्र शामिल हैं।

► PS 2(SIDBI)/GCF ESS 2: श्रम आणि कामाच्या परिस्थिती

सिडबी का ईएसएमपी लागू भारतीय श्रम कानूनों को बढ़ावा देता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिसमें विशेष एमएसएमई (अनुलग्नक 2) शामिल हैं जिनमें बाल श्रम और जबरन श्रम की उपस्थिति है। इस नीति के माध्यम से सिडबी परियोजना प्रस्तावक को परियोजना स्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों में लगातार सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

जोखिमों की पहचान अनुबंध 2, अनुलग्नक 4 और अनुलग्नक 7 के माध्यम से की जाती है। न्यूनीकरण अनुबंध 7 के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक जोखिमों की जांच की जाती है और तदनुसार परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

सिडबी, और एमएसएमई मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने श्रमिकों के प्रबंधन से जुड़े सामाजिक और ओएचएस जोखिमों की पर्याप्त रूप से पहचान की जाए और उचित शमन उपाय किए जाएं। जैसा कि देखा गया है, इस तरह के जोखिमों को राष्ट्रीय और संबंधित राज्य श्रम कानूनों के अनुपालन के माध्यम से कम किया जा सकता है।

सिडबी के पास मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित कई विनियमन और नीतियां हैं जिनमें स्टाफ विनियम, प्रशिक्षण और विकास, व्यावसायिक स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति आदि शामिल हैं। मौजूदा मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाएं एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए भी लागू होंगी क्योंकि यह ईएसएस 2 की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

नीचे दी गई तालिका पहचान किए गए श्रम जोखिमों के प्रबंधन के संबंध में सिडबी, पीएफआई और एमएसएमई उधारकर्ताओं पर लागू विभिन्न ओएचएस और श्रम कानूनों का प्रतिनिधि है।

तालिका: प्रमुख हितधारकों के संबंध में पहचाने गए श्रम जोखिमों के प्रबंधन के लिए ओएचएस और श्रम कानून

हिस्सेदार	संभावित श्रम जोखिम	लागू ओएचएस और श्रम कानून
सिडबी	• मजदूरी का अनियमित भुगतान • भेदभाव, जिसमें पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच शामिल हैं	वेतन संहिता अधिनियम, 2019 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016
	• श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव • सभी कर्मचारियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था। • सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं तक पहुंच। • सभी काम के घंटों के दौरान आसानी से सुलभ सामग्री के साथ पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा बक्से या अलमारी। • कर्मचारी कल्याण उपाय जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार परिस्थितियों के तहत कर्मचारियों के सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक मानती है। • चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच सुविधाओं का अभाव	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2019
	• कर्मचारियों और अन्य हितधारकों का यौन उत्पीड़न/शोषण जिनके साथ परियोजना गतिविधियों के दौरान एक इंटरफेस हो सकता है	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम)
	• परियोजना श्रमिकों और अन्य हितधारकों के लिए अनुपस्थित, अप्रभावी या दुर्गम शिकायत निवारण तंत्र	औद्योगिक संबंध संहिता
	• स्पष्ट रूप से परिभाषित छुट्टी नीति का अभाव • सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव (ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, कर्मचारी भविष्य निधि)	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
	• लिखित रोजगार नियम और शर्तों का अभाव	वेतन संहिता अधिनियम, 2019

हिस्सेदार	संभावित श्रम जोखिम	लागू ओएचएस और श्रम कानून
		सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
कर्ज़दार	• पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय/पेयजल/लॉकर रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव • कर्मचारी कल्याण उपाय जिन्हें केन्द्र सरकार परिस्थितियों के अधीन कर्मचारियों के शिष्ट जीवन स्तर के लिए अपेक्षित मानती है। • साइट पर ट्रैफ़िक के लिए एक्सपोजर • अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के संपर्क में आना • अस्थापित ओवरटाइम गणना • चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच सुविधाओं का अभाव	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2019
	• भेदभाव, जिसमें पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच शामिल हैं • मजदूरी का अनियमित भुगतान	वेतन संहिता अधिनियम, 2019 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016
	• बाल और जबरन श्रम	बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
	• कर्मचारियों और अन्य हितधारकों का यौन उत्पीड़न/शोषण जिनके साथ परियोजना गतिविधियों के दौरान एक इंटरफेस हो सकता है	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम)
	• परियोजना श्रमिकों और अन्य हितधारकों के लिए अनुपस्थित, अप्रभावी या दुर्गम शिकायत निवारण तंत्र	औद्योगिक संबंध संहिता
	• स्पष्ट रूप से परिभाषित छुट्टी नीति का अभाव • सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव (ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, कर्मचारी भविष्य निधि)	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
	• लिखित रोजगार नियम और शर्तों का अभाव	वेतन संहिता अधिनियम, 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
	• संघ या सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का अभाव	ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
	• श्रम शिविर में अस्वास्थ्यकर रहने की स्थिति	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
	• हानिकारक रसायनों के संपर्क में (अपशिष्ट हैंडलिंग के दौरान)	खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम, 2016 निर्माण, भंडारण, और खतरनाक रसायनों के आयात (MSIHC) नियम, 1989 के रूप में अब तक संशोधित

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि लागू नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की जिम्मेदारी एमएसएमई मालिकों की ओर से है *और सिडबी इस संबंध में संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए अनुपालन विवरण पर पूरी तरह से निर्भर करेगा*।

► PS 3(SIDBI)/ GCF ESS 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण की रोकथाम

सिडबी, अपने वित्तीय मध्यस्थों और अन्य हितधारकों के साथ परियोजनाओं को बढ़ावा देगा जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर न्यूनतम/कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और गतिविधि से अपशिष्ट उत्पादन में कमी आएगी या इसके परिणामस्वरूप होगा।

इन उद्देश्यों को सत्यापित करने के लिए परियोजना की प्रभावी ढंग से जांच की जाएगी और परियोजना के जोखिम को कम करने और परियोजना चक्र के दौरान इन प्रभावों को कम करने के लिए नियमित निगरानी/अनुवर्ती दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा।

परियोजनाओं की जांच ईएसजी रेटिंग टूल (अनुलग्नक 7) के माध्यम से की जाएगी जो परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान करता है। यदि परियोजनाओं में प्रदूषण की संभावना है तो इसे अनुलग्नक 7 के अनुसार जांचा जाएगा और इस तरह पीएस 3 / ईएसएस 3 का अनुपालन करने के लिए संबंधित इकाइयों को शमन सुझाव दिए जाएंगे और अनुपालन हो जाने के बाद, केवल परियोजनाओं को ऋण देने के लिए मंजूरी दी जाएगी।

► PS 4(SIDBI)/GCF ESS 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा

सिडबी इस नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने वित्तीय मध्यस्थों के साथ यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना गतिविधियों का समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा पर न्यूनतम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसकी जांच अनुबंध 4 और अनुबंध 7 के माध्यम से की गई है जिसमें परियोजना के सभी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा/सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा गया है। यह लिंग आधारित हिंसा (GBV) और यौन शोषण, दुर्व्यवहार और स्वास्थ्य (SEAH) के जोखिमों से बचाव सुनिश्चित करता है।

स्क्रीनिंग के अनुसार, शमन उपायों के बारे में सूचित किया जाता है और उधारकर्ताओं को ऋण प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए कहा जाता है। एई उधारकर्ताओं को कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान ऐसे जोखिमों से प्रभावी ढंग से बचने या प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

► PS 5(SIDBI)/GCF ESS 5: भूमि अधिग्रहण, भूमि उपयोग पर प्रतिबंध और अनैच्छिक पुनर्वास

सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ किसी भी एमएसएमई संचालन का समर्थन नहीं करेंगे जिसके परिणामस्वरूप:

(१) अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और लोगों का भौतिक और/या आर्थिक विस्थापन (संरचनाओं, आजीविका और सामान्य संसाधनों तक पहुंच का नुकसान)।

यह प्रदर्शन मानक (पीएस 5)/जीसीएफ ईएसएस 5 आमतौर पर लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि इस मानदंड की प्रारंभिक स्तर पर बहिष्करण सूची (अनुबंध 2) और ईएसडीडी (अनुबंध 4) के माध्यम से जांच की जाती है। यदि ईएसएस 5/पीएस 5 को लागू किया जाता है तो परियोजना को उधार देने के लिए विचार नहीं किया जाता है।

ग्रीनफील्ड परियोजना के मामले में, भूमि अधिग्रहण राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मौजूदा कानून के अनुसार किया जाता है और ग्रीनफील्ड में इकाई स्थापित करने वाले एमएसएमई अधिकांशत सरकार से ही इसकी खरीद करेंगे। तथापि, यदि किसी भी माध्यम से पीएस 5 (अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास के लिए अग्रणी) को ट्रिगर किया

जाता है, तो सहायक रेलवे ईएसएमएस के अनुलग्नक 8 के रूप में संलग्न पुनर्वास कार्य योजना (6 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की ऋण आवश्यकता के साथ उप-परियोजना के लिए लागू) में उल्लिखित उचित परिश्रम सुनिश्चित करेगा ।

► **PS 6(SIDBI)/GCF ESS 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन**

सिडबी नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना गतिविधियां जैव विविधता को प्रभावित नहीं करेंगी और उन्हें जीवित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन का पूरक होना चाहिए और उधारकर्ताओं को ऐसे जोखिमों से प्रभावी ढंग से बचने या प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

परियोजनाओं की जांच अनुबंध 2, अनुबंध 4 और अनुबंध 7 के आधार पर की जाती है।

पीएस 6/ईएसएस 6 जोखिमों को वनों, वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं को उधार न देकर कम किया जाता है जिससे जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन में मदद मिलती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमएसएमई औद्योगिक समूहों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों के क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, इसलिए ईएसएस 6 लागू होने की संभावना न्यूनतम है और इसे ऊपर उल्लिखित अनुलग्नकों के माध्यम से कम किया जाता है।

► **पीएस 7(सिडबी)/जीसीएफ ईएसएस 7: स्वदेशी लोग/उप-सहारा अफ्रीकी ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक स्थानीय समुदायों को कम सेवा प्रदान करते हैं**

ऋण आवेदन के समय, उधारकर्ता से पर्यावरण और सामाजिक सम्यक परिश्रम चेकलिस्ट (अनुलग्नक 4) भरने का अनुरोध किया जाता है, जिसमें एमएसएमई इकाइयों के स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थात क्या परियोजना/इकाई आदिवासी/स्वदेशी लोगों के महत्वपूर्ण निपटान वाले क्षेत्रों में स्थापित की जा रही है।

सिडबी के संबंधित शाखा कार्यालय में चेकलिस्ट जमा करने के बाद, शाखा अधिकारी इकाई में साइट विजिट के माध्यम से संबंधित उत्तरों के उचित परिश्रम की जांच करते हैं। चेकलिस्ट के अलावा, यूनिट को बहिष्करण सूची (अनुलग्नक 2) के आधार पर जांचा जाता है।

यदि यह पाया जाता है कि परियोजना स्थान/इकाई में शामिल स्वदेशी लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो परियोजना को अनुमोदित नहीं किया जाता है और उधार देने पर विचार नहीं किया जाता है। ईएसएस 7/पीएस 7 को वर्तमान परियोजना में लागू किए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि एमएसएमई औद्योगिक समूहों / विशेष आर्थिक क्षेत्रों के क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, हालांकि इसे बहिष्करण सूची (अनुलग्नक 2), ईएसडीडी (अनुलग्नक 4) के माध्यम से जांचा जाएगा और यदि पाया जाता है तो ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित नहीं किया जाएगा।

यह देखते हुए कि एमएसएमई औद्योगिक समूहों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, सिडबी की परियोजना से स्वदेशी लोगों, उनकी भूमि, संस्कृति, आजीविका या जीवन के तरीके पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

हालांकि, स्वदेशी लोगों पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए एक स्वदेशी लोगों की रूपरेखा (आईपीएफ) विकसित की गई है (अनुलग्नक 6 देखें)। इसके अलावा, स्वदेशी समुदायों और स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक स्वदेशी जन योजना (आईपीपी)

विकसित की जाएगी, जहां प्रभावों की पहचान की जाती है, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नकारात्मक या सकारात्मक हों, यदि आईपीपी के लिए आवश्यक प्रकटीकरण के साथ लागू हो।

► PS 8(SIDBI)/GCF ESS 8: सांस्कृतिक विरासत

सिडबी उन परियोजनाओं की सहायता नहीं करेगा जिनका देश की सांस्कृतिक विरासत या ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इसकी जांच बहिष्करण सूची (अनुबंध 2) और ईएसडीडी (अनुबंध 4) के माध्यम से की जाएगी। जिन स्थानों पर सांस्कृतिक विरासत मौजूद है, वहां आने वाली परियोजनाओं को बहिष्करण सूची के अनुसार वित्त पोषित नहीं किया जाएगा।

PS6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, PS7: स्वदेशी लोग और PS8: सांस्कृतिक विरासत इस परियोजना के लिए लागू नहीं होगी क्योंकि परियोजना की गतिविधियाँ इनमें से किसी भी मुद्दे को संबोधित या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

11. शिकायत निवारण तंत्र

सिडबी की शिकायत निवारण नीति **(संलग्नक 3 देखें)** ग्राहक सेवा और ग्राहक संतुष्टि के सिद्धांतों पर आधारित है जो बदले में इसके ग्राहक आधार को व्यापक बनाएगी। शिकायत निवारण पर सिडबी की नीति मोटे तौर पर निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करती है:

- ग्राहकों के साथ हमेशा उचित व्यवहार किया जाना चाहिए
- ग्राहकों द्वारा उठाई गई शिकायतों का निपटान शिष्टाचार और समय पर किया जाता है
- सिडबी सभी शिकायतों को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से निपटाएगा क्योंकि अन्यथा संभालने पर वे बैंक की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं
- सिडबी के कर्मचारियों को ग्राहक के हितों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सद्भाव में और बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करना चाहिए
- ग्राहकों को संगठन के भीतर अपनी शिकायतों/शिकायतों को बढ़ाने के तरीकों और वैकल्पिक समाधान के उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है यदि वे अपनी शिकायतों पर बैंक की प्रतिक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं

उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए, जीआरएम में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

अ. शिकायत का पंजीकरण: ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी चैनल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है:

- व्यक्तिगत रूप से शिकायत
- डाक/मेल/ईमेल के माध्यम से शिकायतें
- शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और
- लोक शिकायत पोर्टल जैसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें (www.pgportal.gov.in)

आ. सिडबी कार्यालयों में अनिवार्य प्रदर्शन/प्रकटीकरण अपेक्षाएं : शिकायतों को आसानी से दायर करने के लिए सिडबी कार्यालयों में निम्नलिखित प्रदर्शित/प्रकट किए जाते हैं।

- शिकायत पुस्तिका /
- शिकायतें/सुझाव पेटी
- सिडबी वेबसाइट के होमपेज पर शिकायत फॉर्म
- शिकायतों के लिए नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदर्शित करने वाला नोटिस बोर्ड, 8 कार्य दिवसों के भीतर अनसुलझी शिकायतों का बढ़ना, और निवारण से संतुष्ट न होने पर मुख्य शिकायत अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए।

इ. शिकायतों/शिकायतों का समाधान: इस प्रक्रिया में शामिल हैं

- शिकायत प्राप्त होने के बाद पावती
- वृद्धि मैट्रिक्स
- असंतुष्ट शिकायतों को उच्च स्तर पर भेजना, आदि।

बेनामी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है। बैंक द्वारा प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समाधान सामान्यतः निम्नलिखित वृद्धि मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित समय के भीतर करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं:

तालिका: सिडबी में वृद्धि मैट्रिक्स

स्तर	सिडबी कार्यालय	अधिकारी प्रभारी	समाधान समय (कार्य दिवसों की संख्या)
पहला	शाखा कार्यालय	शाखा स्तर पर नोडल अधिकारी	8
दूसरा	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारी	5
तीसरा	प्रधान कार्यालय	मुख्य शिकायत अधिकारी	6

कुछ शिकायतें हो सकती हैं जिनके लिए सभी संभावित कोणों से गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, बैंक शिकायत प्राप्त होने से एक महीने के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा। असंतोषजनक समाधान के मामले में, संकल्प को उच्च स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।

11.1 सिडबी का 3-टियर जीआरएम

सिडबी की तीन स्तरीय शिकायत/शिकायत निवारण प्रणाली है। विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर 1 – शाखा कार्यालय स्तर

शाखा कार्यालय में, व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज की जा सकती है, सिडबी को डाक/ईमेल किया जा सकता है और ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।

जब कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो एक विशिष्ट शिकायत आईडी तैयार/जारी की जाएगी। शिकायतें दर्ज करते समय निम्नलिखित पूर्ण विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि समग्र और समयबद्ध तरीके से चिंता (चिंताओं) का समाधान किया जा सके:

- शिकायतकर्ता का पूरा नाम
- ग्राहक ID यदि कोई मौजूदा ग्राहक है
- शिकायतकर्ता का संपर्क विवरण (पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल)
- उद्देश्य के आधार पर लेनदेन/शिकायत आईडी की संदर्भ संख्या

शिकायत दर्ज करने के 8 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर प्राप्त न होने या असंतोषजनक उत्तर के मामले में, शिकायत आईडी का उपयोग करके इसे स्तर 2 तक बढ़ाया जा सकता है।

स्तर 2 - क्षेत्रीय कार्यालय स्तर

शिकायत या असंतोषजनक उत्तर दर्ज करने के 8 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में, शिकायत आईडी का उपयोग करके शिकायत इसे स्तर 2 (क्षेत्रीय प्रभारी) तक बढ़ा सकती है।

स्तर 3 - प्रधान कार्यालय स्तर

यदि पंजीकृत शिकायत क्षेत्रीय स्तर (स्तर 2) पर वृद्धि की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर संतोषजनक ढंग से हल नहीं होती है, तो शिकायतकर्ता निवारण के लिए मुख्य शिकायत अधिकारी/वैकल्पिक मुख्य शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

सिडबी के पास एक कार्यात्मक और अच्छी तरह से संरचित त्रि-स्तरीय जीआरएम है। मौजूदा जीआरएम का उपयोग द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। सिडबी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके जीआरएम का सभी हितधारकों के स्तर पर पर्याप्त रूप से विज्ञापन दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, *कार्यक्रम के लिए एक केंद्र बिंदु नियुक्त या नामित किया जाएगा* जिसे किसी भी परियोजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने या सुझाव / शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक पीएफआई के लिए फोकल प्वाइंट का विवरण सिडबी/परियोजना वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

जीआरएम परियोजना की समग्र प्रभावशीलता और दक्षता की जांच करने के लिए, वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जीआरएम के प्रदर्शन में सुधार की सुविधा और आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ परिणाम साझा किए जाएंगे। ऐसे मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं का आकलन किया जा सकता है:

- प्राप्त शिकायतों/प्रश्नों की संख्या,
- शिकायतकर्ताओं की श्रेणी (हितधारक का प्रकार),
- शिकायतों की स्थिति (अस्वीकृत, बंद, फिर से खोली गई, चल रही),
- शिकायतों के समाधान में शामिल प्रतिक्रिया समय,
- पीड़ित/शिकायतकर्ताओं, यदि कोई हो, से प्रतिक्रिया

इसके अतिरिक्त, जीसीएफ स्वतंत्र प्रतितोष तंत्र (आईआरएम) तक निम्नलिखित लिंक (https://irm.greenclimate.fund/) पर पहुंचा जा सकता है , जिसमें प्रभावित पक्ष/व्यक्ति हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं/कार्यक्रमों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

11.2 हितधारक जुड़ाव

सिडबी हितधारकों के नियमित जुड़ाव (विभिन्न हितधारक समूहों के साथ) आयोजित करने का प्रयास करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया पर विचार किया जा सके।

स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट प्लान नामक अनुबंध के साथ एक विस्तृत स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट प्लान प्रदान किया गया है।

11.3 ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए शिकायत निवारण

- सिडबी के गैर-ग्राहकों, जो परियोजना के हितधारक हैं, के लिए, भारत सरकार/सिडबी/जीसीएफ के शिकायत निवारण तंत्र को हितधारकों की नियुक्ति के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। स्टेकहोल्डरों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और दिए गए परियोजना क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जारी रहेगी, जिससे शिकायत निवारण तंत्र के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा होगी।
- अन्य सभी हितधारकों के लिए, एक केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CGPRAMS) है[12] , जो भारत के नागरिकों के लिए 24x7 अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। प्रत्येक मंत्रालय और राज्यों की इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंच है। सीपीजीआरएएमएस को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकने वाले स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन और उमंग के साथ

[12] https://pgportal.gov.in/

एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी नागरिकों के लिए सुलभ है। सीपीजीआरएएमएस में दर्ज शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है। CPGRAMS नागरिकों को अपील की सुविधा भी प्रदान करता है यदि वे शिकायत अधिकारी द्वारा समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। शिकायत बंद होने के बाद यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर रेटिंग "खराब" है, तो अपील दायर करने का विकल्प चालू कर दिया जाता है. अपील की स्थिति को याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ भी ट्रैक किया जा सकता है।

11.4 लिंग आधारित हिंसा और SEAH के लिए शिकायत निवारण

SIDBI ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) को अपनाया है। **यह अनुलग्नक 2 में विस्तृत है और लिंग आधारित हिंसा (GBV) और यौन शोषण, दुर्व्यवहार और स्वास्थ्य (SEAH) के जोखिम को संबोधित करता है।**

अधिनियम में यौन उत्पीड़न के रूपों, रोकथाम और निषेध योजनाओं, निवारण और शिकायतकर्ता के अधिकारों पर प्रावधान हैं। निम्नलिखित प्रवाह चार्ट यौन उत्पीड़न की शिकायत उठाने की प्रक्रिया को सूचीबद्ध करता है।

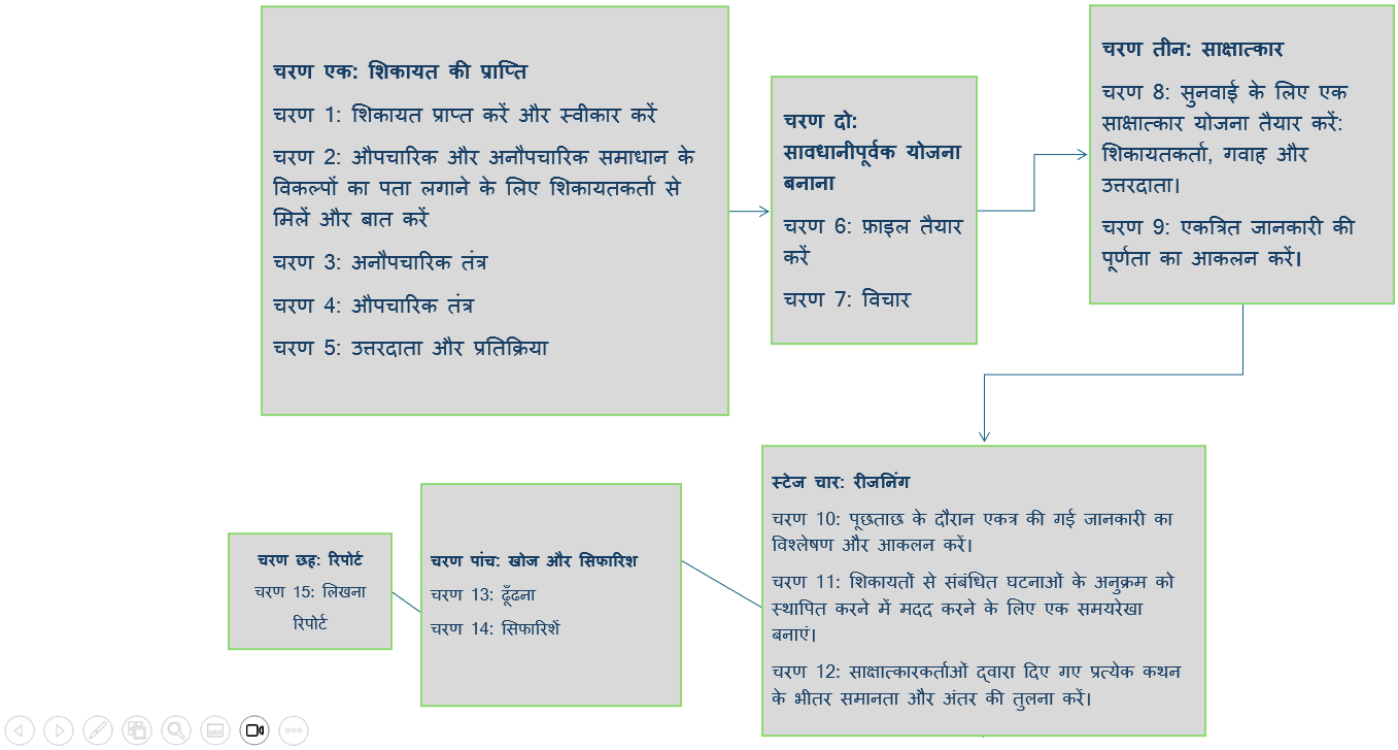

सिडबी इस संबंध में लागू सरकारी मानदंडों के अनुसार एसईएएच घटनाओं को शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करेगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत में कार्यस्थल अधिनियम, 2013 पर एक विशिष्ट कानून (रोकथाम, निषेध और निवारण) है।

कार्यस्थल की परिभाषा के अनुसार, कर्मचारी, नियोक्ता काफी व्यापक हैं और लगभग हर चीज को कवर करते हैं। इसके अलावा, अधिनियम में अनुपालन के उपयुक्त प्रावधान के साथ-साथ गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी हैं।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

एक. कार्यस्थल को परिभाषित करने के लिए सभी प्रकार के संगठन, अस्पताल / नर्सिंग होम, खेल संस्थान, कर्मचारी द्वारा रोजगार के कारण या उचित समय पर आने वाले किसी भी स्थान, निवास स्थान / घर, असंगठित क्षेत्र आदि शामिल हैं। इसलिए, इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल की परिभाषा बहुत व्यापक है

दो. आंतरिक समिति का गठन और उसी की संरचना

तीन. स्थानीय शिकायत समिति का गठन

चार. पीड़ित व्यक्तियों द्वारा शिकायत दायर करने की प्रक्रिया

पाँच. जांच प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

छः. नियोक्ता के कर्तव्य- अधिनियम के अनुसार, नियोक्ता निम्नलिखित कार्य करेंगे:

- कार्यस्थल पर एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करें
- कार्यस्थल में किसी भी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम; और आंतरिक समिति का गठन करने वाला आदेश
- नियमित अंतराल पर विषय के संबंध में कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें
- शिकायतों से निपटने/जांच करने के लिए आंतरिक समिति को आवश्यक सुविधाएं
- आंतरिक समिति के समक्ष प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करना
- आंतरिक समिति को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, जैसा भी मामला हो,
- यदि महिला शिकायत दर्ज करना चाहती है तो उसे सहायता प्रदान करें
- भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराधी के विरुद्ध या व्यथित महिला ऐसी इच्छा रखती है, जहां अपराधी कर्मचारी नहीं है, उस कार्यस्थल में, जहां यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी, कार्रवाई शुरू करने का कारण
- सेवा नियमों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को कदाचार के रूप में मानें और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू करें
- आंतरिक समिति द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निगरानी करना

एई यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संस्थागत व्यवस्था का पीएफआई और एमएसएमई द्वारा पालन किया जाता है और अनुबंध 8 में विस्तृत कार्यक्रम के तहत रिपोर्टिंग तंत्र के अनुसार इसकी उचित रिपोर्टिंग की जाती है **।**

11.5 हितधारक परामर्श, शिकायतों का सार्वजनिक प्रकटीकरण

सिडबी अधिदेश देता है कि कार्यान्वयन एजेंसियां/पीएफआई किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाने में यथाशीघ्र हितधारकों की पहचान करें। प्रारंभिक पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिंग के परिणाम, और पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन का मसौदा, सार्वजनिक परामर्श (ऑनलाइन और भौतिक प्रकटीकरण दोनों के माध्यम से) के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पणधारियों की भागीदारी का कार्यक्षेत्र और बारंबारता कार्यक्रम की प्रकृति और पैमाने तथा इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों पर निर्भर करती है। हितधारक सहभागिता योजना संबंधित हितधारकों की पहचान करेगी, हितधारकों के साथ जुड़ाव की योजना बनाएगी, समयबद्ध तरीके से परियोजना से संबंधित जानकारी का खुलासा करेगी और शिकायतों का समाधान और जवाब देगी।

11.6 संघर्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन:

सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा:

लागू आवश्यकताओं के अनुपालन में स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को किसी विशेष परियोजना को पूरा करने से पहले और बाद में जांच और संतुलन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

ईएसडीडी और ईएसजी रेटिंग टूल के माध्यम से उधार देने से पहले व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का विश्लेषण किया जाएगा। तथापि, सिडबी/पीएफआई वाषक आधार पर लेखा परीक्षा (ईएसएमएस का अनुलग्नक 8) करता है जिसमें ईएसएमएस के कार्यान्वयन पर ओएचएस सहित सिडबी के सभी श्रम प्रबंधन दृष्टिकोण निर्धारित किए जाते हैं।

अपेक्षित इकाई में किसी भी स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दे के बने रहने के मामले में, यह मेजबान/उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह मामले को देखें और प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल देने के लिए तत्काल कदम उठाएं और समस्या का निवारण करें और प्रभावित कर्मचारी को मुआवजा दें।

भूमि अधिग्रहण:

किसी भी परियोजना का चयन करने से पहले प्रक्रियात्मक जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त परियोजना में निकाली गई भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, और कोई पुनर्वास नहीं है। इसकी ईएसडीडी चेकलिस्ट के माध्यम से परियोजना के प्रारंभिक चरण में जांच की जाती है।

भारत में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिये कंसेंट टू सेटियल (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है। प्रक्रिया राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को आवेदन करने के साथ शुरू होती है। सीटीई के लिए, परियोजना विवरण, पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं और साइट लेआउट जमा करें। जांच और स्थल निरीक्षण के बाद सीटीई प्रदान की जाती है। निर्माण के बाद, अनुपालन रिपोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रदान करके सीटीओ के लिए आवेदन करें। एसपीसीबी पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल का पुन निरीक्षण करता है। अनुपालन में पर्यावरण मंजूरी, सीटीई में निर्धारित शर्तों का पालन करना और अनुमेय सीमाओं को पूरा करने के लिए प्रदूषक स्तरों की निगरानी करना शामिल है। समय पर नवीनीकरण और नियमित पर्यावरण लेखा परीक्षा अनिवार्य है।

ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के मामले में स्थापित करने के लिए सहमति (सीटीई) और प्रचालन हेतु सहमति (सीटीओ) प्राप्त करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। सीटीई और सीटीओ दोनों के लिए आवेदन प्रक्रिया में परियोजना के लिए नामित विशिष्ट भूमि क्षेत्र सहित विस्तृत परियोजना योजनाएं प्रस्तुत करना शामिल है। आवेदन करने से पहले इस भूमि को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए और कानूनी रूप से अधिग्रहित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) इस विशिष्ट भूमि पर परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करता है और भारत सरकार के पर्यावरणीय विनियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल निरीक्षण करता है।

सिडबी को सीटीई और सीटीओ की आवश्यकता होती है यदि भूमि अधिग्रहण वाले क्षेत्रों में एक इकाई आ रही है। इस उचित परिश्रम का उल्लेख ईएसडीडी (अनुबंध 4) में किया गया है।

स्वदेशी लोग:

बहिष्करण सूची के अनुसार जिन ऋणों में "सीमित बाहरी संपर्क वाले स्वदेशी लोगों को किसी भी तरह से प्रभावित करने वाली परियोजनाएं, जिन्हें "स्वैच्छिक अलगाव में", "अलग-थलग लोगों" या "दूरस्थ समूहों" के रूप में भी जाना जाता है, को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।

एक परियोजना का चयन करने से पहले और एक परियोजना की निरंतरता के दौरान एक कानूनी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी परियोजनाएं सभी लागू कानूनों के अनुपालन में हैं।

संभावित ऋणों की पूरी तरह से जांच करने के लिए उचित जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी को कानूनी रूप से उक्त परियोजना के अनुरूप अनुमति दी गई है और ऋण चुकाने के लिए बंधक और सुरक्षा के मामले में वित्तीय रूप से सक्षम है।

इसके अलावा, स्वदेशी समुदायों और स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) विकसित की जाएगी, जहां प्रभावों की पहचान की जाती है, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नकारात्मक या सकारात्मक हों, यदि आईपीपी के लिए आवश्यक प्रकटीकरण के साथ लागू हो।

परियोजना/कार्यक्रम डिजाइन के चरण में प्रत्येक परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान और आकलन करना।

(1) परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) जोखिमों से बचने या कम करने या कम करने या प्रबंधित करने के उपायों को अपनाता है; यह कार्यान्वयन के दौरान और अंत में उन उपायों की स्थिति की निगरानी कर सकता है।

(2) ई एंड एस पहलुओं पर सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के सतत विकास में तेजी आए।

7. पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानक (पीएस)

जीसीएफ वित्तपोषित गतिविधियों के लिए सिडबी द्वारा समर्थित सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों (एएफडी, केएफडब्ल्यू, एडीबी, विश्व बैंक, आदि) से ऋण श्रृंखला के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जाएगी और आम तौर पर निम्नलिखित नौ पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानकों (पीएस) की सुरक्षा के लिए डिजाइन और कार्यान्वित की जाएगी, जो पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), अनुकूलन निधि, हरित जलवायु निधि (जीसीएफ), विश्व बैंक आदि जैसे देशों के विभिन्न घटक हैं।

ये निष्पादन मानक उन मानदंडों को स्थापित करते हैं जिनका उधारकर्ता या लाभार्थी और परियोजना को संपूर्ण परियोजना जीवन चक्र के दौरान अनुपालन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिकूल ई एंड एस प्रभावों से बचा जाए/उचित रूप से कम किया जाए और मुआवजा दिया जाए। ये ई एंड एस प्रदर्शन मानक इस प्रकार हैं:

- **पीएस 1: पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन**
  सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ (i) वित्त पोषण प्रस्ताव के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान करेंगे; (ii) शमन पदानुक्रम को अपनाना: अनुमान लगाना, बचना; कम करके बताना; क्षतिपूर्ति या ऑफसेट; (iii) पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निष्पादन में सुधार करना; और (iv) फंडिंग प्रस्ताव चक्र के दौरान प्रभावित समुदायों या अन्य हितधारकों को शामिल करना। इसमें संचार और शिकायत तंत्र शामिल हैं।

- **पीएस 2: श्रम और काम करने की स्थिति**
  सिडबी की पर्यावरण और सामाजिक नीति लागू भारतीय श्रम कानूनों के अनुपालन को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है, जिसमें बाल श्रम और जबरन श्रम की उपस्थिति वाले किसी भी एमएसएमई का बहिष्करण शामिल है। इस नीति के माध्यम से सिडबी परियोजना प्रस्तावक को परियोजना स्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों में निरंतर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

- **पीएस 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण की रोकथाम**
  सिडबी, अपने वित्तीय मध्यस्थों और अन्य हितधारकों के साथ-साथ परियोजनाओं को बढ़ावा देगा, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर न्यूनतम/कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और गतिविधि से अपशिष्ट

उत्पादन में कमी आएगी या इसके परिणामस्वरूप होगा। इन उद्देश्यों को सत्यापित करने के लिए परियोजना की प्रभावी ढंग से जांच की जाएगी और नियमित निगरानी/अनुवर्ती दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावक पूरे परियोजना चक्र के दौरान इन प्रभावों का प्रबंधन और कम करें।

- **पीएस 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा**
  सिडबी इस नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने वित्तीय मध्यस्थों के साथ यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना गतिविधियों का समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, यह स्वीकार करता है कि परियोजना कार्यान्वयन और उधारकर्ताओं को ऐसे जोखिमों से प्रभावी ढंग से बचने या प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

- **पीएस 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास**
  सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ किसी भी एमएसएमई संचालन का समर्थन नहीं करेंगे जिसके परिणामस्वरूप: (i) अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और लोगों का भौतिक और/या आर्थिक विस्थापन (संरचनाओं, आजीविका और सामान्य संसाधनों तक पहुंच का नुकसान)।

- **पीएस 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन**
  सिडबी नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना गतिविधियां जैव विविधता को प्रभावित नहीं करेंगी और उन्हें जीवित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन का पूरक होना चाहिए और उधारकर्ताओं को ऐसे जोखिमों से प्रभावी ढंग से बचने या प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

- **पीएस 7: स्वदेशी लोग**
  सिडबी की परियोजना से स्वदेशी लोगों, उनकी भूमि, संस्कृति, आजीविका या जीवन के तरीके पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। तथापि, परियोजना जांच चरण के दौरान, सिडबी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी परियोजना अथवा इसके वित्तीय मध्यस्थों का परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- **पीएस 8: सांस्कृतिक विरासत**
  सिडबी उन परियोजनाओं की सहायता नहीं करेगा जिनका देश की सांस्कृतिक विरासत या ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- **पीएस 9: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण**
  सिडबी का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। SIBDI उधारकर्ताओं को व्यावसायिक गतिविधियों और अनपेक्षित प्रभावों से लिंग संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एसआईबीडीआई लैंगिक समानता और समानता के लिए प्रतिबद्ध है और आंतरिक और बाहरी रूप से अपनी गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहा है।

8. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

सिडबी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय मध्यस्थ/कार्यान्वयन संस्थाएं ऊपर पहचाने गए प्रदर्शन मानकों से जुड़े सभी जोखिमों सहित ई एंड एस जोखिमों की सीमा निर्धारित करने के लिए सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग के लिए

जिम्मेदार होंगी। परियोजनाओं/कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने वाले वित्तीय मध्यस्थ/कार्यान्वयन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के ई एंड एस प्रभावों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है; सभी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों से बचने, कम करने या कम करने के लिए उपायों की पहचान की जाती है; और यह कि ऐसे उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है और परियोजना/कार्यक्रम के जीवनकाल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

जहां कहीं वित्तीय मध्यस्थों/कार्यान्वयन संस्थाओं के पास ई एंड एस जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए अपेक्षित क्षमताएं नहीं हैं, सिडबी उन्हें या तो अपने स्टाफ और/या परामर्शदाताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा और इसके लिए लागत परियोजना लागत का एक हिस्सा होगी।

9. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति - कार्यान्वयन योजना

9.1 ई एंड एस जोखिम की स्क्रीनिंग और वर्गीकरण

सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ उन परियोजनाओं की जांच करेंगे कि प्रस्तावित परियोजनाएं/कार्यक्रम परिशिष्ट-I में दी गई परियोजनाओं की नकारात्मक/बहिष्करण सूची में नहीं हैं।

विनियामक ढांचे और विभिन्न प्रकार की इकाइयों से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों के आधार पर, एमएसएमई क्षेत्रों को बी1, बी2, बी3 और बी4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां बी1 श्रेणी की इकाइयों में पर्यावरण जोखिमों की अधिक संभावना है, इसके बाद बी2, बी3 और बी4 श्रेणी की इकाइयों में सबसे कम जोखिम है।

बी 1 से बी 4 श्रेणियां क्रमशः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की लाल, नारंगी, हरी और सफेद श्रेणियों के बराबर हैं, और उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम के बराबर हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

श्रेणियाँ		
सिडबी	**सीपीसीबी**	**जोखिम स्तर**
बी 1	ललौहा-भूरा	उच्च
बी 2	नारंगी	मध्यम
बी 3	हरा	संख्या आदि
बी 4	सफेद	संख्या आदि

उद्योगों के वर्गीकरण पर एक सीपीसीबी मार्गदर्शन दस्तावेज[1] को इकाई के प्रदूषण क्षमता और क्षेत्र का पता लगाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है ताकि इकाई को बी 1, बी 2, बी 3 और बी 4 के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। लागू परियोजना/कार्यक्रम से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों पर प्रमोटर से घोषणा प्राप्त की जाएगी और समुदाय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक चेकलिस्ट के माध्यम से जांच की जाएगी (**परिशिष्ट - II देखें**)।

9.2 ई एंड एस जोखिम का आकलन

इस प्रारंभिक जांच के अतिरिक्त, परियोजना/कार्यक्रम प्रस्तावक को सिडबी अथवा इसके वित्तीय मध्यवतयों को सभी संगत सूचना/ब्यौरे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ संभावित जोखिमों और परियोजना / कार्यक्रम के पर्यावरण और सामाजिक अनुपालन की जांच दस्तावेज सत्यापन, साइट के दौरे और/या ग्राहकों द्वारा परिशिष्ट II में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर परामर्श के माध्यम से **करेंगे**।

स्क्रीनिंग और ई एंड एस जोखिमों पर विचार करने पर, मूल्यांकन प्राधिकारी परियोजना / कार्यक्रम के अनुमोदन पर उपयुक्त निर्णय ले सकता है।

9.3 निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन

सिडबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करने वाली कार्यान्वयन संस्थाएं परियोजना/कार्यक्रम मूल्यांकन, डिजाइन और कार्यान्वयन के दौरान कार्यान्वयन इकाई द्वारा पहचाने गए सभी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का समाधान करेंगी। कार्यान्वयन संस्थाओं की वार्षिक परियोजना / कार्यक्रम प्रदर्शन रिपोर्ट में किसी भी पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक खंड शामिल होगा, जिसमें पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से बचने, कम करने या कम करने के लिए आवश्यक उपाय शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी शामिल होगा, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी सुधारात्मक कार्यों का विवरण जो आवश्यक समझा जाता है। मध्यावधि और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्टों में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के संबंध में परियोजना/कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन भी शामिल होगा।

9.4 सार्वजनिक प्रकटीकरण और परामर्श

कार्यान्वयन संस्थाएं स्टेकहोल्डरों की पहचान करेंगी और सिडबी द्वारा सहायता प्राप्त किसी परियोजना/कार्यक्रम की योजना बनाने में यथाशीघ्र उन्हें शामिल करेंगी। पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग के परिणाम और किसी भी प्रस्तावित प्रबंधन योजना सहित एक मसौदा पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन, सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जो समय पर, प्रभावी, समावेशी और जबरदस्ती से मुक्त और उचित तरीके से उन समुदायों के लिए आयोजित किया जाएगा जो प्रस्तावित परियोजना / कार्यक्रम से सीधे प्रभावित होते हैं।

जीसीएफ और अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय भागीदारों (जैसा लागू हो) द्वारा समर्थित प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिए हितधारकों की भागीदारी का दायरा और आवृत्ति परियोजना की प्रकृति और पैमाने और इसके संभावित जोखिमों पर निर्भर करेगी। हितधारक जुड़ाव की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. हितधारक की पहचान; परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की पहचान करें।
2. हितधारकों के साथ योजना जुड़ाव; परियोजना की जानकारी साझा करने के लिए एक रणनीति और समय सारिणी प्रदान करें। महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. जानकारी का प्रकटीकरण; परियोजना/कार्यक्रम प्रस्तावक परियोजना सूचना का खुलासा करेगा ताकि स्टेकहोल्डरों को परियोजना के जोखिमों और प्रभावों को समझने में मदद मिल सके। परियोजना का उद्देश्य, प्रकृति और पैमाना, प्रस्तावित परियोजना गतिविधियों की अवधि साझा की जाएगी। पर्यावरण, श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, समुदायों पर सामाजिक प्रभावों और प्रस्तावित शमन योजनाओं के संबंध में संभावित प्रभाव प्रदान किए जाएंगे। जानकारी प्रासंगिक स्थानीय भाषा में प्रकट की जाएगी।

4. शिकायतों को संबोधित करना और उनका जवाब देना; परियोजना/कार्यक्रम प्रस्तावक समयबद्ध तरीके से परियोजना के पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से संबंधित परियोजना प्रभावित पक्षों की चिंताओं और शिकायतों का जवाब देंगे।

हितधारकों के परामर्श का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और इसमें परामर्श किए गए हितधारकों के बारे में जानकारी, प्राप्त प्रतिक्रिया का सारांश और परियोजना योजना और निष्पादन में प्रतिक्रिया को कैसे ध्यान में रखा गया था, इसका संक्षिप्त विवरण शामिल होगा।

परियोजना / कार्यक्रम प्रस्तावक परियोजना प्रभावित पार्टियों और अन्य इच्छुक पार्टियों को परियोजना के पूरे जीवन चक्र में उनके हितों की प्रकृति के लिए उपयुक्त तरीके से जानकारी प्रदान करेगा।

सिडबी, अपनी वेबसाइट के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए), पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी), या जीसीएफ द्वारा समर्थित परियोजना और कार्यक्रम वित्त पोषण प्रस्तावों के संबंध में किसी भी अन्य संबंधित रिपोर्ट का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेगा, जिसका पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव प्राप्त होते ही और जहां भी यह लागू होता है, सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुसार।

9.5 शिकायत निवारण तंत्र

कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) की पहचान करेंगी जो सिडबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्रभावित लोगों को ऐसी किसी परियोजना/कार्यक्रम के कारण होने वाली संभावित या वास्तविक पर्यावरणीय या सामाजिक हानियों के बारे में उनकी शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक सुगम, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी प्रक्रिया प्रदान करता है। तंत्र राष्ट्रीय, स्थानीय, या संस्था- या परियोजना-विशिष्ट हो सकता है।

सिडबी सिडबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्रभावित लोगों से बाहरी संचार प्राप्त करने और उनका पंजीकरण करने के लिए तैयार है। सिडबी ने शिकायतों/शिकायतों के लिए एक वेब-सक्षम पंजीकरण फॉर्म रखा है, जहां ग्राहक या शिकायत से प्रभावित लोग बैंक की वेबसाइट (www.sidbi.in) पर जा सकते हैं और ऑनलाइन शिकायतों/शिकायत फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया संस्थागत विशिष्ट जीआरएम पर सिडबी की प्रक्रिया देखें[2]।

10. भूमिकाएं और जिम्मेदारी:

10.1 कार्यान्वयन संस्थाओं की भूमिकाएं और दायित्व:

कार्यान्वयन इकाई परियोजनाओं और उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन करने, सुरक्षा योजनाएं तैयार करने और सभी नीति सिद्धांतों और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करते हुए सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और सूचित भागीदारी के माध्यम से प्रभावित समुदायों के साथ जुड़ने के लिए जिम्मेदार है। कार्यान्वयन इकाई समीक्षा के लिए सिडबी को मूल्यांकन रिपोर्ट, सुरक्षा योजनाओं/रूपरेखाओं और निगरानी रिपोर्टों सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेगी।

10.2 सिडबी की भूमिकाएं और दायित्व:

10.2.1 सिडबी उचित परिश्रम करने वाली परियोजनाओं की जांच करने; कार्यान्वयन इकाई के सामाजिक और पर्यावरणीय आकलन और योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिडबी के पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानकों के अनुपालन में प्रतिकूल सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से बचने और कम से कम, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, सिडबी के वित्तपोषण की व्यवहार्यता का निर्धारण करना; कार्यान्वयन संस्थाओं को सुरक्षा उपायों को वितरित करने के लिए क्षमता निर्माण; और पूरे परियोजना चक्र में कार्यान्वयन इकाई के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। विशेष रूप से सिडबी द्वारा अपनी समग्र पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

10.2.2 ग्राहक को कोई ऋण प्रदान करने से पहले, सिडबी यह सत्यापित करेगा कि प्रस्तावित कारोबार बैंक की निषिद्ध गतिविधियों की सूची में तो नहीं है (जैसा कि अनुलग्नक-I में दिया गया है)

10.2.3 ग्राहकों से प्राप्त सभी प्रस्तावों के लिए, सिडबी इस बात का प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा कि क्या बैंक की उचित राय में ग्राहक की प्रासंगिक व्यावसायिक गतिविधियों में प्रदर्शन मानक पीएस1 से पीएस9 के अनुसार प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जैसा कि ऊपर पैरा 7 में पहचाना गया है।

10.2.4 जीसीएफ से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) या पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना, जैसा लागू हो, इस नीति और जीसीएफ ई एंड एस नीति की आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाएगी।

10.2.5 यदि सिडबी, अपनी उचित राय में, यह निर्धारित करता है कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यावसायिक गतिविधियों में प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो यह ऐसे ग्राहक को कोई ऋण, सलाहकार या अन्य सेवाएं प्रदान करने से पहले, उचित परिश्रम प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन करेगा ताकि यथोचित रूप से संतुष्ट हो सके कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यावसायिक गतिविधियां सभी लागू पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का अनुपालन करती हैं। ऐम्पियर; सामाजिक आवश्यकताएं

10.2.6 यदि सिडबी या इसकी मध्यस्थ वित्तीय मध्यस्थ यथोचित रूप से स्वयं को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है कि ग्राहक की परियोजना/कार्यक्रम गतिविधियां सभी लागू पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं, तो वे या तो:

(i) ऐसे ग्राहक को कोई ऋण, अनुदान, सलाहकार या अन्य सेवाएं प्रदान करने से इनकार करना; नहीं तो

(ii) इस शर्त के अधीन संगत ऋण, सलाहकार या अन्य सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करता है कि ग्राहक एक विनिदष्ट समयावधि के भीतर सहमत सुधारात्मक कार्य योजना कार्यान्वित करेगा

10.2.7 सिडबी मध्यवर्तों/कार्यान्वयन संस्थाओं के लिए ईएसएमपी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और उन्हें इसे अपनाने के लिए दबाव डालेगा।

11. **संगठनात्मक क्षमता और योग्यता**

कार्यान्वयन संस्थाओं की प्रमुख ई एंड एस जिम्मेदारियों को तकनीकी और वित्तीय संसाधनों के साथ परिभाषित और संप्रेषित और समर्थित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी वाले तकनीकी कर्मचारियों के पास ई एंड एस प्रदर्शन मानकों के कार्यान्वयन को समझने और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अनुभव होगा। सिडबी ई एंड एस जिम्मेदारियों से संबंधित संगठनात्मक और जनशक्ति दक्षताओं का भी निर्माण करेगा।

12. **कार्यान्वयन और निगरानी**

ईएसएमपी को संगठन स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, सिडबी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संसाधन आवंटित कर सकता है। प्रक्रिया में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होंगी:

- परियोजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़े ई एंड एस प्रदर्शन की पहचान, आकलन, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए क्रेडिट अधिकारियों की आंतरिक क्षमता निर्माण
- कार्यान्वयन, निगरानी, समीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास और रखरखाव।
- अपने संगठनों में समान प्रणालियों को शामिल करने के लिए वित्तीय मध्यस्थों का समर्थन करें

13. **नीति के कार्यान्वयन पर लाभ**

पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) सुरक्षा मुद्दे, यदि परियोजना मूल्यांकन के दौरान सिडबी द्वारा पता नहीं लगाया जाता है, तो संभावित रूप से क्रेडिट, कानूनी, पर्यावरणीय, नियामक, साथ ही प्रतिष्ठा जोखिम हो सकता है। प्रदूषण क्षमता की तुलना में परियोजना/कार्यक्रमों के प्रकार और प्रकृति के आधार पर ऐसे मुद्दों का महत्व। इस प्रकार, इस नीति के कार्यान्वयन से सभी क्रेडिट, कानूनी, पर्यावरणीय, नियामक और प्रतिष्ठित जोखिम कम हो जाएंगे और बाजार में एक जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में बैंक की स्थिति और कॉर्पोरेट छवि को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

14. **समीक्षा तंत्र**

ईएसएम नीति गतिविधियों और परिचालन तौर-तरीकों के कार्यान्वयन में अनुभव प्राप्त करने के आधार पर, सिडबी अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और परियोजना और कार्यक्रम डिजाइन को संरेखित करने में सक्षम होगा। इसके आलोक में, सिडबी अपने ईएसएमपी की समीक्षा पांच (5) वर्षों में कम से कम एक बार और आवश्यकता के आधार पर, जब भी आवश्यक महसूस हो, करेगा।

****

परिशिष्ट - I

परियोजनाओं की नकारात्मक/बहिष्करण सूची

ऐसी गतिविधियां या जिनमें हानिकारक या शोषणकारी बाल श्रम अथवा बलात् श्रम शामिल हों । (बलात् श्रम का अर्थ है वे सभी कार्य या सेवा जो स्वेच्छा से नहीं की गई हैं, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई है) बाल श्रम (बाल श्रम का अर्थ है उन बच्चों का रोजगार जिनकी आयु भारत में रोजगार की वैधानिक न्यूनतम आयु से कम है।

भारतीय कानूनों या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के तहत अवैध समझे जाने वाले किसी भी उत्पाद या गतिविधि में उत्पादन या व्यापार

हथियारों और युद्ध सामग्री और उनके महत्वपूर्ण घटकों (परमाणु हथियार और रेडियोधर्मी गोला-बारूद, सामूहिक विनाश के जैविक और रासायनिक हथियार, क्लस्टर बम, एंटी-कार्मिक खानों, समृद्ध यूरेनियम) में उत्पादन या व्यापार।

मादक पेय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार (बीयर और वाइन को छोड़कर)।

तम्बाकू का उत्पादन अथवा व्यापार।

जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यम या वेश्यावृत्ति या अश्लील साहित्य से संबंधित कोई भी व्यवसाय।

सीआईटीईएस के तहत विनियमित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पादों में व्यापार (संदर्भ www.cites.org)।

रेडियोधर्मी उत्पादों या रेडियोधर्मी कचरे का उत्पादन या व्यापार या भंडारण या निपटान।

असीमित एस्बेस्टस फाइबर का उत्पादन या व्यापार या उपयोग।

वाणिज्यिक लॉगिंग संचालन या प्राथमिक उष्णकटिबंधीय नम वन में उपयोग के लिए लॉगिंग उपकरण की खरीद (वानिकी नीति द्वारा निषिद्ध)।

पीसीबी युक्त उत्पादों में उत्पादन या व्यापार।

फार्मास्यूटिकल्स में उत्पादन या व्यापार अंतरराष्ट्रीय चरण बहिष्कार या प्रतिबंध के अधीन।

2.5 किमी से अधिक लंबाई में जाल का उपयोग करके समुद्री वातावरण में बहाव जाल मछली पकड़ना।

ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उत्पादन या व्यापार अंतर्राष्ट्रीय चरण के अधीन है।

(ii) स्टॉकहोम अभिसमय के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथा सहमत अंतर्राष्ट्रीय चरण समाप्ति अथवा प्रतिबंध के अध्यधीन भेषजों, कीटनाशकों/शाकनाशियों का उत्पादन अथवा व्यापार अथवा उपयोग।

अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता वाली परियोजनाएं जिनके कारण निजी या सार्वजनिक भूमि से लोगों या समुदायों का विस्थापन होता है या आजीविका पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जनजातीय लोगों के महत्वपूर्ण निपटान के क्षेत्रों में स्थित परियोजनाएं और जनजातीय लोगों की संस्कृति, आजीविका और जीवन के तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों और प्राकृतिक विरासत स्थानों में स्थित परियोजनाएं।

नस्लवादी, लोकतंत्र विरोधी और / या नव-नाजी मीडिया का उत्पादन और वितरण।

परियोजनाएं जिनमें महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण या क्षरण शामिल है

ताड़ के तेल या लकड़ी का उत्पादन करने वाले बड़े कृषि या वानिकी उद्यम (>5,000 हेक्टेयर) जो मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रणालियों (जैसे आरएसपीओ या एफएससी) या समकक्ष नियमों का पालन नहीं करते हैं।

ऐसी प्रथाएं जो कर्मचारियों को संघ और सामूहिक सौदेबाजी के अपने अधिकारों का कानूनी रूप से प्रयोग करने से रोकती हैं

परमाणु ऊर्जा संयंत्र (मौजूदा परिसंपत्तियों के पर्यावरणीय खतरों को कम करने वाले उपायों के अलावा) और निष्कर्षण के एक आवश्यक स्रोत के रूप में यूरेनियम के साथ खानें।

कोयले की संभावना, अन्वेषण और खनन; परिवहन के भूमि आधारित साधन और संबंधित बुनियादी ढांचे का उपयोग अनिवार्य रूप से कोयले के लिए किया जाता है; बिजली संयंत्रों, हीटिंग स्टेशनों और सह-उत्पादन सुविधाओं को अनिवार्य रूप से कोयले के साथ-साथ संबंधित स्टब लाइनों से निकाल दिया जाता है।

गैर-पारंपरिक संभावना, बिटुमिनस शेल, टार रेत या तेल रेत से तेल की खोज और निष्कर्षण।

अपशिष्ट उत्पादों में सीमा पार व्यापार जब तक कि बेसल कन्वेंशन और अंतर्निहित नियमों का अनुपालन न हो।

लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) का उत्पादन या व्यापार

कचरे में निषिद्ध सीमा व्यापार (बेसल कन्वेंशन के तहत)

निवेश जो विशेष रूप से संरक्षण के योग्य क्षेत्रों के विनाश या महत्वपूर्ण हानि से जुड़ा हो सकता है (अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त मुआवजे के बिना)।

स्थायी रूप से प्रबंधित वनों के अलावा लकड़ी या अन्य वानिकी उत्पादों में उत्पादन या व्यापार।

खतरनाक रसायनों के महत्वपूर्ण संस्करणों का उत्पादन, व्यापार, भंडारण या परिवहन, या खतरनाक रसायनों का व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग। खतरनाक रसायनों में गैसोलीन, मिट्टी का तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।

उत्पादन या गतिविधियाँ जो स्वदेशी लोगों द्वारा स्वामित्व वाली या निर्णय के तहत दावा की गई भूमि पर प्रभाव डालती हैं, ऐसे लोगों की पूर्ण प्रलेखित सहमति के बिना

(1)

परिशिष्ट - II

पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट

(भावी उधारकर्ता द्वारा भरा जाना और ऋण आवेदन से जुड़ा होना)

S.No I	विवरण	प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
A. पर्यावरणीय पहलू			
1	एमओईएफसीसी */एसईआईएए से पर्यावरण मंजूरी**	हां/नहीं/लागू नहीं/के लिए आवेदन	• *यदि 'हां, तो उसकी प्रति संलग्न करें।* • *यदि 'आवेदन किया गया है, तो एमएसएमई इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित एसपीसीबी को या एसपीसीबी को भुगतान किए गए शुल्क की रसीद प्रति संलग्न करें।*
2	एसपीसीबी / सीपीसीबी से वैध सहमति / मंजूरी	हां/नहीं/लागू नहीं/के लिए आवेदन	• *यदि हां, तो कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट (सीटीई)/कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) की प्रति संलग्न करें।*

			• *यदि 'के लिए आवेदन किया गया है, तो एमएसएमई इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित एसपीसीबी को या एसपीसीबी को भुगतान किए गए शुल्क की रसीद प्रति संलग्न करें।*
3	क्या इकाई को नियामक गैर-अनुपालन या मानदंडों या सहमति शर्तों के उल्लंघन के लिए कोई नोटिस मिला है या अदालत में किसी भी मुकदमेबाजी या दोषसिद्धि के भौतिक निपटान का सामना करना पड़ा है	हाँ नहीं	*यदि हां, तो ऐसे कारण बताएं जिनके कारण उद्योग को अनुपालन न करने वाले के रूप में अधिसूचित किया गया और अनुपालन करने के लिए कार्रवाई की गई। स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या समस्या हल हो गई है या नहीं। यदि नहीं, तो स्पष्ट रूप से कारण बताएं।*
4	सहमति का अनुपालन - उदाहरण के लिए। सहमति के अनुसार सुझाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपाय की स्थापना	हाँ/नहीं/लागू नहीं	*विचलन, यदि कोई हो, की सूची बनाइए*
B. सामाजिक पहलू			
5	क्या इकाई अपने संचालन के लिए बच्चे और/या जबरन श्रम को नियोजित करती है	हाँ नहीं	
6	क्या इकाई अपने संचालन के लिए व्यावसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों को नियोजित करती है *[उदाहरण के लिए: संचालन के दौरान दस्ताने, हेलमेट, मास्क पहनने वाले श्रमिक (विशेष रूप से वेल्डिंग संचालन के दौरान), अग्नि सुरक्षा उपायों की स्थापना (जैसे ग्रीन ज़ोन में दबाव नापने का यंत्र लगाने वाले काम करने योग्य/प्रयोग करने योग्य अग्निशामक), आदि]*	हाँ नहीं	
7	क्या इकाई ईएसआई/ईपीएफ आदि जैसी श्रम कल्याण आवश्यकताओं का अनुपालन करती है	हाँ नहीं	
8	क्या इकाई में श्रमिक के लिए कैंटीन/टॉयलेट/शौचालय जैसी व्यावसायिक सुविधाएं हैं?	हाँ नहीं	
9	क्या इकाई महिलाओं को रोजगार देती है? यदि हां, तो क्या उन्हें	हाँ नहीं	

	शौचालय/विश्राम कक्ष जैसी पृथक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं		
10	क्या परियोजना/इकाई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर/विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि में स्थित है?	हाँ नहीं	*यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं*
11	क्या परियोजना में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है जिसके कारण लोगों का विस्थापन/अनैच्छिक पुनर्वास होता है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
12	क्या इकाई/परियोजना जनजातीय लोगों/स्वदेशी लोगों के महत्वपूर्ण निपटान और/या सामूहिक लगाव के क्षेत्रों में स्थित है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
13	क्या परियोजना में किसी भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के संकेत, परिवर्तन/क्षति/निष्कासन शामिल हैं?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
14	क्या परियोजना/इकाई किसी भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यानों/आरक्षित वनों के करीब (10 किमी के भीतर) स्थित है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	

* *पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय*
** *राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण*

(प्रमोटरों के हस्ताक्षर)

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त ईएसडीडी रिपोर्ट में प्रदान की गई जानकारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिवत जांच/सत्यापित किया गया है और पर्याप्त वातावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं और इसलिए केएफडब्ल्यू लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ऋण प्रदान करने के लिए सिडबी द्वारा विचार किया जा सकता है।

दस्तख़त देखिए। :
व्यक्ति का नाम :
औहदा :
पीएफआई और शाखा का नाम :

सिडबी, जीसीएफवी के उपयोग के लिए

अनुमोदित

सशर्त अनुमोदन (शर्तें निर्दिष्ट करें)

अनुमोदित नहीं, इसके कारण

अनुलग्नक 1- पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति (ESMP)

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति

1. पृष्ठभूमि

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत और निर्यात (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र कृषि के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, और रोजगार सृजन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल, 1990 को स्थापित, एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के लिए और भारत में इसी तरह की गतिविधियों में लगे अन्य संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है।

सिडबी एमएसएमई क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने और हरित प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिडबी ने सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से उत्पन्न होने वाले ऋण, कानूनी, प्रतिष्ठित जोखिम आदि जैसे विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति (ईएसएमपी) विकसित की है।

उनके संचालन की प्रकृति और पैमाने के कारण, एमएसएमई का व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तथापि, सतत तरीके से उनके विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों में उनके निष्पादन में धीरे-धीरे सुधार करने के लिए, सिडबी बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों की सहायता से विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

2. संगठन का मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत

एक पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, सिडबी इस ईएसएमपी के माध्यम से उन परियोजनाओं को बढ़ावा देगा और वित्तपोषण करेगा जो पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव को कम या कम करेंगे। सिडबी ने ईएसएमपी को अपनाया है और परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया विकसित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम नकारात्मक बाहरीताएं हैं और यह परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक बाहरीता बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सिडबी द्वारा विकसित ईएसएमपी अपने वित्तीय भागीदारों और इसके मध्यस्थों के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के महत्व को पहचानता है। सतत विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ईएसएमपी की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी ताकि इसके भागीदार संस्थान और संगठन का संज्ञान लिया जा सके और आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के बीच अच्छा संतुलन प्राप्त करने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाएगा। ईएसएमपी आम तौर पर सिडबी के संचालन का मार्गदर्शन करेगा और एमएसएमई पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन में सुधार के लिए सिडबी की प्रतिबद्धता को विस्तृत करेगा, इसलिए:

i. प्रचालन/कार्यक्रम/परियोजनाएं सामान्यत ईएसएमपी द्वारा निर्देशित होंगी और परियोजना सामान्यत नीति में बताई गई प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होगी।
ii. सिडबी ईएसएमपी आम तौर पर सभी प्रासंगिक विनियामक और विधायी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें अपने भागीदारों, संस्थानों और संगठनों की आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाएगा
iii. ईएसएमपी सामान्यत ऋण संबंधी प्रचालनों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल करने को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए ईएसएस सिद्धांतों को शामिल करने के लिए समर्थकारी तंत्र उपलब्ध कराएगा।
iv. नीति में परिभाषित प्रक्रियाएं, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां आमतौर पर सिडबी के संचालन और गतिविधियों का भारत सरकार (जीओआई) ईएसएस सिद्धांतों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
v. इस नीति में अनुकूलित प्रदर्शन मानक यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण और सामाजिक कल्याण से समझौता किए बिना विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए।

इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों से काफी हद तक बचा जाए या उचित रूप से कम किया जाए और सिडबी की सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मुआवजा दिया जाए।

"ग्रीनिंग द एंटरप्राइज इकोसिस्टम" की दिशा में सिडबी के मिशन के एक हिस्से के रूप में, हम सिडबी के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

3. उद्देश्यों

सिडबी के ईएसएमपी के उद्देश्य हैं,

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता में योगदान देने वाले भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां तैयार करना।
- प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक नीतियों, कानूनों और भारत सरकार के नियमों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों / दाताओं के ई एंड एस सुरक्षा उपायों का पालन करना।
- सिडबी द्वारा या इसके वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से सीधे सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों/जोखिमों से बचना, कम करना और कम करना।
- सिडबी और इसके वित्तीय मध्यस्थों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान ई एंड एस अनुपालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और तंत्र प्रदान करना।

4. स्कोप और कवरेज

वर्तमान में ईएसएमपी की प्रयोज्यता इस नीति की तारीख से सिडबी द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों तक विस्तारित की जाएगी। सिडबी के प्रबंधन द्वारा यथा आवश्यक समळो जाने पर कार्यक्षेत्र और कवरेज की समीक्षा की जाएगी। दायरे और कवरेज के व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी प्रस्ताव और कार्यक्रम जीसीएफ से वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किए जाते हैं।

II. एमएसएमई को अपनी सीधी सहायता के तहत सिडबी द्वारा 300 मिलियन रुपये से अधिक के ऋण आकार के साथ परियोजना प्रस्ताव और कार्यक्रम।

III. विभिन्न हरित उत्पादों के तहत बैंकों/एनबीएफसी/एमएफआई, आदि को अप्रत्यक्ष ऋण (जैसा लागू हो) सहित एमएसएमई को अपनी सीधी सहायता के तहत सिडबी द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी हरित ऋण, जिनमें द्विपक्षीय/बहुपक्षीय भागीदारों (केएफडब्ल्यू, एएफडी, एडीबी, विश्व बैंक, आदि सहित) से ऋण श्रृंखला के माध्यम से समर्थित प्रस्ताव शामिल हैं।

IV. 5000 मिलियन रुपये से अधिक के ऋण आकार के साथ सिडबी की वित्तीय मध्यस्थों/कार्यान्वयन संस्थाओं से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी परियोजना प्रस्ताव।

V. यह नीति सामान्यत उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की जाएगी जिनमें इसके प्रभावों के आधार पर पुनवत्त सहायता दी जाती है।

5. ई एंड एस अनुपालन की प्रयोज्यता

एक सामान्य नियम के रूप में परियोजनाओं / कार्यक्रमों का मूल्यांकन ई एंड एस अनुपालन के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों या उनके प्रतिनिधियों / एजेंसियों द्वारा निर्धारित घरेलू मानदंडों, नियमों और अधिनियमों के खिलाफ किया जाएगा।

6. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीतियां यह सुनिश्चित करने के लिए मौलिक हैं कि सिडबी उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों का समर्थन नहीं करता है जो पर्यावरण, कमजोर समुदायों को अनावश्यक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं या गरीबी, सामाजिक असमानता या लिंग भेदभाव में योगदान करते हैं।

इसके अलावा, सिडबी निम्नलिखित कार्य करेगा:

(अ) परियोजना/कार्यक्रम डिजाइन के चरण में प्रत्येक परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान और आकलन करना।

(आ) परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) जोखिमों से बचने या कम करने या कम करने या प्रबंधित करने के उपायों को अपनाता है; यह कार्यान्वयन के दौरान और अंत में उन उपायों की स्थिति की निगरानी कर सकता है।

(इ) ई एंड एस पहलुओं पर सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के सतत विकास में तेजी आए।

7. पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानक (पीएस)

जीसीएफ वित्तपोषित गतिविधियों के लिए सिडबी द्वारा समर्थित सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों (एएफडी, केएफडब्ल्यू, एडीबी, विश्व बैंक, आदि) से ऋण श्रृंखला के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जाएगी और आम तौर पर निम्नलिखित नौ पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानकों (पीएस) की

सुरक्षा के लिए डिजाइन और कार्यान्वित की जाएगी, जो पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), अनुकूलन निधि, हरित जलवायु निधि (जीसीएफ), विश्व बैंक आदि जैसे देशों के विभिन्न घटक हैं।

ये निष्पादन मानक उन मानदंडों को स्थापित करते हैं जिनका उधारकर्ता या लाभार्थी और परियोजना को संपूर्ण परियोजना जीवन चक्र के दौरान अनुपालन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिकूल ई एंड एस प्रभावों से बचा जाए/उचित रूप से कम किया जाए और मुआवजा दिया जाए। ये ई एंड एस प्रदर्शन मानक इस प्रकार हैं:

- **पीएस 1: पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन**
  सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ (i) वित्त पोषण प्रस्ताव के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान करेंगे; (ii) शमन पदानुक्रम को अपनाना: अनुमान लगाना, बचना; कम करके बताना; क्षतिपूर्ति या ऑफसेट; (iii) पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निष्पादन में सुधार करना; और (iv) फंडिंग प्रस्ताव चक्र के दौरान प्रभावित समुदायों या अन्य हितधारकों को शामिल करना। इसमें संचार और शिकायत तंत्र शामिल हैं।

- **पीएस 2: श्रम और काम करने की स्थिति**
  सिडबी की पर्यावरण और सामाजिक नीति लागू भारतीय श्रम कानूनों के अनुपालन को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है, जिसमें बाल श्रम और जबरन श्रम की उपस्थिति वाले किसी भी एमएसएमई का बहिष्करण शामिल है। इस नीति के माध्यम से सिडबी परियोजना प्रस्तावक को परियोजना स्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों में निरंतर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

- **पीएस 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण की रोकथाम**
  सिडबी, अपने वित्तीय मध्यस्थों और अन्य हितधारकों के साथ-साथ परियोजनाओं को बढ़ावा देगा, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर न्यूनतम/कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और गतिविधि से अपशिष्ट उत्पादन में कमी आएगी या इसके परिणामस्वरूप होगा। इन उद्देश्यों को सत्यापित करने के लिए परियोजना की प्रभावी ढंग से जांच की जाएगी और नियमित निगरानी/अनुवर्ती दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावक पूरे परियोजना चक्र के दौरान इन प्रभावों का प्रबंधन और कम करें।

- **पीएस 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा**
  सिडबी इस नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने वित्तीय मध्यस्थों के साथ यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना गतिविधियों का समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, यह स्वीकार करता है कि परियोजना कार्यान्वयन और उधारकर्ताओं को ऐसे जोखिमों से प्रभावी ढंग से बचने या प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

- **पीएस 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास**
  सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ किसी भी एमएसएमई संचालन का समर्थन नहीं करेंगे जिसके परिणामस्वरूप: (i) अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और लोगों का भौतिक और/या आर्थिक विस्थापन (संरचनाओं, आजीविका और सामान्य संसाधनों तक पहुंच का नुकसान)।

- **पीएस 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन**
  सिडबी नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना गतिविधियां जैव विविधता को प्रभावित नहीं करेंगी और उन्हें जीवित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन का पूरक होना चाहिए और उधारकर्ताओं को ऐसे जोखिमों से प्रभावी ढंग से बचने या प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

- **पीएस 7: स्वदेशी लोग**
  सिडबी की परियोजना से स्वदेशी लोगों, उनकी भूमि, संस्कृति, आजीविका या जीवन के तरीके पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। तथापि, परियोजना जांच चरण के दौरान, सिडबी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी परियोजना अथवा इसके वित्तीय मध्यस्थों का परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- **पीएस 8: सांस्कृतिक विरासत**
  सिडबी उन परियोजनाओं की सहायता नहीं करेगा जिनका देश की सांस्कृतिक विरासत या ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- **पीएस 9: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण**
  सिडबी का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। SIBDI उधारकर्ताओं को व्यावसायिक गतिविधियों और अनपेक्षित प्रभावों से लिंग संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एसआईबीडीआई लैंगिक समानता और समानता के लिए प्रतिबद्ध है और आंतरिक और बाहरी रूप से अपनी गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहा है।

8. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

सिडबी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय मध्यस्थ/कार्यान्वयन संस्थाएं ऊपर पहचाने गए प्रदर्शन मानकों से जुड़े सभी जोखिमों सहित ई एंड एस जोखिमों की सीमा निर्धारित करने के लिए सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग के लिए जिम्मेदार होंगी। परियोजनाओं/कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने वाले वित्तीय मध्यस्थ/कार्यान्वयन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के ई एंड एस प्रभावों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है; सभी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों से बचने, कम करने या कम करने के लिए उपायों की पहचान की जाती है; और यह कि ऐसे उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है और परियोजना/कार्यक्रम के जीवनकाल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

जहां कहीं वित्तीय मध्यस्थों/कार्यान्वयन संस्थाओं के पास ई एंड एस जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए अपेक्षित क्षमताएं नहीं हैं, सिडबी उन्हें या तो अपने स्टाफ और/या परामर्शदाताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा और इसके लिए लागत परियोजना लागत का एक हिस्सा होगी।

9. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति - कार्यान्वयन योजना

9.1 ई एंड एस जोखिम की स्क्रीनिंग और वर्गीकरण

सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ उन परियोजनाओं की जांच करेंगे कि प्रस्तावित परियोजनाएं/कार्यक्रम परिशिष्ट-I में दी गई परियोजनाओं की नकारात्मक/बहिष्करण सूची में नहीं हैं।

विनियामक ढांचे और विभिन्न प्रकार की इकाइयों से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों के आधार पर, एमएसएमई क्षेत्रों को बी1, बी2, बी3 और बी4 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां बी1 श्रेणी की इकाइयों में पर्यावरण जोखिमों की अधिक संभावना है, इसके बाद बी2, बी3 और बी4 श्रेणी की इकाइयों में सबसे कम जोखिम है।

बी 1 से बी 4 श्रेणियां क्रमशः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की लाल, नारंगी, हरी और सफेद श्रेणियों के बराबर हैं, और उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम के बराबर हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

श्रेणियाँ		
सिडबी	**सीपीसीबी**	**जोखिम स्तर**
बी 1	ललौहा-भूरा	उच्च
बी 2	नारंगी	मध्यम
बी 3	हरा	संख्या आदि
बी 4	सफेद	संख्या आदि

उद्योगों के वर्गीकरण पर एक सीपीसीबी मार्गदर्शन दस्तावेज[13] को इकाई के प्रदूषण क्षमता और क्षेत्र का पता लगाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है ताकि इकाई को बी 1, बी 2, बी 3 और बी 4 के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। लागू परियोजना/कार्यक्रम से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों पर प्रमोटर से घोषणा प्राप्त की जाएगी और समुदाय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक चेकलिस्ट के माध्यम से जांच की जाएगी (**परिशिष्ट - II देखें**)।

9.2 ई एंड एस जोखिम का आकलन

इस प्रारंभिक जांच के अतिरिक्त, परियोजना/कार्यक्रम प्रस्तावक को सिडबी अथवा इसके वित्तीय मध्यवतयों को सभी संगत सूचना/ब्यौरे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ संभावित जोखिमों और परियोजना / कार्यक्रम के पर्यावरण और सामाजिक अनुपालन की जांच दस्तावेज सत्यापन, साइट के दौरे और/या ग्राहकों द्वारा परिशिष्ट II में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर परामर्श के माध्यम से **करेंगे**।

स्क्रीनिंग और ई एंड एस जोखिमों पर विचार करने पर, मूल्यांकन प्राधिकारी परियोजना / कार्यक्रम के अनुमोदन पर उपयुक्त निर्णय ले सकता है।

9.3 निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन

सिडबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करने वाली कार्यान्वयन संस्थाएं परियोजना/कार्यक्रम मूल्यांकन, डिजाइन और कार्यान्वयन के दौरान कार्यान्वयन इकाई द्वारा पहचाने गए सभी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का समाधान करेंगी। कार्यान्वयन संस्थाओं की वार्षिक परियोजना / कार्यक्रम

[13] औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण पर सीपीसीबी का मार्गदर्शन दस्तावेज:
https://cpcb.nic.in/uploads/Latest_Final_Directions.pdf

प्रदर्शन रिपोर्ट में किसी भी पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक खंड शामिल होगा, जिसमें पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से बचने, कम करने या कम करने के लिए आवश्यक उपाय शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी शामिल होगा, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी सुधारात्मक कार्यों का विवरण जो आवश्यक समझा जाता है। मध्यावधि और अंतिम मूल्यांकन रिपोर्टों में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के संबंध में परियोजना/कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन भी शामिल होगा।

9.4 सार्वजनिक प्रकटीकरण और परामर्श

कार्यान्वयन संस्थाएं स्टेकहोल्डरों की पहचान करेंगी और सिडबी द्वारा सहायता प्राप्त किसी परियोजना/कार्यक्रम की योजना बनाने में यथाशीघ्र उन्हें शामिल करेंगी। पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग के परिणाम और किसी भी प्रस्तावित प्रबंधन योजना सहित एक मसौदा पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन, सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जो समय पर, प्रभावी, समावेशी और जबरदस्ती से मुक्त और उचित तरीके से उन समुदायों के लिए आयोजित किया जाएगा जो प्रस्तावित परियोजना / कार्यक्रम से सीधे प्रभावित होते हैं।

जीसीएफ और अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय भागीदारों (जैसा लागू हो) द्वारा समर्थित प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिए हितधारकों की भागीदारी का दायरा और आवृत्ति परियोजना की प्रकृति और पैमाने और इसके संभावित जोखिमों पर निर्भर करेगी। हितधारक जुड़ाव की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे:

अ. हितधारक की पहचान; परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की पहचान करें।
आ. हितधारकों के साथ योजना जुड़ाव; परियोजना की जानकारी साझा करने के लिए एक रणनीति और समय सारिणी प्रदान करें। महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
इ. जानकारी का प्रकटीकरण; परियोजना/कार्यक्रम प्रस्तावक परियोजना सूचना का खुलासा करेगा ताकि स्टेकहोल्डरों को परियोजना के जोखिमों और प्रभावों को समझने में मदद मिल सके। परियोजना का उद्देश्य, प्रकृति और पैमाना, प्रस्तावित परियोजना गतिविधियों की अवधि साझा की जाएगी। पर्यावरण, श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, समुदायों पर सामाजिक प्रभावों और प्रस्तावित शमन योजनाओं के संबंध में संभावित प्रभाव प्रदान किए जाएंगे। जानकारी प्रासंगिक स्थानीय भाषा में प्रकट की जाएगी।
ई. शिकायतों को संबोधित करना और उनका जवाब देना; परियोजना/कार्यक्रम प्रस्तावक समयबद्ध तरीके से परियोजना के पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से संबंधित परियोजना प्रभावित पक्षों की चिंताओं और शिकायतों का जवाब देंगे।

हितधारकों के परामर्श का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और इसमें परामर्श किए गए हितधारकों के बारे में जानकारी, प्राप्त प्रतिक्रिया का सारांश और परियोजना योजना और निष्पादन में प्रतिक्रिया को कैसे ध्यान में रखा गया था, इसका संक्षिप्त विवरण शामिल होगा।

परियोजना / कार्यक्रम प्रस्तावक परियोजना प्रभावित पार्टियों और अन्य इच्छुक पार्टियों को परियोजना के पूरे जीवन चक्र में उनके हितों की प्रकृति के लिए उपयुक्त तरीके से जानकारी प्रदान करेगा।

सिडबी, अपनी वेबसाइट के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए), पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी), या जीसीएफ द्वारा समर्थित परियोजना और कार्यक्रम वित्त पोषण प्रस्तावों के संबंध में किसी भी अन्य संबंधित रिपोर्ट का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेगा, जिसका पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव प्राप्त होते ही और जहां भी यह लागू होता है, सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुसार।

9.5 शिकायत निवारण तंत्र

कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) की पहचान करेंगी जो सिडबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्रभावित लोगों को ऐसी किसी परियोजना/कार्यक्रम के कारण होने वाली संभावित या वास्तविक पर्यावरणीय या सामाजिक हानियों के बारे में उनकी शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक सुगम, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी प्रक्रिया प्रदान करता है। तंत्र राष्ट्रीय, स्थानीय, या संस्था- या परियोजना-विशिष्ट हो सकता है।

सिडबी सिडबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्रभावित लोगों से बाहरी संचार प्राप्त करने और उनका पंजीकरण करने के लिए तैयार है। सिडबी ने शिकायतों/शिकायतों के लिए एक वेब-सक्षम पंजीकरण फॉर्म रखा है, जहां ग्राहक या शिकायत से प्रभावित लोग बैंक की वेबसाइट (www.sidbi.in) पर जा सकते हैं और ऑनलाइन शिकायतों/शिकायत फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया संस्थागत विशिष्ट जीआरएम पर सिडबी की प्रक्रिया देखें[14]।

10. भूमिकाएं और जिम्मेदारी:

10.1 कार्यान्वयन संस्थाओं की भूमिकाएं और दायित्व:

कार्यान्वयन इकाई परियोजनाओं और उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन करने, सुरक्षा योजनाएं तैयार करने और सभी नीति सिद्धांतों और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करते हुए सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और सूचित भागीदारी के माध्यम से प्रभावित समुदायों के साथ जुड़ने के लिए जिम्मेदार है। कार्यान्वयन इकाई समीक्षा के लिए सिडबी को मूल्यांकन रिपोर्ट, सुरक्षा योजनाओं/रूपरेखाओं और निगरानी रिपोर्टों सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेगी।

10.2 सिडबी की भूमिकाएं और दायित्व:

10.2.1 सिडबी उचित परिश्रम करने वाली परियोजनाओं की जांच करने; कार्यान्वयन इकाई के सामाजिक और पर्यावरणीय आकलन और योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिडबी के पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानकों के अनुपालन में प्रतिकूल सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से बचने और कम से कम, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, सिडबी के वित्तपोषण की व्यवहार्यता का निर्धारण करना; कार्यान्वयन संस्थाओं को सुरक्षा उपायों को वितरित करने के लिए क्षमता निर्माण; और पूरे परियोजना चक्र में कार्यान्वयन इकाई के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। विशेष रूप से सिडबी द्वारा अपनी समग्र पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

10.2.2 ग्राहक को कोई ऋण प्रदान करने से पहले, सिडबी यह सत्यापित करेगा कि प्रस्तावित कारोबार बैंक की निषिद्ध गतिविधियों की सूची में तो नहीं है (जैसा कि अनुलग्नक-I में दिया गया है)

[14] https://www.sidbi.in/files/publicationreport/Grievance_Redressal_Policy_19052020.pdf

10.2.3 ग्राहकों से प्राप्त सभी प्रस्तावों के लिए, सिडबी इस बात का प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा कि क्या बैंक की उचित राय में ग्राहक की प्रासंगिक व्यावसायिक गतिविधियों में प्रदर्शन मानक पीएस1 से पीएस9 के अनुसार प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जैसा कि ऊपर पैरा 7 में पहचाना गया है।

10.2.4 जीसीएफ से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) या पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना, जैसा लागू हो, इस नीति और जीसीएफ ई एंड एस नीति की आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाएगी।

10.2.5 यदि सिडबी, अपनी उचित राय में, यह निर्धारित करता है कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यावसायिक गतिविधियों में प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो यह ऐसे ग्राहक को कोई ऋण, सलाहकार या अन्य सेवाएं प्रदान करने से पहले, उचित परिश्रम प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन करेगा ताकि यथोचित रूप से संतुष्ट हो सके कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यावसायिक गतिविधियां सभी लागू पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का अनुपालन करती हैं। ऐम्पियर; सामाजिक आवश्यकताएं

10.2.6 यदि सिडबी या इसकी मध्यस्थ वित्तीय मध्यस्थ यथोचित रूप से स्वयं को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है कि ग्राहक की परियोजना/कार्यक्रम गतिविधियां सभी लागू पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं, तो वे या तो:

(i) ऐसे ग्राहक को कोई ऋण, अनुदान, सलाहकार या अन्य सेवाएं प्रदान करने से इनकार करना; नहीं तो

(ii) इस शर्त के अधीन संगत ऋण, सलाहकार या अन्य सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करता है कि ग्राहक एक विनिदष्ट समयावधि के भीतर सहमत सुधारात्मक कार्य योजना कार्यान्वित करेगा

10.2.7 सिडबी मध्यवर्तों/कार्यान्वयन संस्थाओं के लिए ईएसएमपी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और उन्हें इसे अपनाने के लिए दबाव डालेगा।

11. संगठनात्मक क्षमता और योग्यता

कार्यान्वयन संस्थाओं की प्रमुख ई एंड एस जिम्मेदारियों को तकनीकी और वित्तीय संसाधनों के साथ परिभाषित और संप्रेषित और समर्थित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी वाले तकनीकी कर्मचारियों के पास ई एंड एस प्रदर्शन मानकों के कार्यान्वयन को समझने और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अनुभव होगा। सिडबी ई एंड एस जिम्मेदारियों से संबंधित संगठनात्मक और जनशक्ति दक्षताओं का भी निर्माण करेगा।

12. कार्यान्वयन और निगरानी

ईएसएमपी को संगठन स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, सिडबी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संसाधन आवंटित कर सकता है। प्रक्रिया में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होंगी:

- परियोजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़े ई एंड एस प्रदर्शन की पहचान, आकलन, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए क्रेडिट अधिकारियों की आंतरिक क्षमता निर्माण
- कार्यान्वयन, निगरानी, समीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास और रखरखाव।
- अपने संगठनों में समान प्रणालियों को शामिल करने के लिए वित्तीय मध्यस्थों का समर्थन करें

13. नीति के कार्यान्वयन पर लाभ

पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) सुरक्षा मुद्दे, यदि परियोजना मूल्यांकन के दौरान सिडबी द्वारा पता नहीं लगाया जाता है, तो संभावित रूप से क्रेडिट, कानूनी, पर्यावरणीय, नियामक, साथ ही प्रतिष्ठा जोखिम हो सकता है। प्रदूषण क्षमता की तुलना में परियोजना/कार्यक्रमों के प्रकार और प्रकृति के आधार पर ऐसे मुद्दों का महत्व। इस प्रकार, इस नीति के कार्यान्वयन से सभी क्रेडिट, कानूनी, पर्यावरणीय, नियामक और प्रतिष्ठित जोखिम कम हो जाएंगे और बाजार में एक जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में बैंक की स्थिति और कॉर्पोरेट छवि को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

14. समीक्षा तंत्र

ईएसएम नीति गतिविधियों और परिचालन तौर-तरीकों के कार्यान्वयन में अनुभव प्राप्त करने के आधार पर, सिडबी अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और परियोजना और कार्यक्रम डिजाइन को संरेखित करने में सक्षम होगा। इसके आलोक में, सिडबी अपने ईएसएमपी की समीक्षा पांच (5) वर्षों में कम से कम एक बार और आवश्यकता के आधार पर, जब भी आवश्यक महसूस हो, करेगा।

****

परिशिष्ट - I

परियोजनाओं की नकारात्मक/बहिष्करण सूची

(१) ऐसी गतिविधियां या जिनमें हानिकारक या शोषणकारी बाल श्रम अथवा बलात् श्रम शामिल हों । (बलात् श्रम का अर्थ है वे सभी कार्य या सेवा जो स्वेच्छा से नहीं की गई हैं, जो किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई है) बाल श्रम (बाल श्रम का अर्थ है उन बच्चों का रोजगार जिनकी आयु भारत में रोजगार की वैधानिक न्यूनतम आयु से कम है।

(२) भारतीय कानूनों या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के तहत अवैध समझे जाने वाले किसी भी उत्पाद या गतिविधि में उत्पादन या व्यापार

(३) हथियारों और युद्ध सामग्री और उनके महत्वपूर्ण घटकों (परमाणु हथियार और रेडियोधर्मी गोला-बारूद, सामूहिक विनाश के जैविक और रासायनिक हथियार, क्लस्टर बम, एंटी-कार्मिक खानों, समृद्ध यूरेनियम) में उत्पादन या व्यापार।

(४) मादक पेय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार (बीयर और वाइन को छोड़कर)।

(५) तम्बाकू का उत्पादन अथवा व्यापार।

(६) जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यम या वेश्यावृत्ति या अश्लील साहित्य से संबंधित कोई भी व्यवसाय।

(७) सीआईटीईएस के तहत विनियमित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पादों में व्यापार (संदर्भ www.cites.org)।

(८) रेडियोधर्मी उत्पादों या रेडियोधर्मी कचरे का उत्पादन या व्यापार या भंडारण या निपटान।

(९) असीमित एस्बेस्टस फाइबर का उत्पादन या व्यापार या उपयोग।

(१०) वाणिज्यिक लॉगिंग संचालन या प्राथमिक उष्णकटिबंधीय नम वन में उपयोग के लिए लॉगिंग उपकरण की खरीद (वानिकी नीति द्वारा निषिद्ध)।

(११) पीसीबी युक्त उत्पादों में उत्पादन या व्यापार।

(१२) फार्मास्यूटिकल्स में उत्पादन या व्यापार अंतरराष्ट्रीय चरण बहिष्कार या प्रतिबंध के अधीन।

(१३) 2.5 किमी से अधिक लंबाई में जाल का उपयोग करके समुद्री वातावरण में बहाव जाल मछली पकड़ना।

(१४) ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उत्पादन या व्यापार अंतर्राष्ट्रीय चरण के अधीन है।

(१५) (ii) स्टॉकहोम अभिसमय के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथा सहमत अंतर्राष्ट्रीय चरण समाप्ति अथवा प्रतिबंध के अध्यधीन भेषजों, कीटनाशकों/शाकनाशियों का उत्पादन अथवा व्यापार अथवा उपयोग।

(१६) अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता वाली परियोजनाएं जिनके कारण निजी या सार्वजनिक भूमि से लोगों या समुदायों का विस्थापन होता है या आजीविका पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(१७) जनजातीय लोगों के महत्वपूर्ण निपटान के क्षेत्रों में स्थित परियोजनाएं और जनजातीय लोगों की संस्कृति, आजीविका और जीवन के तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

(१८) संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों और प्राकृतिक विरासत स्थानों में स्थित परियोजनाएं।

(१९) नस्लवादी, लोकतंत्र विरोधी और / या नव-नाजी मीडिया का उत्पादन और वितरण।

(२०) परियोजनाएं जिनमें महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण या क्षरण शामिल है

(२१) ताड़ के तेल या लकड़ी का उत्पादन करने वाले बड़े कृषि या वानिकी उद्यम (>5,000 हेक्टेयर) जो मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रणालियों (जैसे आरएसपीओ या एफएससी) या समकक्ष नियमों का पालन नहीं करते हैं।

(२२) ऐसी प्रथाएं जो कर्मचारियों को संघ और सामूहिक सौदेबाजी के अपने अधिकारों का कानूनी रूप से प्रयोग करने से रोकती हैं

(२३) परमाणु ऊर्जा संयंत्र (मौजूदा परिसंपत्तियों के पर्यावरणीय खतरों को कम करने वाले उपायों के अलावा) और निष्कर्षण के एक आवश्यक स्रोत के रूप में यूरेनियम के साथ खानें।

(२४) कोयले की संभावना, अन्वेषण और खनन; परिवहन के भूमि आधारित साधन और संबंधित बुनियादी ढांचे का उपयोग अनिवार्य रूप से कोयले के लिए किया जाता है; बिजली संयंत्रों, हीटिंग स्टेशनों और सह-उत्पादन सुविधाओं को अनिवार्य रूप से कोयले के साथ-साथ संबंधित स्टब लाइनों से निकाल दिया जाता है।

(२५) गैर-पारंपरिक संभावना, बिटुमिनस शेल, टार रेत या तेल रेत से तेल की खोज और निष्कर्षण।

(२६) अपशिष्ट उत्पादों में सीमा पार व्यापार जब तक कि बेसल कन्वेंशन और अंतर्निहित नियमों का अनुपालन न हो।

(२७) लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) का उत्पादन या व्यापार

(२८) कचरे में निषिद्ध सीमा व्यापार (बेसल कन्वेंशन के तहत)

(२९) निवेश जो विशेष रूप से संरक्षण के योग्य क्षेत्रों के विनाश या महत्वपूर्ण हानि से जुड़ा हो सकता है (अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त मुआवजे के बिना)।

(३०) स्थायी रूप से प्रबंधित वनों के अलावा लकड़ी या अन्य वानिकी उत्पादों में उत्पादन या व्यापार।

(३१) खतरनाक रसायनों के महत्वपूर्ण संस्करणों का उत्पादन, व्यापार, भंडारण या परिवहन, या खतरनाक रसायनों का व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग। खतरनाक रसायनों में गैसोलीन, मिट्टी का तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।

(३२) उत्पादन या गतिविधियाँ जो स्वदेशी लोगों द्वारा स्वामित्व वाली या निर्णय के तहत दावा की गई भूमि पर प्रभाव डालती हैं, ऐसे लोगों की पूर्ण प्रलेखित सहमति के बिना

परिशिष्ट - II

पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट

(भावी उधारकर्ता द्वारा भरा जाना और ऋण आवेदन से जुड़ा होना)

S.No l	विवरण	प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
A. पर्यावरणीय पहलू			
1	एमओईएफसीसी */एसईआईएए से पर्यावरण मंजूरी**	हां/नहीं/लागू नहीं/के लिए आवेदन	• *यदि 'हां', तो उसकी प्रति संलग्न करें।* • *यदि 'आवेदन किया गया है', तो एमएसएमई इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित एसपीसीबी को या एसपीसीबी को भुगतान किए गए शुल्क की रसीद प्रति संलग्न करें।*
2	एसपीसीबी / सीपीसीबी से वैध सहमति / मंजूरी	हां/नहीं/लागू नहीं/के लिए आवेदन	• *यदि हां, तो कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट (सीटीई)/कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) की प्रति संलग्न करें।* • *यदि 'के लिए आवेदन किया गया है', तो एमएसएमई इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित एसपीसीबी को या एसपीसीबी को भुगतान किए गए शुल्क की रसीद प्रति संलग्न करें।*
3	क्या इकाई को नियामक गैर-अनुपालन या मानदंडों या सहमति शर्तों के उल्लंघन के लिए कोई नोटिस मिला है या अदालत में किसी भी मुकदमेबाजी या दोषसिद्धि के भौतिक निपटान का सामना करना पड़ा है	हाँ नहीं	*यदि हां, तो ऐसे कारण बताएं जिनके कारण उद्योग को अनुपालन न करने वाले के रूप में अधिसूचित किया गया और अनुपालन करने के लिए कार्रवाई की गई। स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या समस्या हल हो गई है या नहीं। यदि नहीं, तो स्पष्ट रूप से कारण बताएं।*
4	सहमति का अनुपालन - उदाहरण के लिए। सहमति के अनुसार सुझाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपाय की स्थापना	हाँ/नहीं/लागू नहीं	*विचलन, यदि कोई हो, की सूची बनाइए*
B. सामाजिक पहलू			
5	क्या इकाई अपने संचालन के लिए बच्चे और/या जबरन श्रम को नियोजित करती है	हाँ नहीं	
6	क्या इकाई अपने संचालन के लिए व्यावसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी	हाँ नहीं	

S.No l	विवरण	प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
	उपायों को नियोजित करती है *[उदाहरण के लिए: संचालन के दौरान दस्ताने, हेलमेट, मास्क पहनने वाले श्रमिक (विशेष रूप से वेल्डिंग संचालन के दौरान), अग्नि सुरक्षा उपायों की स्थापना (जैसे ग्रीन ज़ोन में दबाव नापने का यंत्र लगाने वाले काम करने योग्य/प्रयोग करने योग्य अग्निशामक), आदि]*		
7	क्या इकाई ईएसआई/ईपीएफ आदि जैसी श्रम कल्याण आवश्यकताओं का अनुपालन करती है	हाँ नहीं	
8	क्या इकाई में श्रमिक के लिए कैंटीन/टॉयलेट/शौचालय जैसी व्यावसायिक सुविधाएं हैं?	हाँ नहीं	
9	क्या इकाई महिलाओं को रोजगार देती है? यदि हां, तो क्या उन्हें शौचालय/विश्राम कक्ष जैसी पृथक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं	हाँ नहीं	
10	क्या परियोजना/इकाई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर/विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि में स्थित है?	हाँ नहीं	*यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं*
11	क्या परियोजना में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है जिसके कारण लोगों का विस्थापन/अनैच्छिक पुनर्वास होता है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
12	क्या इकाई/परियोजना जनजातीय लोगों/स्वदेशी लोगों के महत्वपूर्ण निपटान और/या सामूहिक लगाव के क्षेत्रों में स्थित है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
13	क्या परियोजना में किसी भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के संकेत, परिवर्तन/क्षति/निष्कासन शामिल हैं?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
14	क्या परियोजना/इकाई किसी भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यानों/आरक्षित वनों के करीब (10 किमी के भीतर) स्थित है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	

** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय*

*** राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण*

(प्रमोटरों के हस्ताक्षर)

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त ईएसडीडी रिपोर्ट में प्रदान की गई जानकारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिवत जांच/सत्यापित किया गया है और पर्याप्त वातावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं और इसलिए केएफडब्ल्यू लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ऋण प्रदान करने के लिए सिडबी द्वारा विचार किया जा सकता है।

दस्तख़त देखिए। :
व्यक्ति का नाम :
औहदा :
पीएफआई और शाखा का नाम :

सिडबी, जीसीएफवी के उपयोग के लिए

☐ अनुमोदित

☐ सशर्त अनुमोदन (शर्तें निर्दिष्ट करें)

☐ अनुमोदित नहीं, इसके कारण

अनुलग्नक 2: अस्वीकार्य सूची

सिडबी एक संगठन के रूप में निम्नलिखित (**परियोजनाओं की नकारात्मक/बहिष्करण सूची**) का वित्तपोषण नहीं करता है:

1. किसी भी उत्पाद या गतिविधि में उत्पादन या व्यापार जिसे भारतीय कानूनों या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के तहत अवैध माना जाता है।
2. हथियारों और युद्ध सामग्री का उत्पादन या व्यापार।
3. मादक पेय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार (बीयर और वाइन को छोड़कर)।
4. तम्बाकू का उत्पादन अथवा व्यापार।
5. जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यम।
6. सीआईटीईएस के तहत विनियमित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पादों में व्यापार।
7. रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्पादन या व्यापार।
8. असीमित एस्बेस्टस फाइबर का उत्पादन या व्यापार या उपयोग।
9. वाणिज्यिक लॉगिंग संचालन या प्राथमिक उष्णकटिबंधीय नम वन में उपयोग के लिए लॉगिंग उपकरण की खरीद (वानिकी नीति द्वारा निषिद्ध)।
10. पीसीबी युक्त उत्पादों में उत्पादन या व्यापार।
11. फार्मास्यूटिकल्स में उत्पादन या व्यापार अंतरराष्ट्रीय चरण बहिष्कार या प्रतिबंध के अधीन।
12. 2.5 किमी से अधिक लंबाई में जाल का उपयोग करके समुद्री वातावरण में बहाव जाल मछली पकड़ना।
13. ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उत्पादन या व्यापार अंतर्राष्ट्रीय चरण के अधीन है।
14. स्टॉकहोम अभिसमय के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथा सहमत अंतर्राष्ट्रीय फेज आउट अथवा प्रतिबंध के अध्यधीन कीटनाशकों/शाकनाशियों का उत्पादन अथवा व्यापार।
15. ऐसी गतिविधियां या जिनमें हानिकारक या शोषणकारी बाल श्रम अथवा बलात् श्रम शामिल हों ।
16. ऐसी परियोजनाएं/गतिविधियां जिनमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है और/या भूमि की हानि/आय के स्रोत की हानि/आजीविका की हानि, निजी या सार्वजनिक भूमि से लोगों या समुदायों के समुदाय पर प्रभाव/विस्थापन या आजीविका पर कोई नकारात्मक प्रभाव।
17. महत्वपूर्ण निपटान के क्षेत्रों में स्थित परियोजनाएं या जनजातीय लोगों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों को प्रभावित करती हैं और आदिवासी और स्वदेशी लोगों की भूमि, संस्कृति, आजीविका और जीवन के तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं
18. संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों और प्राकृतिक/सांस्कृतिक विरासत स्थानों में स्थित परियोजनाएं। यदि इन क्षेत्रों में कोई गतिविधि प्रस्तावित है, तो लाभार्थियों को अपेक्षित अनुमति प्राप्त करनी होगी। इन अनुमतियों की आवश्यकता होती है यदि गतिविधियों को संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों या विरासत स्थानों से एक किमी के भीतर किया जाता है।
19. श्रेणी ए संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय और / या सामाजिक जोखिमों और प्रभावों वाली परियोजनाएं, जो व्यक्तिगत या संचयी रूप से, विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हैं। और ।1 यानी जब एक मध्यस्थ के मौजूदा या प्रस्तावित पोर्टफोलियो में संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक गतिविधियों के लिए वित्तीय जोखिम शामिल है या शामिल होने की उम्मीद है।

20. परियोजनाएं जो किसी भी तरह से सीमित बाहरी संपर्क वाले स्वदेशी लोगों को प्रभावित करती हैं, जिन्हें "स्वैच्छिक अलगाव में", "पृथक लोगों" या "दूरस्थ समूहों" के रूप में भी जाना जाता है।
21. नस्लवादी, लोकतंत्र विरोधी और / या नव-नाजी मीडिया का उत्पादन और वितरण।
22. परियोजनाएं जिनमें महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण या क्षरण शामिल है
23. ताड़ के तेल या लकड़ी का उत्पादन करने वाले बड़े कृषि या वानिकी उद्यम (>5,000 हेक्टेयर) जो मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रणालियों (जैसे आरएसपीओ या एफएससी) या समकक्ष नियमों का पालन नहीं करते हैं।
24. ऐसी प्रथाएं जो कर्मचारियों को संघ और सामूहिक सौदेबाजी के अपने अधिकारों का कानूनी रूप से प्रयोग करने से रोकती हैं
25. परमाणु ऊर्जा संयंत्र (मौजूदा परिसंपत्तियों के पर्यावरणीय खतरों को कम करने वाले उपायों के अलावा) और निष्कर्षण के एक आवश्यक स्रोत के रूप में यूरेनियम के साथ खानें।
26. कोयले की संभावना, अन्वेषण और खनन; परिवहन के भूमि आधारित साधन और संबंधित बुनियादी ढांचे का उपयोग अनिवार्य रूप से कोयले के लिए किया जाता है; बिजली संयंत्रों, हीटिंग स्टेशनों और सह-उत्पादन सुविधाओं को अनिवार्य रूप से कोयले के साथ-साथ संबंधित स्टब लाइनों से निकाल दिया जाता है।
27. गैर-पारंपरिक संभावना, बिटुमिनस शेल, टार रेत या तेल रेत से तेल की खोज और निष्कर्षण।
28. अपशिष्ट उत्पादों में सीमा पार व्यापार जब तक कि बेसल कन्वेंशन और अंतर्निहित नियमों का अनुपालन न हो।
29. लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) का उत्पादन या व्यापार
30. कचरे में निषिद्ध सीमा व्यापार (बेसल कन्वेंशन के तहत)
31. निवेश जो विशेष रूप से संरक्षण के योग्य क्षेत्रों के विनाश या महत्वपूर्ण हानि से जुड़ा हो सकता है (अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त मुआवजे के बिना)।
32. स्थायी रूप से प्रबंधित वनों के अलावा लकड़ी या अन्य वानिकी उत्पादों में उत्पादन या व्यापार।
33. खतरनाक रसायनों के महत्वपूर्ण संस्करणों का उत्पादन, व्यापार, भंडारण या परिवहन, या खतरनाक रसायनों का व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग। खतरनाक रसायनों में गैसोलीन, मिट्टी का तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।
34. उत्पादन या गतिविधियाँ जो स्वदेशी लोगों द्वारा स्वामित्व वाली या निर्णय के तहत दावा की गई भूमि पर प्रभाव डालती हैं, ऐसे लोगों की पूर्ण प्रलेखित सहमति के बिना

अनुलग्नक 3:

<u>क्षेत्रों की पसंद के लिए मुख्य विचार:</u>

- इस कार्यक्रम प्रस्ताव में शमन कार्यकलापों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (अर्थात् कपड़ा, रसायन, चमड़ा, लुगदी एवं कागज, सीमेंट, इस्पात री-रोलिंग और स्पंज आयरन) सीपीसीबी के क्षेत्रों के जोखिम वर्गीकरण/वर्गीकरण के अनुसार लाल श्रेणी के अनुरूप हैं[15]। यह वर्गीकरण पर्यावरणीय जोखिम पर आधारित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की प्रदूषणकारी क्षमता (जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन शामिल है) पर आधारित है।
- प्रस्तावित हस्तक्षेपों अर्थात ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा से क्षेत्रों का कार्बनीकरण कम होगा और इस प्रकार जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के खिलाफ क्षेत्रों की लचीलापन में सुधार होगा। इस प्रकार, लाल के रूप में वर्गीकृत 7/13 क्षेत्रों में इन हस्तक्षेपों को बढ़ावा देकर, प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभावों को कम किया जा रहा है।
- ई एंड एस स्क्रीनिंग के माध्यम से, कार्यक्रम में उल्लिखित निवेश मानदंडों के अनुसार केवल कम और मध्यम जोखिम वाली उप-परियोजनाएं वित्तपोषण के लिए पात्र होंगी

[15] https://cpcb.nic.in/uploads/Latest_Final_Directions.pdf

अनुलग्नक 4: पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम चेकलिस्ट

(भावी उधारकर्ता द्वारा भरा जाना और ऋण आवेदन से जुड़ा होना)

S.No l	विवरण	प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
A. पर्यावरणीय पहलू			
1	एमओईएफसीसी */एसईआईएए से पर्यावरण मंजूरी**	हां/नहीं/लागू नहीं/के लिए आवेदन	• *यदि 'हां, तो उसकी प्रति संलग्न करें।* • *यदि 'आवेदन किया गया है, तो एमएसएमई इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित एसपीसीबी को या एसपीसीबी को भुगतान किए गए शुल्क की रसीद प्रति संलग्न करें।*
2	एसपीसीबी / सीपीसीबी से वैध सहमति / मंजूरी	हां/नहीं/लागू नहीं/के लिए आवेदन	• *यदि हां, तो कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट (सीटीई)/कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) की प्रति संलग्न करें।* • *यदि 'के लिए आवेदन किया गया है, तो एमएसएमई इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित एसपीसीबी को या एसपीसीबी को भुगतान किए गए शुल्क की रसीद प्रति संलग्न करें।*
3	क्या इकाई को नियामक गैर-अनुपालन या मानदंडों या सहमति शर्तों के उल्लंघन के लिए कोई नोटिस मिला है या अदालत में किसी भी मुकदमेबाजी या दोषसिद्धि के भौतिक निपटान का सामना करना पड़ा है	हाँ नहीं	*यदि हां, तो ऐसे कारण बताएं जिनके कारण उद्योग को अनुपालन न करने वाले के रूप में अधिसूचित किया गया और अनुपालन करने के लिए कार्रवाई की गई। स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या समस्या हल हो गई है या नहीं। यदि नहीं, तो स्पष्ट रूप से कारण बताएं।*
4	सहमति का अनुपालन - उदाहरण के लिए। सहमति के अनुसार सुझाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपाय की स्थापना	हाँ/नहीं/लागू नहीं	*विचलन, यदि कोई हो, की सूची बनाइए*
B. सामाजिक पहलू			
5	क्या इकाई अपने संचालन के लिए बच्चे और/या जबरन श्रम को नियोजित करती है	हाँ नहीं	
6	क्या इकाई अपने संचालन के लिए व्यावसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों को नियोजित करती है *[उदाहरण के लिए: संचालन के दौरान*	हाँ नहीं	

S.No l	विवरण	प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
	दस्ताने, हेलमेट, मास्क पहनने वाले श्रमिक (विशेष रूप से वेल्डिंग संचालन के दौरान), अग्नि सुरक्षा उपायों की स्थापना (जैसे ग्रीन ज़ोन में दबाव नापने का यंत्र लगाने वाले काम करने योग्य/प्रयोग करने योग्य अग्निशामक), आदि]		
7	क्या इकाई ईएसआई/ईपीएफ आदि जैसी श्रम कल्याण आवश्यकताओं का अनुपालन करती है?	हाँ नहीं	
8	क्या इकाई में श्रमिक के लिए कैंटीन/टॉयलेट/शौचालय जैसी व्यावसायिक सुविधाएं हैं?	हाँ नहीं	
9	क्या इकाई महिलाओं को रोजगार देती है? यदि हां, तो क्या उन्हें शौचालय/विश्राम कक्ष जैसी पृथक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं	हाँ नहीं	
10	क्या परियोजना/इकाई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर/विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि में स्थित है	हाँ नहीं	*यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं*
11	क्या परियोजना में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है जिसके कारण लोगों का विस्थापन/अनैच्छिक पुनर्वास होता है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
12	क्या इकाई/परियोजना महत्वपूर्ण निपटान के क्षेत्रों और/या आदिवासी लोगों/स्वदेशी लोगों के सामूहिक लगाव के क्षेत्रों में स्थित है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
13	क्या परियोजना में किसी भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के संकेत, परिवर्तन/क्षति/निष्कासन शामिल हैं?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
14	क्या परियोजना/इकाई किसी भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के करीब और राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्य/आरक्षित वनों से 10 किमी के भीतर स्थित है?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	

** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय*
*** राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण*

(प्रमोटरों के हस्ताक्षर)

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपर्युक्त ईएसडीडी रिपोर्ट में दी गई सूचना की अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिवत जांच/सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि उसमें पर्याप्त पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और इसलिए सिडबी द्वारा जीसीएफ के तहत ऋण प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

दस्तख़त देखिए। :
व्यक्ति का नाम :
औहदा :
पीएफआई और शाखा का नाम:

सिडबी, जीसीएफवी के उपयोग के लिए

☐ अनुमोदित

☐ सशर्त अनुमोदन (शर्तें निर्दिष्ट करें)

☐ अनुमोदित नहीं, इसके कारण

नोट 1:

उपर्युक्त पहचाने गए पैरामीटरों के अतिरिक्त, चेकलिस्ट के लिए निम्नलिखित पैरामीटरों पर विचार किया जाएगा (जीसीएफ के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए विशिष्ट):

- क्या निर्माण या संचालन के दौरान भूजल जलभृत में कोई तरल निर्वहन होगा?

- क्या यह परियोजना नई और अतिरिक्त नौकरियां पैदा करेगी?

- क्या यह परियोजना आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? (यदि उत्तर हां है और आजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, तो कृपया विवरण संलग्न करें कि यह कैसे प्रभावित होगा और प्रभाव का प्रकार, परिमाण और गंभीरता)

- यदि आजीविका प्रभावित होती है, तो क्या पर्याप्त विकल्प या मुआवजे पर विचार किया जाता है? (यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रदान करें)

- क्या पड़ोसी समुदायों और संपत्तियों से कोई विवाद/शिकायतें हैं?

यदि पर्यावरण पहलुओं (Q1 और Q2) का उत्तर नहीं है और इकाई को ऐसी सहमति की आवश्यकता है, तो उन्हें वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।

यदि Q 5 का उत्तर हाँ है, तो इकाई को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।

यदि Q11 से Q14 आईडी हाँ के उत्तर हैं, तो इकाई को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।

यदि इकाई को पर्यावरण मंजूरी (ईसी), स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) या संचालित करने के लिए सहमति (सीटीओ) की आवश्यकता नहीं है तो इसे शाखा कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। और उपरोक्त चेकलिस्ट में अतिरिक्त प्रश्न जोड़े जाएंगे: -

क्या इकाई

- निर्माण, संचालन या डीकमीशनिंग के दौरान ठोस अपशिष्ट पैदा करता है?

- संचालन के दौरान मीठे पानी की आवश्यकता है?

- एक जोखिम पैदा करता है जो पीने के पानी के दूषित होने का कारण बनता है?

- किसी भी पेड़ को काटने की आवश्यकता है?

- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर या आस-पास स्थित हो

- निर्माण या संचालन के दौरान किसी भी प्रदूषक या किसी भी खतरनाक, विषाक्त या हानिकारक पदार्थों को हवा, पानी में छोड़ दें?

-क्या निर्माण या संचालन के दौरान भूजल एक्वीफर में कोई तरल निर्वहन होगा? यदि हां, तो क्या कोई उपचार तंत्र है?

यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) की आवश्यकता होती है तो सभी प्रदूषण मापदंडों की जांच की जाती है और अनुपालन के आधार पर, संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा इकाइयों को सहमति दी जाती है। यदि किसी भी मामले में प्रदूषण को कम नहीं किया जाता है तो सहमति नहीं दी जाती है।

अनुलग्नक 5: पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) अनुपालन शीट

(मूल्यांकन नोट के साथ संलग्न किया जाना है)

आरओ/बीओ :

इकाई का नाम :

क्र.सं.	**विवरण**		**आरएम की टिप्पणियाँ /**
1	क्या इकाई के पास एसपीसीबी / सीपीसीबी से वैध सहमति/मंजूरी है	हाँ/नहीं/लागू नहीं	यदि हां, तो पत्र की संख्या और तारीख, जारी करने वाले प्राधिकारी, प्रकृति/सहमति का नाम/मंजूरी, वैधता अवधि आदि जैसे संक्षिप्त विवरण दें। यदि 'नहीं' है, तो इकाई योजना के तहत पात्र नहीं होगी।
2	क्या इकाई ऋणात्मक/बहिष्करण सूची के अंतर्गत आती है	हाँ नहीं	यदि हां, तो इकाई योजना के तहत पात्र नहीं होगी।
3	परियोजना को ई एंड एस जोखिम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करें		विवरण प्रदान करें

[हस्ताक्षर और रिलेशनशिप मैनेजर का नाम]

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक 6: ईई उपायों और इसके लाभों का सारांश

एक. एमएसएमई इकाइयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ऊर्जा दक्षता उपायों का विवरण

क्र. सं.	ऊर्जा की बचत के उपाय	अनुमानित वार्षिक ऊर्जा बचत			अनुमानित निवेश INR लाख	मौद्रिक बचत INR लाख /	सरल पेबैक (एम/वर्ष)	उत्सर्जन में कमी (tCO2)	ऊर्जा की बचत (TOE/yr)
		बिजली (kWh)	कोयला (मीट्रिक टन)	अन्य ईंधन					
1									
	कुल मिलाकर								

दो. ईई उपायों के कार्यान्वयन से लाभ

क्र.सं.	पैरामीटर	इकाई	आधार रेखा (कार्यान्वयन से पहले)	होने के लिए (कार्यान्वयन के बाद)	अंतर	% बदलाव
1	संयंत्र में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा	kWh/वर्ष				
2	संयंत्र में प्रयुक्त डीजल (विद्युत)	केएल/वर्ष				
3	उत्पादन	मीट्रिक टन/वर्ष				
4	ऊर्जा की लागत	लाख रु/वर्ष				
5	कुल मिलाकर ऊर्जा की खपत	एमटीओई				
6	विशिष्ट ऊर्जा खपत	केजीओई/एमटी				
7	विशिष्ट ऊर्जा लागत	रु. /एमटी				
8	कुल मिलाकर CO2 उत्सर्जन	tco2/वर्ष				

तीन. अनुशंसित ईई विकल्पों के कार्यान्वयन के बाद इकाई को संभावित अन्य लाभ (संक्षेप में विवरण प्रदान करें)

- ⇒ उत्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार
- ⇒ पर्यावरणीय लाभ
- ⇒ सामाजिक लाभ (जैसे, सृजित रोजगार, आजीविका प्रभावित)

अनुलग्नक 7: ईएसजी रेटिंग - पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ईएसजी) मापदंडों का आकलन

Input Sheet-SME

Entity Name

Note: In Criteria column, upper limit value in the given range is excluded. (For example in 5-8, 8 is not be considered for selection purpose)

1 Management Risk

	Parameter		Criteria	Selection Guide	Score (enter option number ex. 1 for first option)	Qualifying Remark
1.1	Track Record of operations	1	>15 years - Very Long	• ट्रैक रिकॉर्ड को संचालन शुरू होने की तारीख से मापा जाता है। इसके अलावा, अन्य इकाई के कारोबार के अधिग्रहण के मामले में, उस इकाई का ट्रैक रिकॉर्ड जोड़ा जाना चाहिए यदि उसके पास बड़े पैमाने पर संचालन है यानी विलय / अधिग्रहण के बाद संयुक्त कारोबार का कम से कम 40%।	1	
		2	8-15 years - Long			
		3	5-8 years - Reasonable			
		4	3-5 years - Short			
		5	1-3 years - Very Short			
		6	Project phase or less than 1 Year			
1.2	Experience of promoter/Key personnel in the current business or	1	>20 years - Very Long	• Experience of only key management personnel who are involved in the business should be considered. • It is based on the average experience of Directors/partners or experience of proprietor in the current business or similar line of business.	1	
		2	10-20 years - Long			
		3	5-10 years - Reasonable			
		4	3-5 years - Short			

	similar industry	5	<3 years - Very Short	• In case of professional/executive staff manages the overall operations. Average of their experience in the business will be taken. • The experience should be seen in terms of industry not for products. For example if entity is engaged in manufacturing of texturized yarn then experience in textile industry would be used for calculation purposed not experience in manufacturing of texturized yarn.		
1.3	Presence of formal/informal organizational structure	1	Presence of structure with clearly defined levels and responsibilities	• Organizational structure should commensurate to the size of operations. • The major bifurcation for SMEs should be seen in terms of production, marketing, finance and procurement functions. • Here, the operations would be handled by promoters and family personnel so non-employment of professional executives should not be considered as negative.	2	
		2	Presence of structure with clearly defined levels, responsibilities but comprises of family members			
		3	Presence of structure but with no defined roles			
		4	Absent, with a one man show			
1.4	Constitution of the entity	1	Company	As per incorporation document	2	
		2	Partnership/trust/Society/LLP			
		3	Proprietorship			
1.5	Succession planning	1	Present/Not an Issue	• Succession planning is to be analyzed in terms of second generation, family personnel who can look after business. • Also, the age of key promoters or flexibility to appoint executives for management would need to be seen under this parameter.	1	
		2	Absent			
1.6		1	Good		1	

	Importance of finance function	2	Moderate	• Importance given to finance function is measured in terms of timely arrangement of funds through banks or own funds as per business needs, Systems setup for timely payment of debt obligations, budgeting and payments policies for debtors and creditors. • Presence of internal auditor, professionals and delegation of power for minor finance related functions should be seen.		
		3	Poor			
1.7	SME specific Corporate Governance practices and clarity of future goals	1	Sound	• It is to be measured in terms of clarity on future goals, compliance of statutory requirements, adequate disclosures of related party transactions, non-usage of funds other than business requirements and past record of key management personnel. • Transactions with associate/group concerns should also be seen.	1	
		2	Good			
		3	Average			
		4	Weak			

2 Industry Risk

	Parameter		Criteria	Selection Guide	Score (enter option number ex. 1 for first option)	Qualifying Remark
2.1	Demand-Supply Position	1	Highly favorable	• It is to be based on industry research and Future growth prospects of industry. • In case of regional/Local focus the Demand supply position should be focused on region specific but overall demand/supply scenario should also be analyzed. • Here, highly favorable should be selected in case of increasing demand of the products having high growth prospects with limited	2	
		2	Favorable			
		3	Moderate			
		4	Unfavorable			

		5	Highly unfavorable	players to meet the demand or few players (including entity under consideration) commands major market share.		
2.2	Competitive position of the company in the industry	1	Very Strong	• Selection should be based on Size of operations/Market share/Uniqueness in the products, bargaining power of customer and suppliers etc. • For SMEs, if an entity command significant share in particular region (minimum state level), it can be seen as "strong" position.	2	
		2	Strong			
		3	Moderate			
		4	Weak			
		5	Very weak			
2.3	Cyclicality and Seasonality	1	No / negligible	• Based on industry in which entity is operating. Cyclical industries includes textile, real estate, steel, automobile etc. and seasonal industries includes construction, agricultural, mining etc.	1	
		2	Moderate			
		3	High			
2.4	Impact of changes in governmental regulations/policies/Threat of imports and substitutes	1	Negligible impact	• It is to be based on extent of government intervention in past, control on prices/government schemes offered in the industry, regulatory compliance requirements, control on export sales, control on import of raw material, regulations related to anti-dumping duty etc. • Further, threat of cheaper imports must be analyzed.	1	
		2	Little impact			
		3	Moderate impact			
		4	Significant impact			
		5	Very significant impact			
2.5	Sensitivity of operations to the requirement of clearances	1	Negligible impact	• Clearances specific to industry should be seen which includes environmental clearances, waste disposal, land clearances etc. alongwith region specific issues related to receipt of clearances should be seen.	1	
		2	Moderate impact			
		3	Significant impact			
2.6	Raw material availability	1	Abundantly available	• It should be seen in terms of timely availability and in context of raw material inventory holding requirement. • For SMEs, backward integration even in group	1	
		2	Available, future shortages cannot be ruled out			

		3	Available, but with occasional shortages	companies should be viewed positively as would reduce raw material availability risk. • Special focus should be given for industries like fertilizers, chemicals, rubber, agricultural based products etc.		
		4	Very frequent material shortages			
2.7	Price volatility of raw materials	1	Low volatility	If absolute change in raw material prices during last three years on average basis is: more than 20% than High volatility, 10%-20% moderate Volatility and less than 10% than low volatility	2	
		2	Moderate volatility			
		3	High volatility			

Note: Entry Barriers is not a weakness for SME as in SME segment in generally entry barriers are low

3 Operational Risk

	Parameter		Criteria	Selection Guide	Score (enter option number ex. 1 for first option)	Qualifying Remark
3.1	Locational Advantage	1	Favorable - Present in a product cluster	• A unit present in a cluster will fetch higher marks as there is an established supply for the raw material as well as market for finished goods • If not present in a cluster then the distance of raw material suppliers as well as its customers will be taken into consideration.	2	
		2	Average - Present near to the product cluster/proximity to raw material procurement Area/Proximity to its customers			
		3	Unfavorable - No locational advantage			
3.2	Adequacy and availability of utilities like power, water etc.	1	Adequate with full backup facilities	• Based on availability of power and water in the region and the backup facility available with the entity. This must be seen in context of the nature of business/products manufacturing process. The units with integrated operation having waste management and material	1	Firm is having sanctioned power and in addition, installed Solar panels for which funding from
		2	Adequate with partial or no backup facilities			
		3	Adequate with no backup and frequent interruptions			

		4	Inadequate	recovery mechanism in place should be graded higher.		SIDBI is proposed.
3.3	Capacity utilization for the last three years (Weighted Avg. utilization)	1	More than 80%	Based on data submitted by entity. For Latest Year (Y) weight is 50%, for previous year (Y-1) weight is 30% and for first year (Y-2) weight is 20%.If capacity utilization cannot be measured then based on best possible option can selected.	2	
		2	60-80 %			
		3	40-60 %			
		4	<40 %			
3.4	Adequacy and availability of Manpower	1	Adequate manpower and sourcing is easy	• For a unit with requirement of more unskilled labors, more weightage needs to be given to those companies which are located in the region where the adequate local labor is available. • Irrespective of demand supply of manpower, one should analyze the sourcing arrangements like training programs, tie-ups with Industrial training institutions (ITIs) and local labor unions. • Retaining of manpower should be analyzed as well.	1	
		2	Adequate manpower but sourcing is difficult			
		3	Inadequate manpower but sourcing is easy			
		4	Inadequate manpower and sourcing is difficult			
3.5	Geographical Diversification	1	Highly Diversified	• The companies having presence in both export and domestic presence with almost equal proportion should get the highest. If the product is sold only domestically then in domestic market, presence in number of states should be analyzed.	2	
		2	Moderately Diversified			
		3	Limited Diversity			
		4	Single State or regional presence			
3.6	Importance of marketing and adequacy of current marketing setup	1	Not required OR Required and adequate setup present which is fully effective	• This must be analyzed in respect of number of states covered, dealer network, branch offices, sales force and distribution setup.	2	
		2	Required but the setup is moderately effective			
		3	Required, but the setup is totally ineffective			

3.7	Customer Profile	1	Very well known and well diversified	• The sales value wise top customers need to be analyzed in order to give a score. The sales proportion to the reputed and well known customer needs to be analyzed in order to arrive at score. • In case of export operations, a company may have single distributor as a customer, so it should not be seen negatively and proper analysis is required in terms of end users.	1	
		2	Known and Less diversified			
		3	Well Diversified			
		4	Moderately Diversified			
		5	Unorganized and concentrated Customers			
3.8	Technology used	1	Latest and proven technology	• Technology adopted should be seen in context of technology used by other players, age of Plant & Machinery and the technology available in the market.	1	
		2	Latest and unproven technology			
		3	Relatively new technology/ old but proven technology			
		4	Obsolete technology			
3.9	Quality Management	1	Functional quality process available supported by certification	• Based on the copies of certificate submitted by entity which are valid as on date. • Here functional means that actual implementation of processes as observer during site visit.	2	
		2	Functional quality process available not supported by certification			
		3	Non functional quality process but availability of certification			
		4	No process and no certification			
3.10	Product diversity	1	Multiple products catering to different industries	The different products manufactured and the user industries of those products need to be analyzed. A company manufacturing multiple products catering to different industries will be rated higher as the risk diversity is much higher in this case.	2	
		2	Limited product portfolio catering to different industries			
		3	Multiple products catering to single industry			
		4	Limited product portfolio catering to single industry			

4 Financial Risk

	Parameter		Criteria	Selection Guide	Score (enter option number ex. 1 for first option)	Qualifying Remark
4.1	Growth in Total Operating Income in last 3 years	1	High (>25%)	• Based on the 3 years Compounded Annual Growth Rate. • In case of operation of 2 years last year annualized growth rate would be considered. • In case of operations of only one year, based of realistic projected growth of next year, the option should be selected.	4	
		2	Moderate (10%-25%)			
		3	Low (0%-10%)			
		4	Negative Growth			
4.2	Average PBIDT Margin for last three years	1	14% and above	• PBIDT margin = (Profit before interest, depreciation and tax expense excluding non-operating and extraordinary income and expenses)/ Total Income • In case of operations of less than three years, the average would be for the number of years of actual operations.	2	
		2	11%-14%			
		3	8%-11%			
		4	5%-8%			
		5	2%-5%			
		6	Below 2%			
4.3	Average PAT Margin for the last three years	1	9% and above	• PAT margin = (Profit After Tax)/Total Income • In case of operations of less than three years, the average would be for the no of years of actual operations.	5	
		2	6%-9%			
		3	3%-6%			
		4	1%-3%			
		5	Below 1%			
4.4	ROCE (%)	1	> 16%		1	

		2	12-16%	ROCE = Annualized Profit before Interest and tax/Average Capital employed of last two years. • Data as per the latest available financials provided by the entity.		
		3	8-12%			
		4	4-8%			
		5	< 4%			
4.5	Variability in Gross Profit Margins	1	Margins are stable	Based on the trend in at least last 3 years	3	
		2	Margins are less stable			
		3	Margins are highly volatile			
4.6	Long term debt equity ratio	1	<0.75 times	• Long term Debt Equity = (Total long term debt as on Balance sheet date excluding unsecured loans subordinated to bank debt)/(TNW+ unsecured loans subordinated to bank debt) TNW (Tangible Net worth) = Equity share capital + Reserve & surplus + Share premium + Deferred tax liabilities - Misc. Expenditure not written off - intangible assets • Data as per the latest available financials provided by the entity.	1	
		2	0.75 to 1 times			
		3	1 to 1.25 times			
		4	1.25 to 2 times			
		5	> 2 times			
4.7	Overall Gearing Ratio	1	< 1 times	• Based on latest audited results. Overall gearing = (Total debt as on Balance sheet date excluding unsecured loans subordinated to bank debt)/(TNW+ unsecured loans subordinated to bank debt) • Data as per the latest available financials provided by the entity.	1	
		2	1 - 2 times			
		3	2 - 3 times			
		4	3 - 4 times			
		5	>4 times			
4.8	Total Debt / Gross Cash Accruals (times)	1	< 2 times	• Based on latest audited results. Total Debt to GCA = (Total debt as on Balance sheet date excluding unsecured loans subordinated to bank debt)/Gross Cash Accruals	2	
		2	2 - 4 times			
		3	4 - 7 times			
		4	7 - 10 times			
		5	10 - 14 times			

		6	>14 times	• Data as per the latest available financials provided by the entity.		
4.9	Interest Coverage Ratio	1	> 3 times	• Interest Coverage = PBIDT/Interest • PBIDT = Profit before interest, depreciation and tax expense excluding non-operating and extraordinary income and expenses • Here, interest should be grossed up if net interest is shown. • In case of capitalized interest to be met by equity infusion, same should be deducted from total interest. • Data as per the latest available financials provided by the entity.	1	
		2	2 - 3 times			
		3	1.5 - 2 times			
		4	1 - 1.5 times			
		5	<1 times			
4.10	TOL/TNW	1	< 1.5 times	• TOL/TNW = Total Outside Liabilities/TNW Total Outside Liabilities = Total Debt + Total current Liabilities • Data as per the latest available financials provided by the entity.	1	
		2	1.5 - 2.5 times			
		3	2.5 - 4 times			
		4	4 - 5.5 times			
		5	5.5 - 7 times			
		6	>7 times			
4.11	Minimum DSCR (for next three years)	1	>2.00 times	• Based on realistic CMA i.e. if analyst feels same is highly optimistic, same can be adjusted and then figure should be taken. • DSCR = Debt obligation (Interest+ loan repayments)/ (Gross Cash Accruals+ Interest)	1	
		2	1.50 -2.00 times			
		3	1.25 - 1.50 times			
		4	1 -1.25 times			
		5	<1 times			
4.12	Average DSCR (for next three years)	1	>2.75 times	• Based on realistic CMA i.e. if analyst feels same is highly optimistic, same can be adjusted and then figure should be taken. • DSCR = Debt obligation (Interest+ loan repayments)/ (Gross Cash Accruals+ Interest)	1	
		2	2.25-2.75 times			
		3	1.75 - 2.25 times			
		4	1.25 -1.75 times			
		5	<1.25 times			
4.13	Working capital turnover ratio	1	> 5.0 times	• Working Capital turnover = Total Income/Average Net working capital of last two year balance sheet dates • Data as per the latest available financials provided by the entity.	3	
		2	3.5-5 times			
		3	2.0-3.5 times			
		4	1.0-2.0 times			
		5	< 1.0 times			

4.14	Current Ratio	1	2 and above	• Current Ratio = Total Current Assets/Total Current Liabilities • Total current liabilities includes working capital borrowings and current maturity of long term debt • Data as per the latest available financials provided by the entity	2	
		2	1.33-2			
		3	1.2-1.33			
		4	1-1.2			
		5	Below 1			
4.15	Quick Ratio	1	1 and above	• Quick Ratio = (Total Current Assets-inventory)/Total Current Liabilities • Total current liabilities includes working capital borrowings and current maturity of long term debt • Data as per the latest available financials provided by the entity.	5	
		2	0.85 - 1			
		3	0.70 - 0.85			
		4	0.60-0.70			
		5	Below 0.60			
4.16	Average Cash DSCR (for next 3 years)	1	1.5 and above	• Based on realistic CMA i.e. if analyst feels same is highly optimistic, same can be adjusted and then figure should be taken. • Cash DSCR = Debt obligation (Interest+ loan repayments)/ (Gross Cash Accruals+ Interest – margin commitment (25%) for incremental working capital requirement)	1	
		2	1.35-1.5			
		3	1.2-1.35			
		4	1-1.2			
		5	Below 1			
4.17	Average utilization of working capital limits in last one year	1	< 65%	• Based on average utilization of limits as against drawing power during last 12 months. • In case of multiple facilities same should be added i.e. average of monthly utilization of [(average utilization of facility1+ average utilization of facility 2+ so on)/(DP of facility 1+DP of facility 2 + so on)] • In case average utilization is difficult to determine same can be calculated backwards based on interest paid/ interest rate during the month.	1	
		2	65-75%			
		3	75-85%			
		4	85-95%			
		5	> 95%			

5 Project Risk

Entity is ndertaking project? If Yes whether project size is more than 50% of networth as per latest audited balance sheet? (Y / N)
N

	Parameter		Criteria	Selection Guide	Score (enter option number ex. 1 for first option)	Qualifying Remark
	Pre-Implementation Risk					
5.1	Project Size compared to networth	1	< 0.5	• Project size is compared to networth as per latest full year results • TNW (Tangible Net worth) = Equity share capital + Reserve & surplus + Share premium + Deferred tax liabilities - Misc. Expenditure not written off - intangible assets • Data as per the latest available financials provided by the entity.	5	
		2	0.5 - 1.00			
		3	1.00 - 1.50			
		4	1.50 - 2.00			
		5	> 2.00			
5.2	Project Gearing	1	0.25 - 0.50	• Project Gearing = Debt fund/Promoters contribution After considering unsecured loans from promoters as quasi equity.	5	
		2	0.50 - 1.00			
		3	1.00 - 1.50			
		4	1.50 - 2.00			
		5	> 2.00			
5.3	Financial Closure	1	Achieved	• Financial closure refers to the arrangement of funds for project it includes both equity as well as debt portion	1	
		2	Mainly arranged / Not an issue			
		3	In-principal sanctioned			
		4	Mainly pending			
5.4	Project Implementati	1	More than two similar project implemented		3	

	on Track Record	2	One similar project implemented	• Basis should be on the project executed by the entity or by promoters in associate concerns.		
		3	Experience of other projects implementation			
		4	Projects implemented with time or cost overrun			
		5	No experience			
5.5	Stage of implementation (% completed)			Based on the latest cost incurred as per CA certificated compared to total cost proposed. (Don not consider any cost overrun in expenditure already incurred)	100%	the project is fully implemented
	Post-Implementation Risk					
5.6	Type of project	1	Expansion	• Selection is to be based on nature of project. In case project is mix of two types then depending upon the cost breakup, type of project would be determined.	1	
		2	Backward / Forward integration			
		3	Related diversification			
		4	Unrelated diversification			
5.7	Stabilization of facilities	1	No risk as it uses same technology as present one	It covers the risk associated with the stabilization of facilities in light of new technology and achievement of desired quality output.	1	
		2	Limited risk as project is of same technology with some updations			
		3	New technology with uncertain outcome			
		4	Unproven indigenous technology with highly uncertain outcome			
5.8	Salability risk (Project production capacity compared to present one)	1	< 0.25 times	• It is calculated by Net of captive consumption and assured off-take arrangement with strong company or proportion in sales from the added capacities as a % of existing sales of mfg. or related trading.	1	
		2	0.25 - 0.50 times			
		3	0.50 - 1.00 times			
		4	1.00 - 2.00 times			
		5	> 2.00			

5.9	Raw material / utilities / manpower related issues (availability/non-tie-up) that can hamper production of the project capacities	1	Not an issue	• It is to be selected based on the availability of raw materials including fuel, manpower availability and requirement of skilled manpower. • In case of raw material tie-ups, the capability of other partly must be seen though its size of operations and production during last financial year.	1	
		2	Below average risk			
		3	Average risk			
		4	High risk			
5.10	Increase in regulatory / sovereign / forex risk in relation to the project	1	Minor impact	• Selection should be based on the likely increase in risk related to regulatory requirements and foreign exchange dealings.	1	
		2	Average risk			
		3	High risk			
		4	Very High Risk			
5.11	Time overrun impact	1	No Time overrun/No project loan repayment in next two years / less than 25% time overrun compared to moratorium period	• Time overrun is to be calculated on a particular date after comparing the original schedule and actual progress in the project. Further, it there is likely delay in project over and above the delay as on date and it can be estimated then that should also be added in current level of delay. • Average project loan repayment (includes interest and repayment obligation) = Sum of two years of debt obligations related to project/2 • Cash Accruals to be considered = Cash accruals of last year – scheduled debt obligation of past loans i.e. excluding project loan obligations	1	
		2	Project loan repayment due (Average repayment for next two years) is less than 33% of (present cash accruals less: scheduled repayment of existing debt for next year) for that year			
		3	Project loan repayment due (Average repayment for next two years) is less than 66% of (present cash accruals less: scheduled repayment of existing debt for next year) for that year			

		4	Project loan repayment due (Average repayment for next two years) is less than 100% of (present cash accruals less: scheduled repayment of existing debt for next year) for that year			
		5	Project loan repayment due (Average repayment for next two years) is more than 100% of (present cash accruals less: scheduled repayment of existing debt for next year) for that year			
5.12	Cost overrun impact 1: How much?	1	No Cost overrun/Cost overrun net of equity infusion is less than 10% of cash accruals less scheduled debt repayments and committed capital for capex	• Adverse impact of cost overruns should be factored in on the basis of - - 1) The deficit in financing after equity infusion for cost overruns 2) The overall cash flows from operations during the tenure of the project 3) The total debt repayments during and subsequent to the project 4) The nature of funding of the increased costs and its effect on future cash flows.	1	
		2	Cost overrun net of equity infusion is less than 33% of cash accruals less scheduled debt repayments and committed capital for capex			
		3	Cost overrun net of equity infusion is less than 67% of cash accruals less scheduled debt repayments and committed capital for capex			
		4	Cost overrun net of equity infusion is less than 100% of cash accruals less scheduled debt repayments and committed capital for capex			

		5	Cost overrun net of equity infusion is more than 100% of cash accruals less scheduled debt repayments and committed capital for capex			
5.13	Financial closure for cost overrun achieved?	1	Achieved / NA	• Based on sanction letter/likelihood of sanction.	1	
		2	Not achieved			

6 Notch-up/Notch down parameters

	Parameter		Criteria	Selection Guide	Score (enter option number ex. 1 for first option)	Qualifying Remark
	Notch-up/Notch down parameters					
6.1	Payment track record to banks	1	No delay/default and clean track record	• Based on the past bank statements, CIBIL record, RBI defaulters' list and other sources. • Fourth option is also to be selected in case of Criminal cases against directors, Malpractices followed by promoters etc.	1	
		2	Occasional delays/Overdrawings/LC devolvement noticed within the last one year, but no subsisting delays/defaults			
		3	Account was restructured/CDR			
		4	Entity name is present in defaulter list or One or more directors are in CIBIL Defaulter List			
		5	Account is NPA			
6.2	Group Support	1	Very strong group support with entity being a part of large group having sound	• First option is to be selected in case of very strong promoter group with main company being rated "A" band or above by external credit rating agency with clear intention of supporting	3	

			financials and rated "A" and above	the group entity. • In case of unrated group entity having strong financials with turnover of over Rs.1000 crore and no external debt, same can be considered for option 1 based on analyst discretion. • Second option is to be selected in case of strong operational linkages or financial support from group companies.		
		2	Strong group support with operational linkages/financial support/Marketing and technological support			
		3	No Group Support/No visible benefit derived from group entities			
		4	Part of group which has track record of default or malpractices			
6.3	Reliability of Accounts	1	Reliable with conservative acc. Practices; Acc. Policies remain consistent	• Based on the auditors' report and own analysis. Priority given to finance functions/quality of audit/Audit Policies/Notes to Account should be evaluated.	1	
		2	Reliable but inconsistent policies with minor auditors qualification			
		3	Less Reliable/Unaudited results			

	Parameter			**Selection Guide**	**Score (enter number between 1 to 4)**	**Qualifying Remark**
7.1	Impact of events occurring after balance sheet date			In case of there is significant impact of post balance sheet items on credit profile of enity, then based on Analyst opinion/analysis rating should be discounted in terms of notches. 1 notch would have impact of 1 grade lower i.e. if rating output is SME 1, "1 Notch discount means it would move to SME 2)	1	

7.2	Any other (Mention)			In case of there is significant impact specific event on credit profile of enity, then based on Analyst opinion/analysis rating should be discounted in terms of notches. 1 notch would have impact of 1 grade lower i.e. if rating output is SME 1, "1 Notch discount means it would move to SME 2)	1	

Input Sheet- Green

Entity Name	**0**	
Industry categorization	**Refer this for categorization** http://mpcb.gov.in/images/pdf/CategorizationCPCB.pdf	

Note: For Orange and green category mention Not Applicable (3) in the parameters which are not part of questionnaire

Category	Code	Question (please refer to the Annexure before administering this questionnaire)	Verification measure	Response	Qualifying Remarks
Air Emissions	**AE1**	Has the unit installed pollution control measures to check release of air pollutants into the atmosphere? [Use of Venturi Scrubber/Simple Scrubber, Bag filters, Electro Static Precipitators (ESP) etc.]	Physical verification at site		
	AE2	Does the unit comply with SPCB/CPCB's industry specific norms for air emissions?	Test reports for Ambient Air, Indoor Air (as prescribed in the Consent To Operate)		
Waste Management, Storage, Transportation and Disposal (all waste except waste water)	**WG1**	Does the unit keep its generated waste at a designated place?	Physical verification at site/interviews		
	WG2	Is the area of waste storage is adequately covered to stop leakages/ runoff of chemicals during rains?	Physical verification at site/interviews		
	WG3	Does the unit ensure that the waste/byproducts leaving the premises of the unit are safely disposed off?	Physical verification at site/interviews		
Water and Waste Water Management	**WW1**	Does the unit map its water consumption (through flow meters) for each of industrial processes?	(Will be verified through Interviews/ Visual Inspection)		

	WW2a	Is the unit required to treat its process waste water as per the Consent to Operate (CTO)[1]	Copy of CTO		
	WW2b	Does the unit treat its effluent before releasing it outside the physical boundary of the unit?	Waste water testing report		
	WW2c	Does the waste water released exceed any limit specified in the waste water standards issued by the SPCB/CPCB?	Waste water testing report		
	WW3	Does the unit disposes off all waste water through sewer system?	Physical verification at site/interviews		
	WW4	Is Rain Water Harvesting (RWH) installed in the unit premises?	Physical verification at site		
	WW5	Does the unit use Rain Water Harvesting (RWH) system to meet its water demand (either partially or fully)?	Physical verification at site		
Energy Saving and Efficiency	**EE1**	Is there a provision for mapping 'energy use' at process level, through energy meters?	Physical verification at site/Logbooks		
	EE2	Is there recovery of energy/heat at any stage within the process?	Physical verification at site/interviews at shop floor		
	EE3	Does the unit use star rated utility appliances (e.g. refrigerators, ACs etc.) with rating 4 or above?	Physical verification at site		
	EE4	Does the unit use any energy efficient lighting source (CFL/LED) in the offices?	Physical verification at site		
	EE5	Does the unit utilizes natural light for lighting purposes - Sun roofing, Sun facing big windows	Physical verification at site		
	EE6	Is there product testing facility available at the SME unit?	Physical verification / interviews		
	EE6.a	Raw material testing	Physical verification / interviews		

	EE6.b	Product testing (at any stage of production)	Physical verification / interviews		
	EE7	Does the unit employ a designated energy manager or energy team?	Site Interviews with the higher management		
Renewable Energy	**RE1**	Has the unit installed any renewable energy system (Solar etc.) within the premises?	Physical verification at site/installation documents	Yes	Roof top solar panel installed
Environmental compliance	**EC1**	Does the unit display Material Safety Data Sheets (MSDS) for hazardous materials/chemicals being stored within the facility?	Physical verification at site, validate to visit the chemicals stocking site.		
	EC2	Has the facility ever received any notice in violation of any of the laws mentioned in the description(Laws relevant to Environment Health and Safety)?	Interviews with the higher management		
	EC3	Does the unit has all the valid consents from the State Pollution Control Board) SPCB?	Copy of Consent to Operate (CTO) and Consent to Establish (CTE) issued by the State Pollution Control Board		
Occupational Health, Safety and Social	**OHS1**	Is there a provision for adequate lighting in the unit?	Physical verification at site		
	OHS2-a	Is there provision to ensure circulation of clean air (exhaust fans, air conditioning etc.) on the shop floor?	Physical verification at site		
	OH2-b	What was the quality of air at the time of visit?	Compare the air quality by walking into the shop floor and compare it with air quality in the office/ outside. Comment based on your judgment.		

	OHS3	Are there safety signs, slogans and markings at the shop floor (fire exits, electrical equipments, high voltage etc.)?	Physical verification at site		
	OHS4-a	Any fire Mock drill carried out in the unit?	Safety records/Interviews with the unit personnel		
	OHS4-b	Frequency of Mock drills. (Unit will get positive points if the duration between two drills is ~ 6 months). Zero points if this is ~1` year. Negative points if > 2 years	Safety records[2]/ Interviews with the site personnel		
	OHS5	Are there adequate fire management measures (Fire Extinguishers, fire exits etc.) in place?	Physical verification at site		
	OHS6	Is there adequate provision of mechanisms to make sure that labors are safe from moving parts of machines? (safety sensors, safety enclosures , grills etc.)	Physical verification at site		
	OHS7	Does the unit employ any child labor?	Physical verification at site/interviews		
	OHS8	Does the labor use PPPs (personal protective equipments) on the shop floor?	Physical verification at site		
	OHS9	Is there provision of basic amenities to the workers (e.g. drinking water, toilets)	Physical verification at site		
	OHS 9-a	Quality of Basic Amenities: Water	Walk to the water dispenser, see and comment		
	OHS 9-b	Quality of Basic Amenities: Toilets	Walk to the toilet, see and comment		
	OH10	Does the unit provide legal benefits like ESI, PF, maternity, insurance benefit to the workers?	Interviews with shop floor persons at site		

	OHS11	What is the % of labors under contractual agreement? (<33 % is under tolerance limit, gets 1 point, 33-66% gets 0 points and >66% gets negative points)	HRD records		
External Quality Certifications	**EQC1**	Does the unit hold any 'valid' quality assurance certificate (e.g. ISO 9001, TS 16949 etc.)?	Verification of certificate		
	EQC2	Does the unit hold 'valid' ISO14001 Certificate[3]?	Verification of certificate		
Negative parameter	**NP1**	Have unit remained closed for more than 1 month cumulatively in past 1 year due to violation/non compliance of any laws related to environment, health & safety, Child labor, Air emissions and water treatment.	Records/Interviews with the unit personnel		
	NP1	If NP1 is No, then Have unit remained closed for more than 1 month cumulatively in past 3 years due to violation/non compliance of any laws related to environment, health & safety, Child labor, Air emissions and water treatment.	Records/Interviews with the unit personnel		

[1] No score for this question
[2] Unit will get positive points if the duration between two drills is ~ 6 months). Zero points if this is ~1` year. Negative points if > 2 years.
[3] +1 point for "Yes" and 0 for "No". There will be no –ve marking.

Rating Output

Entity Name	**0**
Industry categorization	**0**
Final Rating	**IR SME 3B**

Marks Table

Factor			Weighted marks
1.Management Risk			18.8
2.Industry Risk			22.3
3.Operational Risk			12.5
4.Financial Risk			29.5
Total (Out of 100)			**83.1**

Score after factoring in credit enhancement due to implementation of green measures	**88.1**

SME rating based on score **1**

Final Project Risk Score	100.0
Score considering project risk	88.1
Score considering Notch-up/Notch down Parameters	88.1

SME after project risk Rating **1**

Other Notch-down Parameters

Impact of events occurring after balance sheet date	1	No. of notches
Any other (Mention)	1	No. of notches

Final SME Rating	**SME 3**	
Green Rating Score		**73.13**
Green rating based on score	**B**	

Rating Matrix

	Integrated Green Performance Capability		
	High	**Moderate**	**Low**
Highest	IR SME 1A	IR SME 1B	IR SME 1C

Financial & Operational Strength	**High**	IR SME 2A	IR SME 2B	IR SME 2C
	Above Average	IR SME 3A	IR SME 3B	IR SME 3C
	Average	IR SME 4A	IR SME 4B	IR SME 4C
	Below Average	IR SME 5A	IR SME 5B	IR SME 5C
	Inadequate	IR SME 6A	IR SME 6B	IR SME 6C
	Poor	IR SME 7A	IR SME 7B	IR SME 7C
	Default	IR SME 8A	IR SME 8B	IR SME 8C

-ईएसजी टूल पैरामीटर और संकेतक (विवरण) अटैचमेंट 5 के रूप में संलग्न है

अनुलग्नक 8: ई एंड एस वार्षिक रिपोर्ट

कार्यकारी सारांश

A. परियोजना पृष्ठभूमि

B. गतिविधि अपडेट

1. पीडीओ उपलब्धियां और अनुमान
2. पैनल में शामिल पीएफआई का विवरण

C. ESMS कार्यान्वयन स्थिति

1. सिडबी परियोजना प्रबंधक के रूप में
   a) संगठन संरचना
   b) ईएसएम दृष्टिकोण का अनुपालन
   c) ओएचएस सहित सिडबी का श्रम प्रबंधन दृष्टिकोण
2. भाग लेने वाले वित्तीय संस्थान
   a) परियोजना ईएसएमएस का अनुपालन
   b) ईएसएमएस को लागू करने की चुनौतियां
   c) क्षेत्र दौरों के दौरान की गई टिप्पणियां
3. एमएसएमई उधारकर्ता
   a) परियोजना ईएसएमएस का अनुपालन
   b) क्षेत्र दौरों के दौरान की गई टिप्पणियां
   c) ईएसएमएस को लागू करने के लिए परियोजना डेवलपर्स के सामने आने वाली चुनौतियां

D. शिकायत निवारण

1. प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
2. प्राप्त शिकायतों का सारांश
3. समाधान की गई शिकाओं, लंबित शिकाओं, लंबित शिकायतों के समाधान में विलंब के कारणों आदि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।
4. (ii) प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा।

E. हितधारक सगाई गतिविधियाँ

1. प्रत्येक बैठक की तिथि और प्रपत्र/स्थान और उद्देश्य
2. प्रतिभागियों की संख्या और प्रतिभागियों की श्रेणियां
3. हितधारकों द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं और चिंताओं का सारांश
4. हितधारकों की चिंताओं का जवाब कैसे दिया गया और उन पर विचार किया गया इसका सारांश
5. ऐसे मुद्दे और गतिविधियाँ जिनके लिए अनुवर्ती कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है, जिसमें यह स्पष्ट करना शामिल है कि हितधारकों को निर्णयों के बारे में कैसे सूचित किया जाता है।

F. क्षमता निर्माण पहल

G. अवलोकन और सिफारिशें

परिभाषाएँ और संक्षिप्ताक्षर:

1. **ईएसएमपी :** सिडबी की ईएसएमपी (पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति **(अनुलग्नक 1 देखें)** क्रेडिट, कानूनी, प्रतिष्ठित जोखिम आदि जैसे विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करती है जो सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से उत्पन्न हो सकते हैं।
2. **ESG रेटिंग टूल, SIDBI (अनुलग्नक 7):** SIDBI का ESG रेटिंग टूल एक व्यापक ढाँचा है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से जुड़े पर्यावरण, सामाजिक और शासन जोखिमों को मापने और उनका आकलन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य वित्तपोषण निर्णय लेने से पहले गैर-वित्तीय (ईएसजी) मापदंडों के लेंस में प्रत्येक एमएसएमई प्रस्ताव की जांच की सुविधा प्रदान करना है। ईएसजी रेटिंग टूल का उपयोग ऋण प्रस्ताव के मूल्यांकन/रेटिंग के समय किया जाता है। कार्यप्रणाली में दस अलग-अलग श्रेणियों को शामिल करते हुए एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में मापदंडों का एक विशिष्ट सेट शामिल है जो स्थिरता पर एमएसएमई के प्रभाव को दर्शाता है। प्रत्येक पैरामीटर एक पहलू वजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो उस पैरामीटर के लिए अधिकतम प्राप्त करने योग्य स्कोर का प्रतिनिधित्व करता है। इस सावधानीपूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया को आगे वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रभावों में विभाजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल पहलू से जुड़े वजन के आधार पर संचयी स्कोर होता है। यह स्कोरिंग प्रणाली कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहलों के सूक्ष्म मूल्यांकन की अनुमति देती है। एक उच्च स्कोर ईएसजी प्रथाओं के साथ अधिक संरेखित इंगित करता है।
3. **क्लस्टर:** एक क्लस्टर[16] उद्यमों का एक समूह है जो एक पहचान योग्य और जहां तक व्यावहारिक, सन्निहित क्षेत्र के भीतर स्थित है और समान / समान उत्पादों / सेवाओं का उत्पादन करता है। एक क्लस्टर में उद्यमों की आवश्यक विशेषताएं हैं (ए) उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, ऊर्जा खपत, प्रदूषण नियंत्रण, आदि के तरीकों में समानता या पूरकता (बी) प्रौद्योगिकी और विपणन रणनीतियों / प्रथाओं का समान स्तर (सी) क्लस्टर के सदस्यों के बीच संचार के लिए चैनल (डी) आम चुनौतियां और अवसर।
4. **सेक्टर:** औद्योगिक क्षेत्र से मेल खाती है जिसमें एक इकाई संचालित होती है
5. **हस्तक्षेप:** प्रस्तावित हरित तकनीकी हस्तक्षेप की प्रकृति। इस कार्यक्रम के दायरे में, शमन उपायों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी / वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता शामिल हैं। अनुकूलन उपायों में कृषि, जल संसाधन, कृषि वानिकी, सेवाएं, आपदा प्रबंधन शामिल हैं
6. **OHS:** व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
7. **GBV:** लिंग आधारित हिंसा
8. **SEAH:** यौन शोषण, दुर्व्यवहार और स्वास्थ्य
9. **GCFV:** ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस वर्टिकल, SIDBI
10. **ई एंड एस:** पर्यावरण और सामाजिक
11. **PFI:** भाग लेने वाले वित्तीय संस्थान
12. **एमएफआई:** माइक्रोफाइनेंस संस्थान
13. **एम एंड ई:** निगरानी और मूल्यांकन

सलग्नक - 2 एसईएएच नीति

[16] माइक्रोसॉफ्ट वर्ड - दस्तावेज़1 (msme.gov.in)

संलग्नक – 3 ग्राहक शिकायत निवारण नीति

1. प्रस्तावना

प्रतिस्पर्धी बैंकिंग के वर्तमान परिदृश्य में, ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता निरंतर व्यापार विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। एक सेवा संगठन के रूप में, ग्राहक सेवा और ग्राहक संतुष्टि सिडबी की प्रमुख चिंता है। बैंक का मानना है कि शीघ्र और कुशल सेवा प्रदान करना न केवल नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, बल्कि मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इस नीति दस्तावेज का उद्देश्य उचित सेवा सुपुर्दगी और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों और शिकायतों के मामलों को कम करना और ग्राहकों की शिकायतों और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है।

शिकायत निवारण पर बैंक की नीति मोटे तौर पर निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करती है:

- ग्राहकों के साथ हमेशा उचित व्यवहार किया जाना चाहिए
- ग्राहकों द्वारा उठाई गई शिकायतों का निपटान शिष्टाचार और समय पर किया जाता है।
- बैंक सभी शिकायतों को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से निपटाएगा क्योंकि अन्यथा संभालने पर वे बैंक की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- बैंक कर्मचारियों को सद्भाव में और ग्राहक के हितों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना काम करना चाहिए।
- ग्राहकों को संगठन के भीतर अपनी शिकायतों/शिकायतों को आगे बढ़ाने के तरीकों और वैकल्पिक समाधान के उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है यदि वे अपनी शिकायतों पर बैंक की प्रतिक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

2. शिकायत का पंजीकरण

ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी चैनल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है:

2.1 व्यक्तिगत रूप से शिकायत:

ग्राहक शिकायत पुस्तिका में अपनी शिकायत देकर या शाखा प्रबंधक को लिखित पत्र देकर और पावती प्राप्त करके शाखा कार्यालय में रखे शिकायत बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकता है।

2.2 डाक/मेल/ईमेल के माध्यम से शिकायतें:

ग्राहक अपनी शिकायतें डाक द्वारा सिडबी शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

कार्यालय/प्रधान कार्यालय या complaints@sidbi.in/cgo@sidbi.in पर ईमेल के माध्यम से

2.3 शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण

बैंक ने शिकायतों/शिकायतों का वेब-सक्षम पंजीकरण शुरू किया है, जहां ग्राहक को शिकायत है वह बैंक की वेबसाइट (www.sidbi.in) पर जा सकता है और ऑनलाइन शिकायत/शिकायत प्रपत्र (ऑनलाइन शिकायतें/शिकायतनिवारण।) के अंतर्गत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है।

2.4 लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें

भारत सरकार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, मंत्रालय

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन ने एक वेब-आधारित तंत्र पेश किया है

भारत के नागरिकों, जिनमें बैंक ग्राहक भी शामिल हैं, द्वारा शिकायतें/शिकायतें दर्ज करने के लिए 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)'। इसे लोक शिकायत पोर्टल (www.pgportal.gov.in) के रूप में जाना जाता है। ग्राहक/जनता अपनी शिकायतों को संप्रेषित करने के लिए उक्त पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

3. शाखा/क्षेत्रीय/प्रधान कार्यालय में प्रदर्शन की अनिवार्यता

- शिकायत पुस्तिका/रजिस्टर 'पूछताछ काउंटर' पर रखा जाएगा और शाखा में उनके दौरे के दौरान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी द्वारा उनकी जांच की जाएगी और उनकी टिप्पणियां/टिप्पणियां संबंधित दौरा रिपोर्ट में दर्ज की जाएंगी।
- शिकायत/सुझाव पेटी को प्रमुख स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- ग्राहकों द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए सिडबी वेबसाइट के होम पेज में शिकायत फॉर्म प्रदान किया जाएगा।
- शाखा में नोटिस बोर्ड, दूसरों के बीच, निम्नलिखित प्रदर्शित करना चाहिए

  यदि आपको कोई शिकायत/शिकायत है तो कृपया शाखा में नोडल अधिकारी से संपर्क करें.

  (नाम, पता, फोन नंबर)

  1 यदि शाखा स्तर पर आपकी शिकायत का समाधान 8 कार्य दिवसों के भीतर नहीं होता है, तो आप संबंधित क्षेत्रीय प्रभारी कार्यालय से इस पते पर संपर्क कर सकते हैं: (पता)

2 यदि आप अगले 5 कार्य दिवसों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायत निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मुख्य शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। (नाम, पता, फोन नंबर)

4. शिकायतों/शिकायतों का समाधान

- मेल/व्यक्ति के माध्यम से किसी भी शिकायत को तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए और पत्र/प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को 3 कार्य दिवसों के भीतर लेकिन शिकायत प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- बैंक को शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय स्तर पर ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए वृद्धि मैट्रिक्स स्थापित करना चाहिए। (यहां क्लिक करें (i) प्रमुख का नाम

शिकायत अधिकारी को वेबसाइट के पहले पृष्ठ पर अधिमानतः प्रदर्शित किया जाना चाहिए। शाखा स्तर पर, शाखा नोडल अधिकारी (बीएनओ) ग्राहकों की शिकायतों की पावती और समाधान के लिए जिम्मेदार है। बीएनओ शाखाओं में प्राप्त सभी शिकायतों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करना बीएनओ की जिम्मेदारी होगी कि शिकायतों/शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक मशीनरी सुचारू रूप से और कुशलता से काम करती है। यह देखना उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ग्राहक की संतुष्टि के लिए शिकायत का समाधान किया जाए। यदि बीएनओ को लगता है कि शिकायत का समाधान करना उसके स्तर पर संभव नहीं है, तो वह शाखा प्रभारी के साथ चर्चा कर सकता है और मार्गदर्शन के लिए मामले को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर के नोडल अधिकारी के पास भेज सकता है। इसी प्रकार, यदि क्षेत्रीय कार्यालय यह पाता है कि वह समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है, तो वह ऐसे मामलों को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित व्यवसाय प्रमुख को भेज सकता है।

- यदि शिकायतकर्ता शाखा स्तर पर उत्तर/कार्रवाई/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह क्षेत्रीय कार्यालय में नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है। यदि ग्राहक अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो वह सीधे मुख्य शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकता है जिसे ग्राहक सेवाओं के कार्यान्वयन और पूरे बैंक के लिए शिकायतों को संभालने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त किया गया है।
- बेनामी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. समय सीमा

सभी शिकायतों को तुरंत बैंक के शिकायत / सेवा प्रबंधन मॉड्यूल (जीएमएम) में पंजीकृत किया जाना चाहिए और संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द एक पावती भेजी जानी चाहिए, लेकिन बैंक द्वारा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर नहीं। शिकायतें प्राप्त होने पर सभी संभव दृष्टिकोणों से उनका विश्लेषण किया जाता है। बैंक द्वारा प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समाधान सामान्यतः निम्नलिखित वृद्धि मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित समय के भीतर करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं:

स्तर	ऑफिस	अफ़सर	नहीं। कार्य दिवसों की संख्या
पहला	शाखा कार्यालय	शाखा स्तर पर नोडल अधिकारी	8
दूसरा	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारी	5
तीसरा	प्रधान कार्यालय	मुख्य शिकायत अधिकारी	6

कुछ शिकायतें हो सकती हैं जिनके लिए सभी संभावित कोणों से गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, बैंक शिकायत प्राप्त होने से एक महीने के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा।

6. ग्राहकों की शिकायतों को संभालने के लिए आंतरिक मशीनरी

6.1 शाखा कार्यालय (बीओ)/विस्तार शाखा कार्यालय (एक्सबीओ)

बीओ ज्यादातर मामलों में ग्राहकों का पहला संपर्क होता है। इसलिए, बीओ ने ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियों को जोड़ा है। शाखा प्रभारी अपनी शाखा में ग्राहक सेवाओं की देखरेख करेंगे ताकि ग्राहक को सशक्त बनाने के लिए कुशल और समय पर ग्राहक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। वे ग्राहक सेवाओं पर प्रचलित प्रणालियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर समीक्षा करेंगे।

ग्राहक सेवाओं/शिकायतों/शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी/वैकल्पिक नोडल अधिकारी प्रत्येक शाखा कार्यालय में नामित किए जा सकते हैं, जिनसे ग्राहक अपने सभी प्रश्नों और शिकायतों के लिए संपर्क कर सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, पूरा पता और ई-मेल पता आदि शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर और सिडबी की वेबसाइट पर ग्राहकों द्वारा आसानी से संपर्क करने और ग्राहक सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

शाखा कार्यालय प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट क्षेत्रीय को भेजें

हर महीने के अंत में कार्यालय।

शाखा ग्राहक सेवा समिति (बीसीएससी)

01 जुलाई 2015 को बैंकों में ग्राहक सेवा पर आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों को ग्राहकों और बैंक के बीच संचार के औपचारिक चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों की अधिक भागीदारी के साथ शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समितियों को मजबूत करने की सलाह दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित प्रभारी डाकघर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति में दो चुनिंदा ग्राहकों के साथ सिडबी के प्रमुख शाखा कार्यालयों में ग्राहक सेवा समितियों का गठन किया गया है।

- बीसीएससी की भूमिका और जिम्मेदारियां

  - बीसीएससी ग्राहकों की अधिक भागीदारी के साथ शाखा स्तर पर ग्राहकों और बैंक के बीच संचार के औपचारिक चैनलों को प्रोत्साहित करेगा।
  - बीसीएससी तिमाही में एक बार बैठक करेगा जिसमें ग्राहकों/शाखा प्रभारियों के ग्राहकों/शाखा प्रभारियों के प्रश्नों, शिकायतों, सुझावों और टिप्पणियों पर चर्चा की जाएगी, जैसे कि विलम्ब के मामले, ग्राहकों/समिति के सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई/रिपोर्ट किए जाने के मामले।
  - बीसीएससी ग्राहकों को कुशल और समय पर सेवा प्रदान करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस उद्देश्य के लिए, वर्तमान में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की ताकत और कमियों पर चर्चा की जाएगी और इसमें सुधार के लिए उठाए गए/सुझाए गए कदमों के साथ-साथ क्षेत्र और बैंक में ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए जाएंगे।
  - बैठकों/फीडबैक में दिए गए सुझावों को संबंधित खुदरा बिक्री केन्द्रों के साथ साझा किया जाए ताकि उपयुक्त हस्तक्षेप/उत्पादों में सुधार/टर्नअराउंड समय और प्रक्रियाओं के सरलीकरण आदि को अपनाया जा सके।
  - बीओ में एकत्र की गई प्रतिक्रिया/सूचना पर तिमाही में चर्चा की जानी है

  बीसीएससी की बैठक और अगले महीने की 5 तारीख तक संबंधित आरओ को रिपोर्ट की गई।

6.2 क्षेत्रीय ग्राहक सेवा समिति (आरसीएससी)

- प्रत्येक में क्षेत्रीय ग्राहक सेवा समितियां (आरसीएससी) स्थापित की जा सकती हैं आरओ।
- आरओ स्तर पर ग्राहक सेवाओं के लिए नोडल अधिकारी/वैकल्पिक नोडल अधिकारी की पहचान की जा सकती है, जिनसे ग्राहक अपने प्रश्नों/शिकायतों/शिकायतों के लिए संपर्क कर सकते हैं। पते और टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आदि के साथ उनके नाम बीओ में रखे गए नोटिस बोर्ड पर उल्लिखित किए जाएंगे और बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। जब भी आवश्यक हो, ऐसे नोडल अधिकारी ग्राहक शिकायतों के बारे में बाहरी प्राधिकारी के साथ संपर्क कर सकते हैं।

आरसीएससी करेगा

- ग्राहकों और के बीच संचार के औपचारिक चैनलों को प्रोत्साहित करें ग्राहकों की अधिक भागीदारी के साथ क्षेत्रीय/शाखा स्तर पर बैंक।
- बीओ के दौरों के दौरान ग्राहक सेवाओं पर ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रश्नों, सुझावों और टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए तिमाही में एक बार बैठक करें, विलम्ब के मामलों, ग्राहकों/समिति के सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई/रिपोर्ट की गई और ग्राहक सेवा में सुधार के तरीके और साधन विकसित करें। बैठकों में ग्राहकों को कुशल और समय पर सेवा प्रदान करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, वर्तमान में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की ताकत और कमियों पर चर्चा की जानी चाहिए और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए/सुझाए जाने चाहिए और क्षेत्र और बैंक में ग्राहक सेवाओं के मौजूदा मानकों में सुधार के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए जाने चाहिए।

6.3 प्रधान कार्यालय (एचओ स्तर पर ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ (सीएससी)

बैंक ने डायरेक्ट क्रेडिट वर्टिकल के तहत एचओ स्तर पर ग्राहक सेवा सेल (सीएससी) बनाया है। सीएससी ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए कुशल और समय पर ग्राहक सेवाओं/शिकायतों/शिकायतों के वितरण के लिए नोडल बिंदु होगा। यह ग्राहक सेवाओं पर प्रचलित प्रणालियों के प्रभाव और ग्राहक सेवाओं पर आरबीआई के मास्टर परिपत्र के अनुसार अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक समीक्षा करेगा। सामान्य प्रकृति की शिकायतों और शिकायतों की निगरानी सीएससी द्वारा की जाएगी। तथापि, मानव संसाधन और सतर्कता मुद्दों से संबंधित शिकायतों और शिकायतों की निगरानी क्रमश मानव संसाधन ऊर्ध्वाधर और सतर्कता विभाग द्वारा की जाती रहेगी। सीएससी की बैठकों की आवृत्ति त्रैमासिक होगी।

6.4 ग्राहक सेवाओं संबंधी स्थायी समिति (एससीसीएस)

ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) ग्राहक सेवाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया को चलाने और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) को आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली सूक्ष्म स्तर की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करती है। स्थायी समिति का गठन और कार्य नीचे दर्शाई गई पंक्तियों के अनुसार हो सकते हैं:

1 स्थायी समिति की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक द्वारा की जा सकती है और इसमें गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा सकता है ताकि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता पर स्वतंत्र फीडबैक दिया जा सके।

2 स्थायी समिति को न केवल ग्राहक सेवाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का समय पर और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाए, बल्कि यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक फीडबैक प्राप्त करने का भी कार्य सौंपा जाए कि बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों/विभागों द्वारा की गई कार्रवाई ऐसे अनुदेशों की भावना और आशय के अनुरूप है।

(iii) स्थायी समिति बैंक में प्रचलित प्रथाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकती है और निरंतर आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है क्योंकि इरादे केवल प्रक्रियाओं और प्रथाओं के माध्यम से कार्रवाई में परिणत होते हैं।

3 स्थायी समिति के कार्यावधि के दौरान उसके कार्य-निष्पादन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, समीक्षा किए गए क्षेत्रों, अभिज्ञात प्रक्रियाओं/पद्धतियों और सरल/लागू किए गए कार्यविधियों/प्रथाओं को समय-समय पर केन्द्रीय माध्यमिक उपभोक्ता संघ को प्रस्तुत किया जाए।

4 एससीसीएस की बैठकों की आवृत्ति त्रैमासिक होगी।

6.5 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

- सीएससीबी नीतियों के निर्माण में निर्देश देगा और कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना को मजबूत करने और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में चल रहे सुधार लाने के उद्देश्य से उसके अनुपालन का आकलन करेगा।
- इसके अलावा, समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों की भी जांच कर सकती है।
- सीएससीबी एससीसीएस के कार्यकरण की भी समीक्षा करेगा।

7. ग्राहकों के साथ बातचीत

बैंक मानता है कि ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत और विज्ञापन के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र के व्यापक प्रचार के माध्यम से और उन्हें वेबसाइट पर डालकर ग्राहक की अपेक्षा/आवश्यकता/शिकायतों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। बैंक को शिकायत निवारण तंत्र का प्रचार करने के लिए उद्योग संघों, हितधारकों के साथ बैठकों के अलावा शाखा कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैठकें आयोजित करनी चाहिए और ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने चाहिए। ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए ग्राहक शिक्षा और सुझाव एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी चैनलों का उपयोग भी किया जाता है।

8. सेवा में सुधार और शिकायतों को संभालने के लिए ऑपरेटिंग स्टाफ को संवेदनशील बनाना

बैंक विभिन्न क्षेत्रों के ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है, जो मतभेद और घर्षण के क्षेत्रों को जन्म दे सकता है। बैंक ग्राहकों की शिकायतों/शिकायतों को शिष्टाचार, सहानुभूति और तत्परता के साथ निपटाने के लिए कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के महत्व को समझता है. बैंक ग्राहक सेवाओं और शिकायतों को कम करने के बारे में कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। क्रुद्ध ग्राहकों को संभालने के लिए आवश्यक सॉफ्ट कौशल प्रदान करना प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

9. नीति का संशोधन/संशोधन:

प्रत्यक्ष ऋण उर्ध्वाधर आरबीआई/भारत सरकार के दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुरूप समीक्षाओं के बीच नीति को समय-समय पर अद्यतन करेगा

10. नीति के संरक्षक:

डायरेक्ट क्रेडिट वर्टिकल या पहचान के रूप में इस तरह के ऊर्ध्वाधर पॉलिसी के संरक्षक होंगे।

* * * * * *

संलग्नक- 4- सेक्टर स्तरीय बेसलाइन

This analysis is based on BEE Sameeksha portal having 124 clusters

Energy saving potential from baseline	**15%**

(On deploying 5 most widely adopted technologies - presented in backupo sheet - Technology intervention")

Data not available in BEE Sameeksha analysis

S.No.	Sector	Sector covered by BEE Sameeksha analysis (Yes/No)	Total clusters identified by BEE Sameeksha analysis	Total No. of MSMEs in clusters identified by BEE Sameeksha analysis	Baseline energery emission (KTOE per annum) for clusters identified by BEE Sameeksha analysis	Key technological inteventions for decarbonization	Clusters covered in BEE Sameeksha analysis (basis geography)

1	Food Processing	Yes	25	3168	782	**Energy Efficiency Interventions** VFD in Condenser Fans Energy Efficient Refrigeration System Thyristor control for electrical ovens High Efficiency Motors 'Re-piping of Existing Facilities Energy Efficient Pumps **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Karnal rice mills cluster Vellore rice mills cluster (Tamil Nadu) Punjab dairy cluster Bargarh rice mills cluster (Odisha) Jorhat tea cluster (Assam) Gokak jaggery cluster Warangal rice mills cluster (Telangana) Balasore rice mills Villupuram rice mills cluster (Tamil Nadu) Veraval seafood processing industries Gujarat dairy cluster (Gujarat) Veraval ice making Allahabad bakeries Coimbatore bakery industries Bhubaneshwar seafood processing industries Indore dal mills cluster Bhimavaram ice-making cluster (Andhra Pradesh) Ludhiana bakeries Kochi seafood processing cluster (Kerala) Porbandar ice making industries Kundli cold storage cluster Alwar oil mills cluster (Rajasthan)

							Ganjam rice mills Berhampur rice mills Red Hills rice mill cluster

2	Textiles	Yes	9	28472	3420	**Energy Efficiency Interventions** Energy Efficient Boilers Hot Water Generators (Replacing Boilers) Economiser in Boilers & Thermic Fluid Heaters VFD for Jet machines 'Energy Efficient Stenters Energy Efficient Pumps Waste Heat Recovery **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Surat textile cluster (Gujarat) Tirupur textiles cluster (Tamil Nadu) Bhiwandi textiles Panipat textile cluster Pali textiles cluster (Rajasthan) Jetpur textiles cluster (Gujarat) Solapur textile cluster (Maharashtra) Alleppey coir cluster (Kerala) Ludhiana knitwear cluster (Punjab)

3	Brick Kiln	Yes	16	1026	21745	**Energy Efficiency Interventions** Adoption of zig-zag firing process Improved Kiln operating practices Resource Efficient Bricks Waste heat Recovery **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Clay Fired Brick Making Cluster (Uttar Pradesh) Clay Fired Brick Making Cluster (Gujarat) Clay Fired Brick Making Cluster (Bihar) Clay Fired Brick Making Cluster (Maharashtra) Clay Fired Brick Making Cluster (West Bengal) Clay Fired Brick Making Cluster (Punjab) Clay Fired Brick Making Cluster (Tamil Nadu) Clay Fired Brick Making Cluster (Andhra Pradesh) Clay Fired Brick Making Cluster (Haryana) Clay Fired Brick Making Cluster (Rajasthan) Ludhiana brick manufacturing cluster Ghazipur brick manufacturing cluster Lucknow brick kilns Ranchi brick kilns Malur brick kilns E & W Godavari refractory cluster (Andhra Pradesh)

4	Rubber and Plastics	Yes	4	625	23	**Energy Efficiency Interventions** Application of variable speed drives All electrical injection moulding machines Radiant barrel heater band Thyristor based control of electrical heaters 'Use of roller bearings instead of bush bearings **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Agra footwear cluster (Uttar Pradesh) Rajkot plastic industries Pune rubber cluster Balasore plastic industries cluster (Odisha)
5	Glass and Ceramics	Yes	10	2221	1661	**Energy Efficiency Interventions** Switch from Downdraft Kiln to Tunnel Kiln ON-OFF Controller for Agitation Motors VFD in Ball Mills & Agitation Motors Use of high alumina media in ball mill 'Replacing kerosene burner with natural gas burner Energy	Morbi ceramics cluster Firozabad glass cluster (Uttar Pradesh) Chirkunda refractory industries Thangadh ceramic cluster Khurja potteries cluster (Uttar Pradesh) Virudhachalam ceramics and refractory cluster (Tamil Nadu) Ranchi refractory industries

						Efficient Motors Energy Efficient Pumps Waste Heat Recovery in kilns **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Ambala glass cluster (Haryana) Surendranagar ceramic cluster Jaipur glass cluster (Rajasthan)
6	Chemicals	Yes	8	2015	756	**Energy Efficiency Interventions** Variable Frequency Drivers (VFD) Energy Efficient Pumps Hot Air Generators & Spray Dryer Thermic Fluid Heater **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Ankleshwar chemical cluster (Gujarat) Ahmedabad chemicals cluster (Gujarat) Vapi Chemicals Cluster (Gujarat) Thane chemical cluster (Maharashtra) Karnal chemical cluster (Haryana) Rabale chemicals and drugs industries Dehradun pharmaceutical cluster (Uttarakhand) Jamshedpur chemical cluster (Jharkhand)

7	Foundary	Yes	27	8398	2117	**Energy Efficiency Interventions** Energy Efficient Melting Furnace Divided blast cupola Energy efficient lighting Reduction in pressure setting of air compressor 'VFD in air compressor Waste Heat Recovery Induction billet heater Wood Gasifier Insulation for furnace **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Odisha sponge iron cluster Kolhapur foundry cluster (Maharashtra) Bhavnagar (Sihor) steel re-rolling mill cluster Pune aluminium casting cluster (Maharashtra) Pune forging cluster (Maharashtra) Howrah foundries Jagadhri brass and aluminium cluster (Haryana) Rajkot forging industries Ludhiana forging industries Coimbatore foundry cluster (Tamil Nadu) Ahmedabad foundry cluster Mandi Gobindgarh steel rerolling cluster (Punjab) Jamnagar brass cluster (Gujarat) Rajkot foundries Belgaum foundry cluster (Karnataka) Rajkot investment casting industries Jaipur foundries

							Chennai aluminium casting cluster (Tamil Nadu) Agra foundry cluster Chennai forging cluster Indore foundry cluster Shimoga foundry industries Saharanpur foundry cluster (Uttar Pradesh) Howrah galvanizing and wire drawing cluster (W Bengal) Samalkha foundry cluster (Haryana) Rajkot aluminium foundries Balakati brass industries

8	Pulp and paper	Yes	1	29	103	**Energy Efficiency Interventions** Boiler Efficiency Improvement Boiler Feed Water Pump Pressure Drop Reduction **Besides the above, sector can also adopt Renewable Energy & EV to shift source of power**	Muzaffarnagar paper cluster (Uttar Pradesh)
9	Pharmaceuticals	No			0		
10	Leather	No			0		
11	Cement	No					
12	Steel Re-rolling	No					
13	Sponge Iron	No					

Commonly used technologies across industries and their expected savings potential

Unit: ktoe

Technology	Bricks	Textiles	Foundry & Forging	Glass & Ceramics	Food Processing	Chemicals	Technology level potential
VFD (EE Motor)	0	33.5	162.5	20.5	22	28.5	
EE Boiler	0	537	0	0	16	0	
EE Pump	0	48	0	41.5	32	40.5	
Waste Heat Recovery	2494.5	374.5	126.5	175	11	69	
Thermic Fluid Heater	0	293	0	0	0	54	
Industry level savings potential	2494.5	1286	289	237	81	192	

Energy saving potential from baseline	**15%**

संलग्नक -5 ईएसजी रेटिंग टूल पैरामीटर:

1. वित्तीय:

1. प्रबंधन जोखिम	संचालन का ट्रैक रिकॉर्ड वर्तमान व्यवसाय या इसी तरह के उद्योग में प्रमोटर / प्रमुख कर्मियों का अनुभव औपचारिक/अनौपचारिक संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति इकाई का गठन उत्तराधिकार योजना वित्त कार्य का महत्व एसएमई विशिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं और भविष्य के लक्ष्यों की स्पष्टता	स्कोर: 1 - 5 इन मापदंडों को 1 से 5 तक स्कोर किया जाता है।
2. उद्योग जोखिम	मांग-आपूर्ति की स्थिति उद्योग में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति चक्रीयता और मौसमी सरकारी नियमों/नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव/आयात और विकल्प की धमकी मंजूरी की आवश्यकता के लिए संचालन की संवेदनशीलता कच्चे माल की उपलब्धता कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता	
3. परिचालन जोखिम	स्थानीय लाभ विद्युत, जल आदि जैसी उपयोगिताओं की पर्याप्तता और उपलब्धता भी संतोषजनक है। पिछले तीन वर्षों के लिए क्षमता उपयोग (भारित औसत उपयोग) जनशक्ति की पर्याप्तता और उपलब्धता भौगोलिक विविधीकरण विपणन का महत्व और वर्तमान विपणन सेटअप की पर्याप्तता कस्टमर प्रोफाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया	

	गुणवत्ता प्रबंधन उत्पाद विविधता	
4. वित्तीय जोखिम	**वृद्धि** पिछले 3 वर्षों में कुल परिचालन आय में वृद्धि **लाभकारी** पिछले तीन वर्षों के लिए औसत PBIDT मार्जिन पिछले तीन वर्षों के लिए औसत पैट मार्जिन आरओसीई (%) सकल लाभ मार्जिन में परिवर्तनशीलता **ऋणशोध क्षमता** लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो ओवरऑल गियरिंग रेश्यो कुल ऋण/सकल नकद उपार्जन (समय) इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टीओएल/टीएनडब्ल्यू न्यूनतम डीएससीआर (अगले तीन वर्षों के लिए) औसत डीएससीआर (अगले तीन वर्षों के लिए) **तरलता** कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात वर्तमान अनुपात त्वरित अनुपात औसत नकद डीएससीआर (अगले 3 वर्षों के लिए) पिछले एक वर्ष में कार्यशील पूंजी सीमाओं का औसत उपयोग	
5. परियोजना जोखिम	**पूर्व कार्यान्वयन जोखिम** नेटवर्थ की तुलना में प्रोजेक्ट का आकार प्रोजेक्ट गियरिंग वित्तीय समापन परियोजना कार्यान्वयन ट्रैक रिकॉर्ड कार्यान्वयन का चरण (% पूर्ण) **कार्यान्वयन के बाद का जोखिम**	

	परियोजना का प्रकार सुविधाओं का स्थिरीकरण लवणता जोखिम (वर्तमान की तुलना में परियोजना उत्पादन क्षमता) कच्चा माल/उपयोगिताओं/जनशक्ति संबंधी मुद्दे (उपलब्धता/गैर-टाई-अप) जो परियोजना क्षमताओं के उत्पादन में बाधा डाल सकते हैं परियोजना के संबंध में विनियामक / संप्रभु / विदेशी मुद्रा जोखिम में वृद्धि समय से अधिक प्रभाव लागत बढ़ने का प्रभाव: कितना? लागत वृद्धि के लिए वित्तीय समापन हासिल किया गया?	
6. नॉच-अप/नॉच डाउन पैरामीटर	बैंकों को भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड समूह समर्थन खातों की विश्वसनीयता	

समग्र स्कोर (वित्तीय + परिचालन) के आधार पर इकाइयों को उच्चतम (1), उच्च (2), औसत से ऊपर (3), औसत (4), औसत से नीचे (5), अपर्याप्त (6), खराब (7) के रूप में रेट किया गया है

गैर-वित्तीय प्रभाव (पर्यावरण और सामाजिक पहलू):

1. वायु उत्सर्जन	1. क्या इकाई ने वायुमंडल में वायु प्रदूषकों की रिहाई की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित किए हैं? [वेंचुरी स्क्रबर / सिंपल स्क्रबर का उपयोग, बैग फिल्टर, इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) आदि] 2. क्या इकाई वायु उत्सर्जन के लिए एसपीसीबी / सीपीसीबी के उद्योग विशिष्ट मानदंडों का अनुपालन करती है?	
2. अपशिष्ट प्रबंधन	1. क्या इकाई अपने उत्पन्न कचरे को एक निर्दिष्ट स्थान पर रखती है? 2. क्या वर्षा के दौरान रसायनों के रिसाव/अपवाह को रोकने के लिए अपशिष्ट भंडारण का क्षेत्र पर्याप्त रूप से कवर किया गया है? 3. क्या इकाई यह सुनिश्चित करती है कि इकाई के परिसर से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट/उपोत्पादों का सुरक्षित रूप से निपटान किया जाता है? 4. क्या आप कम से कम 10% कचरे को रीसायकल करते हैं? 5. क्या खतरनाक कचरे को सह-प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है? 6. क्या खतरनाक कचरे को गर्मी की वसूली/कचरे को ऊर्जा के लिए भेजा जाता है? 7. क्या खतरनाक कचरे को लैनफिल या भस्मीकरण के लिए भेजा जाता है?	
3. पानी	1. क्या इकाई प्रत्येक औद्योगिक प्रक्रिया के लिए अपनी पानी की खपत (प्रवाह मीटर के माध्यम से) को मैप करती है? 2. क्या इकाई को कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) के अनुसार अपनी प्रक्रिया अपशिष्ट जल का उपचार करना आवश्यक है[1] 3. क्या इकाई अपने प्रवाह को इकाई की भौतिक सीमा के बाहर छोड़ने से पहले उसका उपचार करती है? 4. क्या इकाई सीवर सिस्टम के माध्यम से सभी अपशिष्ट जल का निपटान करती है? 5. क्या इकाई परिसर में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) स्थापित है?	
4. ऊर्जा दक्षता	1. क्या ऊर्जा मीटरों के माध्यम से प्रक्रिया स्तर पर 'ऊर्जा उपयोग' के मानचित्रण का प्रावधान है? 2. क्या प्रक्रिया के भीतर किसी भी स्तर पर ऊर्जा/ऊष्मा की वसूली होती है?	

	3. क्या इकाई कार्यालयों में किसी ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत (सीएफएल/एलईडी) का उपयोग करती है? 4. क्या इकाई प्रकाश उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करती है - सन रूफिंग, सूर्य बड़ी खिड़कियों का सामना करना पड़ रहा है 5. क्या एसएमई इकाई में उत्पाद परीक्षण सुविधा उपलब्ध है? 6. कच्चे माल का परीक्षण 7. उत्पाद परीक्षण (उत्पादन के किसी भी चरण में)	
5. अक्षय ऊर्जा	1. क्या इकाई ने परिसर के भीतर कोई अक्षय ऊर्जा प्रणाली (सौर आदि) स्थापित की है?	
6. पर्यावरण अनुपालन	1. क्या इकाई सुविधा के भीतर संग्रहीत की जा रही खतरनाक सामग्री/रसायनों के लिए सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) प्रदर्शित करती है? 2. क्या सुविधा को विवरण (पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कानून) में उल्लिखित किसी भी कानून के उल्लंघन में कभी कोई नोटिस मिला है? 3. क्या इकाई के पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) एसपीसीबी से सभी वैध सहमति है? 4. क्या आपको समुदाय, कर्मचारियों या सरकारी निकायों से कोई शोर शिकायत मिली है? 5. क्या आपने ध्वनि प्रदूषण के लिए शमन उपाय स्थापित किए हैं जैसे कि इयरप्लग, सेवा रखरखाव, ध्वनिक पैनल या ध्वनि-अवशोषित सामग्री आदि प्रदान करना? 6. क्या सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों पर कोई थर्ड पार्टी ऑडिट है?	
7. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	1. क्या इकाई में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था है? 2. क्या दुकान के फर्श पर स्वच्छ हवा (निकास पंखे, एयर कंडीशनिंग आदि) के संचलन को सुनिश्चित करने का प्रावधान है? 3. यात्रा के समय हवा की गुणवत्ता क्या थी? 4. क्या दुकान के फर्श पर सुरक्षा संकेत, नारे और चिह्न हैं (आग निकास, बिजली के उपकरण, उच्च वोल्टेज आदि)? 5. पिछले एक साल के दौरान यूनिट में कोई फायर मॉक ड्रिल की गई है? मॉक ड्रिल की आवृत्ति। (यूनिट को सकारात्मक अंक मिलेंगे यदि दो	

	अभ्यासों के बीच की अवधि ~ 6 महीने है)। शून्य अंक यदि यह ~ 1 'वर्ष है। नकारात्मक अंक यदि > 2 वर्ष 6. क्या पर्याप्त अग्नि प्रबंधन उपाय (अग्निशामक, अग्निशामक निकास आदि) हैं? 7. क्या यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का पर्याप्त प्रावधान है कि मजदूर मशीनों के चलती भागों से सुरक्षित हैं? (सुरक्षा सेंसर, सुरक्षा बाड़ों, ग्रिल आदि) 8. क्या इकाई किसी बाल श्रम को नियोजित करती है? 9. क्या श्रमिक दुकान के फर्श पर पीपीपी (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) का उपयोग करते हैं? 10. क्या श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान है (जैसे पेयजल, शौचालय) 11. क्या इकाई श्रमिकों को ईएसआई, पीएफ लाभ जैसे कानूनी लाभ प्रदान करती है? 12. संविदात्मक समझौते के तहत श्रमिकों का% क्या है? (<33% सहिष्णुता सीमा के तहत है, 1 अंक प्राप्त करता है, 33-66% को 0 अंक मिलते हैं और >66% को नकारात्मक अंक मिलते हैं)	
8. सामाजिक जिम्मेदारी और अनुपालन	1. महिला रोजगार का% क्या है? (<5% सहिष्णुता सीमा से नीचे है, 0 अंक प्राप्त करता है, 5-10% 0.25 अंक प्राप्त करता है, 10-20% 0.5 अंक हो जाता है, 20-30% 0.75 अंक हो जाता है और >30% 1 अंक हो जाता है) 2. क्या कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम लागू किए हैं? 3. क्या कंपनी विशेष रूप से संविदा श्रमिकों के लिए स्थानीय न्यूनतम वेतन का पालन कर रही है या यह जांचने के लिए उपाय कर रही है कि अनुबंधित श्रमिकों को ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के माध्यम से समय पर और सही भुगतान मिल रहा है या नहीं? 4. क्या कंपनी के पास कर्मचारी शिकायत हैंडलिंग तंत्र है? 5. क्या कर्मचारी शिकायत प्रबंधन तंत्र में लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) और एसईएएच शामिल हैं? 6. क्या पीओएसएच अधिनियम के तहत एसईएएच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए कोई आंतरिक समिति है? विवरण प्रदान करें।	

	7. क्या पिछले वित्तीय वर्ष में कोई यौन उत्पीड़न के मामले / 8. यदि प्रश्न 7 हाँ है, तो क्या शिकायत का समाधान किया गया था? 9. क्या कंपनी ऑनसाइट स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करती है- चिकित्सा सहायता, डॉक्टर (साइट / कॉल पर), बीमार कक्ष, एम्बुलेंस, सुरक्षा उपकरण आदि? 10. क्या वर्ष के दौरान कोई घातक या घातक घटनाएं हुई थीं? 11. क्या निदेशक मंडल/प्रबंधन समिति/प्रमुख प्रबंधन/मालिक/शेयरधारकों के बोर्ड/में कम से कम एक महिला मौजूद है?	
9. बाहरी प्रमाणपत्र	1. क्या इकाई के पास कोई 'वैध' गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणपत्र (e.g. ISO 9001, टीएस 16949 आदि) है? 2. क्या इकाई 'वैध' ISO14001 प्रमाणपत्र रखती है?	
10. नकारात्मक पैरामीटर (एनपी)	1. पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बाल श्रम, वायु उत्सर्जन और जल उपचार से संबंधित किसी भी कानून के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के कारण पिछले 1 वर्ष में संचयी रूप से 1 महीने से अधिक समय तक बंद रहे हैं। 2. यदि एनपी 1 नहीं है, तो पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बाल श्रम, वायु उत्सर्जन और जल उपचार से संबंधित किसी भी कानून के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के कारण पिछले 3 वर्षों में संचयी रूप से 1 महीने से अधिक समय तक बंद रही है। 3. क्या इस सुविधा को कभी भी विवरण (पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कानून) में उल्लिखित किसी भी कानून के उल्लंघन में शुरू की गई कोई कार्यवाही मिली है?	यदि इन मापदंडों को लागू किया जाता है तो समग्र हरी रेटिंग कम हो जाती है और इकाई को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा

उपरोक्त गैर-वित्तीय मापदंडों के आधार पर, स्कोरिंग किया जाता है। स्कोर के आधार पर इकाइयों को उच्च, मध्यम और निम्न के रूप में रेट किया गया है।

रेटिंग के आधार पर, इकाई को वित्तपोषित किया जाता है।

ईएसजी टूल में प्रयुक्त कार्यप्रणाली

A. श्रेणी 1 - उत्सर्जन : - यह श्रेणी एक कंपनी की निगरानी और उसके दायरे 1 और 2 उत्सर्जन का प्रबंधन करने की क्षमता का आकलन करती है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- ई 1: यह संकेतक जांचता है कि एमएसएमई के पास इकाई में स्थापित वायु प्रदूषण के संबंध में कोई प्रदूषण नियंत्रण उपाय हैं या नहीं।
- E2: यह संकेतक जांचता है कि MSME इकाई वायु उत्सर्जन के लिए उद्योग विशिष्ट मानदंडों का अनुपालन करती है या नहीं।

इनपुट: हाँ, नहीं, या लागू नहीं

स्कोरिंग पद्धति:

- हां: एक स्कोर तब दिया जाता है जब एमएसएमई के पास वायु प्रदूषण के संबंध में कोई प्रदूषण नियंत्रण उपाय होता है। उच्चतम स्कोर अर्जित करने के लिए, कंपनी को वायु प्रदूषण में कमी के उपायों (उपकरणों) की स्थापना में एक समर्पित प्रयास का प्रदर्शन करना चाहिए।
- नहीं: यह स्कोर तब दिया जाता है जब एमएसएमई के पास वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई उपाय नहीं होते हैं।

B. श्रेणी 2 - अपशिष्ट प्रबंधन, भंडारण, परिवहन और निपटान (अपशिष्ट जल को छोड़कर) यह श्रेणी मूल्यांकन करती है कि पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एमएसएमई अपशिष्ट भंडारण, निपटान और पुनर्चक्रण विधियों का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह करता है।

- WG1/WG2/WG3 - उत्पन्न, संग्रहीत और निपटान के संकेतक हैं
- WG4: यह संकेतक जाँच करता है कि MSME अपने कचरे का कम से कम 10% पुनर्चक्रण करता है या नहीं।
- WG4a: यदि MSME कचरे को रीसायकल नहीं करता है, तो यह प्रश्न जाँच करता है कि क्या खतरनाक कचरे को सह-संसाधित किया गया है।
- WG4b: यदि खतरनाक कचरे को सह-संसाधित नहीं किया जाता है, तो यह प्रश्न जांचता है कि क्या इसे अपशिष्ट-से-ऊर्जा या गर्मी वसूली के लिए भेजा गया है।
- WG4c: यदि उपरोक्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में से किसी का भी पालन नहीं किया जाता है, तो यह जांचता है कि खतरनाक कचरा लैंडफिल या भस्म तो नहीं है।

इनपुट: हाँ, नहीं, या लागू नहीं

स्कोरिंग पद्धति:

• हां: शीर्ष स्कोर अर्जित करने के लिए, एमएसएमई को रीसाइक्लिंग, सह-प्रसंस्करण, अपशिष्ट-से-ऊर्जा और लैंडफिलिंग/भस्मीकरण के क्रम में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन करना चाहिए।

• नहीं: इनमें से किसी भी तरीके की अनुपस्थिति में, कंपनी को 0 का स्कोर प्राप्त होता है।

C. श्रेणी 3- जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन

• WW1 - यह संकेतक जांचता है कि क्या इकाई अपनी पानी की खपत को मैप करती है।

• WW2a - अपशिष्ट जल उपचार संचालन की शर्तों के लिए सहमति के अनुसार किया जाता है।

• WW2b - क्या यूनिट के बाहर छोड़ने से पहले प्रवाह का इलाज किया जाता है।

• WW3 - क्या इकाई इकाई की भौतिक सीमा के बाहर छोड़ने से पहले अपने प्रवाह का उपचार करती है।

• WW - क्या इकाई परिसर में वर्षा जल संचयन (RWH) स्थापित है?

• हां: शीर्ष स्कोर अर्जित करने के लिए, एमएसएमई को प्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन करना चाहिए।

• नहीं: इनमें से किसी भी तरीके की अनुपस्थिति में, कंपनी को 0 का स्कोर प्राप्त होता है।

D. श्रेणी 4- ऊर्जा की बचत और दक्षता

• ईई1- क्या ऊर्जा मीटरों के माध्यम से प्रक्रिया स्तर पर 'ऊर्जा उपयोग' के मानचित्रण का प्रावधान है?

• म्ई2- क्या इस प्रक्रिया के भीतर किसी भी अवस्था में ऊर्जा/ऊष्मा की पुनःप्राप्ति होती है?

• ईई3- क्या इकाई कार्यालयों में किसी ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत (सीएफएल/एलईडी) का उपयोग करती है?

• ईई 4- क्या इकाई प्रकाश उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करती है - सन रूफिंग, सूर्य बड़ी खिड़कियों का सामना कर रहा है।

• ईई 5- क्या एसएमई इकाई में उत्पाद परीक्षण सुविधा उपलब्ध है?

• EE6.a - कच्चा माल परीक्षण

• EE6.b - उत्पाद परीक्षण (उत्पादन के किसी भी चरण में)

• हां: शीर्ष स्कोर अर्जित करने के लिए, एमएसएमई को प्रभावी ऊर्जा दक्षता प्रथाओं का प्रदर्शन करना चाहिए।

• नहीं: इनमें से किसी भी विधि की अनुपस्थिति में, कंपनी को 0 का स्कोर प्राप्त होता है

E. श्रेणी 5 - अक्षय ऊर्जा

• आरई 1 - क्या इकाई ने परिसर के भीतर कोई अक्षय ऊर्जा प्रणाली (सौर आदि) स्थापित की है?

हां: शीर्ष स्कोर अर्जित करने के लिए, एमएसएमई को आरई स्थापित करना होगा

नहीं: किसी भी RE की अनुपस्थिति में, कंपनी को 0 का स्कोर प्राप्त होता है

च. श्रेणी 6 - पर्यावरण अनुपालन - यह श्रेणी नियामक पर्यावरण मानकों और तीसरे पक्ष के सत्यापन के पालन पर केंद्रित है, जिम्मेदार और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन पर जोर देती है।

•ईसी 1 - क्या इकाई सुविधा के भीतर संग्रहीत की जा रही खतरनाक सामग्रियों/रसायनों के लिए सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) प्रदर्शित करती है?

•ईसी 2 - क्या सुविधा को कभी भी विवरण में उल्लिखित किसी भी कानून (पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कानून) के उल्लंघन में कोई नोटिस मिला है?

• ईसी 3 - क्या इकाई के पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी से सभी वैध सहमति है?

• ईसी 4: समुदाय, कर्मचारियों, या सरकारी निकायों से शोर शिकायतों को ट्रैक करता है (नकारात्मक पैरामीटर, शिकायतें मौजूद होने पर कोई स्कोर प्राप्त नहीं करता है)।

• ईसी 5: ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपाय।

• चुनाव आयोग 6: क्या सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों पर कोई तृतीय-पक्ष ऑडिट है?

हां: शीर्ष स्कोर अर्जित करने के लिए, एमएसएमई को पर्यावरण अनुपालन का पालन करना होगा

नहीं: पर्यावरण अनुपालन का पालन नहीं करता है

छ. श्रेणी 7 - व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा - यह श्रेणी परियोजना की सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों पर केंद्रित है।

•OHS1-11 परियोजना के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर केंद्रित है।

हाँ - शीर्ष स्कोर अर्जित करने के लिए, एमएसएमई को स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सभी हितधारकों के पास पर्याप्त उपाय हों।

नहीं - इकाई स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती है और इसे 0 के रूप में स्कोर किया जाता है।

श्रेणी 8 - सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुपालन - यह श्रेणी सामाजिक सुरक्षा उपायों और अनुपालन पर केंद्रित है

•एसआरसी 1 - 11 विभिन्न संकेतकों जैसे महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, शिकायत निवारण, जीबीवी, एसईएएच आदि पर केंद्रित है।

हाँ - शीर्ष स्कोर अर्जित करने के लिए, MSME को सामाजिक अनुपालन का पालन करना चाहिए।

नहीं - इकाई स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती है और 0 स्कोर किया जाता है।

मैं। श्रेणी 9 – बाह्य गुणवत्ता प्रमाणन – यह श्रेणी आईएसओ 9000- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14000 – पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे गुणवत्ता प्रमाणपत्रों पर केंद्रित है.

हाँ - यदि इकाई के पास प्रमाणपत्र हैं।

नहीं - अगर यूनिट के पास प्रमाणपत्र नहीं हैं।

जे. श्रेणी 10 - नकारात्मक पैरामीटर - यह श्रेणी नकारात्मक मापदंडों पर केंद्रित है जो लागू होने पर समग्र श्रेणी को कम कर देगी (इसका मतलब है, इन इकाइयों को वित्त पोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि नकारात्मक पैरामीटर लागू किए जाते हैं।

उपर्युक्त इनपुट के आधार पर इकाइयों की जांच की जाती है और इकाइयों को एक अंक दिया जाता है। स्कोर के आधार पर एक पहलू जुड़ा हुआ वजन सौंपा गया है। पहलू जुड़े वजन के अनुसार हरे रंग की रेटिंग उच्च, मध्यम और निम्न के रूप में की जाती है।

उच्च हरित रेटिंग वाली इकाइयां यह दर्शाती हैं कि यह पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन में है। कम रेटिंग वाली इकाइयां पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के कम अनुपालन को दर्शाती हैं।

संलग्नक- 6 स्वदेशी लोगों की रूपरेखा

परिचय

इस ढांचे का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक संरचना प्रदान करना है कि जीसीएफ की गतिविधियों को इस तरह से विकसित और कार्यान्वित किया जाता है जो स्वदेशी लोगों के पूर्ण सम्मान, संवर्धन और सुरक्षा को बढ़ावा देता है ताकि वे

(ए) सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से जीसीएफ गतिविधियों और परियोजनाओं से लाभ; और

(ख) जीसीएफ-वित्तपोषित कार्यकलापों के डिजाइन और कार्यान्वयन से हानि या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सभी जीसीएफ-वित्तपोषित गतिविधियां स्वदेशी लोगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी का समर्थन करेंगी और गतिविधियों के पूरे जीवन चक्र में जीसीएफ जनादेश को पूरा करने में उनके योगदान को मान्यता देंगी। गतिविधियों के डिजाइन और कार्यान्वयन को स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और जिम्मेदारियों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें विशेष महत्व का, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का अधिकार शामिल है, जो लागू परिस्थितियों में जीसीएफ द्वारा आवश्यक होगा।

स्वदेशी लोगों की परिभाषा

"स्वदेशी लोग" शब्द का उपयोग एक सामान्य अर्थ में एक विशिष्ट, कमजोर, सामाजिक और सांस्कृतिक समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसमें अलग-अलग डिग्री में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- एक विशिष्ट स्वदेशी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में आत्म-पहचान और दूसरों द्वारा इस पहचान की मान्यता
- परियोजना क्षेत्र में भौगोलिक रूप से विशिष्ट आवासों या पैतृक क्षेत्रों और इन आवासों और क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के लिए सामूहिक लगाव
- प्रथागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक संस्थान जो प्रमुख समाज और संस्कृति से अलग हैं
- एक स्वदेशी भाषा, जो अक्सर देश/क्षेत्र की आधिकारिक भाषा से अलग होती है

सिडबी द्वारा वित्तपोषित एमएसएमई शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के संदर्भ में, जो आमतौर पर नामित औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किए जाते हैं, "स्वदेशी लोगों" में स्थानीय समुदाय शामिल हो सकते हैं जो खुद को पहचानते हैं / खुद को एक भूगोल और संबंधित संस्कृति से जोड़ते हैं।

स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचा

सिडबी की पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति (ईएसएमपी) के अनुसार, जीसीएफ वित्तपोषित गतिविधियों के लिए सिडबी द्वारा समर्थित सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों (जीसीएफ, एएफडी, केएफडब्ल्यू, एडीबी, विश्व बैंक आदि) से ऋण श्रृंखला के माध्यम से भी

सहायता प्राप्त की जाएगी, **जिन्हें आम तौर पर** 8 **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन मानकों (पीएस) की सुरक्षा के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया जाएगा**, **जो पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं। वित्त निगम (आईएफसी)**, **अनुकूलन निधि**, **हरित जलवायु निधि (जीसीएफ)**, **विश्व बैंक आदि के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है। इनमें से एक पीएस** '(i.e. PS 7) "**स्वदेशी लोग**" **है।**

पीएस 7 के अनुसार, **"सिडबी की परियोजना का स्वदेशी लोगों, उनकी भूमि, संस्कृति, आजीविका या जीवन के तरीके पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। तथापि, परियोजना जांच चरण के दौरान, सिडबी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी परियोजना अथवा इसके वित्तीय मध्यस्थों का परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।**

जबकि सिडबी की परियोजना से स्वदेशी लोगों, उनकी भूमि, संस्कृति, आजीविका या जीवन के तरीके पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है, निम्नलिखित ढांचा (विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए ईएसएमपी के ऊपर और ऊपर विकसित) स्वदेशी लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव से जुड़े किसी भी जोखिम को कम करने में मदद करेगा।

स्वदेशी लोगों की रूपरेखा

इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं/उप परियोजनाओं के प्रकार

प्रस्तावित कार्यक्रम एमएसएमई में 13 क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु परिवर्तन शमन परियोजनाओं **पर ध्यान केंद्रित करेगा** जैसे कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य रूप से सौर रूफटॉप परियोजनाएं, नई और अभिनव प्रौद्योगिकियां। मांग पक्ष में निवेश ध्वनि आर्थिक समझ में आएगा क्योंकि ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को आमतौर पर आपूर्ति-पक्ष विद्युत शक्ति क्षमता वृद्धि की तुलना में कम पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन परियोजनाओं **के तहत लक्षित प्रौद्योगिकियां** मौसम पूर्वानुमान और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात/सुनामी/बाढ़ के साथ-साथ भूकंप/चरम मौसम की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली होंगी। जलवायु स्मार्ट परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली और जल कुशल और रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं जैसे शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी), बहिस्त्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी), रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र, आदि।

इस कार्यक्रम के लिए, सिडबी "कार्यकारी इकाई" और "मान्यता प्राप्त इकाई" की दोहरी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख हितधारकों में उद्योग संघ (व्यवसाय प्रबंधन संगठन), एमएसएमई इकाइयां, प्रौद्योगिकी प्रदाता, मूल उपकरण निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ / सलाहकार, पीएफआई आदि शामिल होंगे। सिडबी के हस्तक्षेप से एमएसएमई को यह हासिल करने में मदद मिलेगी:

- संसाधनों के बेहतर उत्पादक उपयोग के माध्यम से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन
- संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण पर उद्योग के प्रभाव को कम करके पर्यावरण संरक्षण।
- रोजगार प्रदान करके और श्रमिकों और स्थानीय समुदायों की भलाई की रक्षा करके सामाजिक वृद्धि।

स्वदेशी लोगों पर परियोजनाओं के संभावित सकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव

यह देखते हुए कि सिडबी एमएसएमई (मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों के भीतर स्थित) का वित्तपोषण कर रहा है, यह संभावना नहीं है कि इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं में स्वदेशी लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या पुनर्वास से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाएगा, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

यह देखते हुए कि इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं से एमएसएमई की जलवायु लचीलापन और जलवायु संबंधी झटके/बाहरीताओं से निपटने की उनकी क्षमता में सुधार होगा, औद्योगिक इकाइयों के आसपास पाए जाने पर स्वदेशी लोगों के लचीलेपन में सुधार होने की उम्मीद है।

उप-परियोजनाओं का आकलन:

- मंजूरी से पहले यानी उचित परिश्रम चरण में, सिडबी की पर्यावरण और सामाजिक परिश्रम चेकलिस्ट (ईएसडीडी चेकलिस्ट) स्वदेशी लोगों पर संभावित प्रभाव का आकलन एक **स्व-प्रमाणित प्रश्न के रूप में करती है अर्थात "यदि इकाई/परियोजना आदिवासी लोगों/स्वदेशी लोगों के निपटान और/या सामूहिक लगाव के क्षेत्रों में स्थित है या पारंपरिक स्वामित्व के अधीन या प्रथागत उपयोग या व्यवसाय के अधीन उनके प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करती है"।**

- स्वदेशी समुदायों और स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) की आवश्यकता होगी, जहां प्रभावों की पहचान की जाती है, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नकारात्मक या सकारात्मक हों, यदिआईपीपी के लिए आवश्यक डी के साथ लागू हो।

  आईपीपी में निम्नलिखित घटक शामिल होने चाहिए -

  (ए) आधारभूत जानकारी (स्वतंत्र और भागीदारी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं से);

  (बी) मुख्य निष्कर्ष और प्रभावों, जोखिमों और अवसरों का विश्लेषण; स्वदेशी लोग नीति

  (सी) नकारात्मक प्रभावों से बचने, कम करने और कम करने और सकारात्मक प्रभावों और अवसरों को बढ़ाने के उपाय;

  (घ) समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन;

  (ई) परामर्श के परिणाम (पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान), जिसमें भाग लेने वाले लोगों और संगठनों की एक सूची, एक समय सारिणी, जो प्रत्येक गतिविधि के लिए जिम्मेदार था, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, और भविष्य की सगाई की योजनाएं;

  (च) लिंग मूल्यांकन और कार्य योजनाएं;

  (छ) लाभ साझाकरण योजनाएं;

  (ज) कार्यकाल व्यवस्था;

  (i) शिकायत निवारण तंत्र;

(जे) लागत, बजट, समय सारिणी, संगठनात्मक जिम्मेदारियां; और

(ट) मानीटरिंग, मूल्यांकन और रिपोटग।

- सिडबी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उचित परिश्रम और निरीक्षण करेगा कि इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

- जहां समुदायों को मिलाया जाता है, या स्वदेशी लोग विभिन्न सामाजिक और जातीय समूहों के करीब रहते हैं और आईपीपी को स्वदेशी लोगों और एक साथ या निकटता में रहने वाले अन्य समूह दोनों के लाभ के लिए विकसित किया जाएगा।

स्वदेशी लोगों के लिए लागू प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून:

सहायक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सहायक के रूप में सिडबी इस संबंध में जीसीएफ नीति के संज्ञान में राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिसमें शामिल हैं:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 – पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- स्वदेशी लोगों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP)
- विकास सहयोग के लिए मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण पर संयुक्त राष्ट्र आम समझ

संलग्नक-7 EV क्षेत्र के लिए बैटरी उपयोग, रखरखाव और निपटान

EV क्षेत्र के लिए बैटरी उपयोग, रखरखाव और निपटान, थर्मल रनवे और बैटरी प्रबंधन प्रणाली के लिए मार्गदर्शन नोट:

A. बैटरी उपयोग और रखरखाव और निपटान

1. खरीदार को चार्जिंग और भंडारण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करना चाहिए, और निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए कॉर्ड और पावर एडॉप्टर का उपयोग करना चाहिए। यदि बैटरी ज़्यादा गरम हो जाती है, तो राइडर को तुरंत वाहन का उपयोग बंद कर देना चाहिए।
2. यदि कोई वाहन गैरेज में चार्ज हो रहा है, तो उपयोगकर्ता को चार्ज करने के बाद इसे अनप्लग करने के लिए याद दिलाने के लिए एक टाइमर सेट किया जाना चाहिए। चार्ज करते समय बैटरी को ओवरलोड से बचाने के लिए चार्जर में एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए।
3. यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी वाहन की बैटरी को रात भर चार्ज करते समय न छोड़ें और घर/परिसर से बाहर निकलते समय इसे अनप्लग किया जाना चाहिए। चार्जर पर बहुत लंबा छोड़ दिए जाने पर एक सामान्य बैटरी को खुद को आग नहीं लगाना चाहिए, हालांकि, खराब बैटरी आग लगने का गंभीर खतरा है।
4. चार्जिंग क्षेत्र में एक फायर डिटेक्टर और चार्जिंग क्षेत्र के पास एक क्लास ABC या CO_2 फायर एक्सटिंग्विशर रखें। बड़ी ली-आयन बैटरी आग के लिए सीओ 2, पाउडर ग्रेफाइट, एबीसी ड्राई केमिकल या सोडियम कार्बोनेट युक्त फोम अग्निशामक का उपयोग करें।
5. बैटरी के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए:
    अ. बैटरी को शून्य तक निकालने से बचें;
    आ. सार्वजनिक स्थानों पर फास्ट चार्जिंग का उपयोग करें, या केवल तभी जब सख्त जरूरत हो। बैटरी जितनी कम फास्ट चार्ज होगी, बैटरी की सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा।
6. यदि वाहन को विस्तारित अवधि (30 दिन या अधिक) के लिए संग्रहीत किया जा रहा है, तो बैटरी को लगभग 50-70% तक चार्ज रखा जाना चाहिए। बैटरी को कभी भी पूरी तरह चार्ज या पूरी तरह से सूखा हुआ स्टोर नहीं किया जाना चाहिए।
7. वाहन का परिवहन करते समय, यदि संभव हो तो वाहन से बैटरी को निकालना और इसे सुरक्षित रूप से स्टोर करना महत्वपूर्ण है।
    अ. पूरी तरह चार्ज बैटरी का परिवहन या जहाज न करें। अनुशंसित स्टेट ऑफ चार्ज (एसओसी) 30% या उससे कम है। यदि बैटरी SoC 30% से ऊपर है, तो परिवहन से पहले इसे डिस्चार्ज करें
    आ. शॉर्ट सर्किटिंग के संपर्क में आने से रोकने के लिए धातु के बक्से और टेप टर्मिनलों में बैटरी के परिवहन से बचें।

इ. सुनिश्चित करें कि बैटरियों को गर्मी से दूर रखा जाता है, डिवाइस (यदि कोई हो) से अलग रखा जाता है, गिराए जाने या प्रभावित होने पर झटके को रोकने के लिए एक अछूता कंटेनर या गद्देदार बैग में ले जाया जाता है। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखा जाना चाहिए

8. एक प्रेशर वॉशर EV-2/3 व्हीलर, विशेष रूप से इसके इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सफाई के लिए अनुपयुक्त है। बैटरी को विज्ञापन से पोंछना चाहिएamp कपड़ा। वाहन को साफ करने से पहले हमेशा बैटरी को हटा देना चाहिए। इसके प्लग कनेक्टर्स को भी समय-समय पर साफ और हल्के से ग्रीस किया जाना चाहिए।

9. उच्च गुणवत्ता वाली लिथियम-आयन बैटरी जटिल होती हैं और इनमें बारीक ट्यून किए गए सिस्टम होते हैं। इसलिए, इसकी मरम्मत के लिए विशेष विशेषज्ञता और विस्तृत उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एक दोषपूर्ण बैटरी को आवश्यक रूप से बदला जाना चाहिए। यदि बैटरी खराब है, तो इसे सुरक्षा नियमों के संबंध में विक्रेता को सौंप दिया जाना चाहिए।

10. स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बैटरी प्रबंधन प्रणाली लिथियम-आयन बैटरी को बहुत अधिक तापमान, ओवरलोडिंग और गहरे निर्वहन से बचाती है। हालांकि, अनुचित देखभाल के परिणामस्वरूप आग लग सकती है। वाहन को गर्म क्षेत्रों (उच्च तापमान) में पार्क न रखें, इससे बैटरी की लाइफ प्रभावित होगी। वाहन को ट्रांसफार्मर या अन्य उच्च विद्युत चुम्बकीय उत्सर्जन उपकरणों के पास पार्क न रखें।

11. अपने उपयोगी जीवन के अंत में बैटरी को या तो नई खरीद के स्थान पर विक्रेता को वापस दिया जाना चाहिए या संबंधित पर्यावरण और सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंप दिया जाना चाहिए।

B. थर्मल रनवे से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए दिशानिर्देश

<u>थर्मल भगोड़ा के लक्षण</u>

क्र.सं.	लक्षण	या क़िस्म
1	गर्मी	चार्ज करते समय या उपयोग में बैटरी के लिए कुछ गर्मी उत्पन्न करना पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन अगर लिथियम-आयन बैटरी बेहद गर्म लगती है, तो एक अच्छा मौका है कि यह दोषपूर्ण है और आग लगने का खतरा है।
2	शोध	जब लिथियम बैटरी विफल हो जाती है, तो एक और सामान्य संकेत बैटरी सूजन है। यदि बैटरी सूजी हुई दिखती है, तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें। इसी तरह के संकेतों में किसी भी प्रकार की गांठ या उभार, या डिवाइस से रिसाव शामिल है।

3	कोलाहल	लिथियम बैटरी के विफल होने से भी हिसिंग या क्रैकिंग की आवाज़ आने की सूचना मिली है
4	गंध	अगर बैटरी से तेज या असामान्य गंध आती है तो यह भी एक बुरा संकेत है।
5	धुआँ	यह थोड़ा और स्पष्ट है। लेकिन अगर डिवाइस धूम्रपान कर रहा है, तो आग पहले ही लग चुकी है।

यदि डिवाइस उपरोक्त चेतावनी संकेतों में से कोई भी दिखा रहा है तो करने के लिए चीजें:

- ✓ डिवाइस को तुरंत बंद करें और इसे पावर स्रोत से अनप्लग करें।
- ✓ डिवाइस को धीरे-धीरे किसी भी ज्वलनशील चीज़ से दूर एक सुरक्षित, अलग-थलग क्षेत्र में ले जाएं। अपनी नंगे त्वचा के साथ डिवाइस को छूने से बचने के लिए चिमटे या दस्ताने का उपयोग करें।
- ✓ आगे के निर्देशों के लिए डिवाइस निर्माता या खुदरा विक्रेता को कॉल करें।
- ✓ भंडारण, उपयोग, चार्जिंग और रखरखाव के लिए हमेशा डिवाइस निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
- ✓ नॉकऑफ से बचें; केवल बैटरी और चार्जर को डिवाइस के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन और अनुमोदित घटकों से बदलें।
- ✓ ज्वलनशील सतहों पर डिवाइस को चार्ज करने से बचें।
- ✓ एक बार चार्जर से डिवाइस और बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने के बाद हटा दें।
- ✓ लिथियम-आयन बैटरी को हमेशा ठंडी, सूखी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए। बैटरियों को सीधे धूप में न रखें।
- ✓ किसी भी चेतावनी संकेत के लिए ईवी और बैटरी का नियमित निरीक्षण करें।

c. बैटरी प्रबंधन प्रणाली

पहला जीवन: मूल अनुप्रयोग जिसके लिए बैटरी का उत्पादन किया गया था। एक EV बैटरी के 3-5 साल तक चलने की उम्मीद है (जलवायु परिस्थितियों और बैटरी हैंडलिंग जैसे कारकों के आधार पर) उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। एक बार जब बैटरी का प्रदर्शन अपने पहले जीवन उपयोग से कम हो जाता है, तो इसे एक नए बैटरी पैक से बदल दिया जाता है। इन बैटरियों का इस्तेमाल सिर्फ ईवी इस्तेमाल के लिए किया जाना है।	PFI का उधारकर्ता/उपयोगकर्ता

बैटरी खराब होने के संकेतों के मामले में, इसे किसी भी मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए OEM या अधिकृत बैटरी निर्माता के पास ले जाना होगा।	
बैटरी के पहले जीवन के बाद, बैटरी में काफी भंडारण क्षमता (70-80%) अभी भी बची है। बैटरी को कम गहन अनुप्रयोग के लिए उपयोग करने के लिए नवीनीकृत और पुनर्निर्मित किया जा सकता है जिसके लिए कम लगातार बैटरी साइकलिंग की आवश्यकता होती है; ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए कहते हैं। नवीनीकरण के अनुसार निर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, बैटरी के रखरखाव के लिए नया उपयोगकर्ता। बैटरी खराब होने के संकेतों के मामले में, इसे किसी भी मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए निर्माता के पास ले जाने की आवश्यकता होती है।	नया उपयोगकर्ता
जीवन का अंत: बैटरी जीवन के अंत में, निर्माता की रीसाइक्लिंग सुविधा के लिए संग्रह और सुरक्षित परिवहन के लिए विशेषज्ञ हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। इन बैटरियों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।	निर्माता
पुनर्चक्रण: बैटरी को नष्ट कर दिया जाएगा और मूल्यवान घटक सामग्री पुनर्प्राप्त की जाएगी। बरामद धातु और खनिज घटकों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमीनियम और कॉपर का उपयोग फिर से नई बैटरी के निर्माण में किया जा सकता है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार निर्माता बैटरियों के संग्रह, परिवहन, पुनरुत्पादन, निपटान और पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार है।	निर्माता

नोट:

1. इस अनुलग्नक को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा, जब भारत सरकार या अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा नए बैटरी प्रबंधन दिशानिर्देश/अभ्यास संहिता/कानून जारी किए जाएंगे।

2. स्थानीय अग्निशमन विभाग को आग बुझाने में प्रमुख हितधारक के रूप में मानते हुए, स्थानीय फायर स्टेशन के संपर्क विवरण को वाहन दस्तावेजों के साथ तैयार रखने की आवश्यकता है।

3. OEM **नियमावली में दी गई जानकारी इस मार्गदर्शन में दी गई जानकारी पर प्रबल होती है।**

संलग्नक- 8 पुनर्वास कार्य योजना

भारतीय MSME में शमन और अनुकूलन परियोजनाओं (FMAP) का वित्तपोषण

परिचय

FMAP कार्यक्रम का उद्देश्य MSMEs में प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए वित्तीय और बाजार संसाधनों के साथ पहचाने गए क्षेत्रों में उनका समर्थन करके कम उत्सर्जन, ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निवेश के अवसरों का लाभ उठाना और जलवायु लचीला प्रौद्योगिकियों को अपनाने, निर्माण और सेवा करने के लिए है। इसे प्रभावित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित की जा रही गतिविधियों का कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव नहीं है, एक मजबूत ईएसएमएस नीति विकसित की गई है जिसका उद्देश्य उप-परियोजना स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की स्क्रीनिंग और आकलन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। यद्यपि, प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए सम्यक तत्परता के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे, पुनर्वास कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है

(क). उपपरियोजना स् तर पर उन जोखिमों की पहचान करना जिनके कारण अनिवार्य भूमि अधिग्रहण, अनैच्छिक पुनर्वास हो सकता है जिससे लोगों का वास् तविक और/या आर्थिक विस् थापन प्रभावित हो सकता है (संरचनाओं, आजीविका और साझा संसाधनों तक पहुंच का नुकसान)

ख. अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्स्थापन से जुड़े पहचाने गए जोखिमों को कम करना और न्यूनीकरण उपायों की पर्याप्तता और कार्यान्वयन की जांच करना

ग. न्यूनीकरण उपायों की पर्याप्तता और कार्यान्वयन की जांच के लिए एक निगरानी ढांचा विकसित करना।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन से संबंधित विधान

- भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (RFCT LARR अधिनियम 2013)
- विभिन्न राज्य सरकारों (केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, गोवा, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश) द्वारा सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश/नीतियां/नियम/कानून
- विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि राजस्व कोड।
- भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम, 2013, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्व-सरकार और ग्राम सभाओं के परामर्श से, औद्योगिकीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और शहरीकरण का विकास करता है और प्रभावित

परिवारों को उचित और उचित मुआवजा प्रदान करता है (ग) ऐसी भूमि जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है अथवा अधिगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित है अथवा ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य अर्जन का संचयी परिणाम यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बनें जिससे उनकी अर्जन के पश्चात सामाजिक और आथक स्थिति में सुधार हो सके और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध किया जाए।

अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्स्थापन के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए संस्थागत ढांचा

सिडबी की पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीति (ईएसएमपी) के अनुसार, **जीसीएफ वित्तपोषित गतिविधियों के लिए सिडबी द्वारा समर्थित सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों (जीसीएफ**, **एएफडी**, **केएफडब्ल्यू**, **एडीबी**, **विश्व बैंक आदि) से ऋण श्रृंखला के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जाएगी**, **जिन्हें आम तौर पर** 8 **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन मानकों (पीएस) की सुरक्षा के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया जाएगा**, **जो पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं। वित्त निगम (आईएफसी)**, **अनुकूलन निधि**, **हरित जलवायु निधि (जीसीएफ)**, **विश्व बैंक आदि के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है। इनमें से एक पीएस (**i.e. PS 5) **भूमि** अधिग्रहण**,** भूमि उपयोग पर प्रतिबंध और अनैच्छिक पुनर्वास है**।**

पीएस 5 के अनुसार, **"**सिडबी या इसके वित्तीय मध्यस्थ किसी भी एमएसएमई संचालन का समर्थन नहीं करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और लोगों के भौतिक और / या आर्थिक विस्थापन (संरचनाओं, आजीविका और सामान्य संसाधनों तक पहुंच का नुकसान) होगा। यह प्रदर्शन मानक (पीएस 5)/जीसीएफ ईएसएस 5 आमतौर पर लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि इस मानदंड की प्रारंभिक स्तर पर बहिष्करण सूची (अनुबंध 2) और ईएसडीडी (अनुबंध 4) के माध्यम से जांच की जाती है।

ग्रीन फील्ड परियोजना के मामले में, पीएस 5 को ट्रिगर किया जा सकता है, एई यह सुनिश्चित करेगा कि इस पुनर्वास कार्य योजना में उल्लिखित उचित परिश्रम ऐसी सभी उप-परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है जिसमें अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और लोगों का भौतिक और/या आर्थिक विस्थापन (संरचनाओं की हानि, आजीविका और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य संसाधनों तक पहुंच) शामिल है।

इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं/उप परियोजनाओं के प्रकार

प्रस्तावित कार्यक्रम एमएसएमई में 13 क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु परिवर्तन शमन परियोजनाओं **पर ध्यान केंद्रित करेगा** जैसे कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य रूप से सौर रूफटॉप परियोजनाएं, नई और अभिनव प्रौद्योगिकियां। मांग पक्ष में निवेश ध्वनि आर्थिक समझ में आएगा क्योंकि ऊर्जा

दक्षता परियोजनाओं को आमतौर पर आपूर्ति-पक्ष विद्युत शक्ति क्षमता वृद्धि की तुलना में कम पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन परियोजनाओं **के तहत लक्षित प्रौद्योगिकियां** मौसम पूर्वानुमान और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात/सुनामी/बाढ़ के साथ-साथ भूकंप/चरम मौसम की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली होंगी। जलवायु स्मार्ट परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली और जल कुशल और रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं जैसे शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी), बहिस्त्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी), रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र, आदि।

इस कार्यक्रम के लिए, सिडबी "कार्यकारी इकाई" और "मान्यता प्राप्त इकाई" की दोहरी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के अन्य प्रमुख हितधारकों में उद्योग संघ (व्यवसाय प्रबंधन संगठन), एमएसएमई इकाइयां, प्रौद्योगिकी प्रदाता, मूल उपकरण निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ / सलाहकार, पीएफआई आदि शामिल होंगे।

उप-परियोजनाओं का आकलन

- **पर्यावरण और सामाजिक सम्यक परिश्रम -** स्वीकृति से पूर्व अर्थात सम्यक तत्परता चरण में, सिडबी की पर्यावरण और सामाजिक सम्यक परिश्रम चेकलिस्ट (ईएसडीडी चेकलिस्ट) अनिवार्य भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास पर संभावित प्रभाव का आकलन एक **स्व-प्रमाणित प्रश्न** के रूप में करती है अर्थात "क्या परियोजना के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है जिससे लोगों का विस्थापन/अनैच्छिक पुनर्वास **हो"।**
- **शिकायत निवारण तंत्र**- सिडबी के पास एक व्यापक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) है। इसने शिकायतों/शिकायतों के लिए एक वेब-सक्षम पंजीकरण फॉर्म रखा है, जिसके द्वारा परियोजना प्रभावित हितधारक अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। सिडबी यह भी अधिदेश देता है कि कार्यान्वयन एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों के पास भी प्रभावी जीआरएम होगा जो सिडबी द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं से प्रभावित स्टेकहोल्डरों के लिए प्रावधान करता है
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण और परामर्श-** सिडबी का आदेश है कि भाग लेने वाले वित्तीय संस्थान किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाने में जल्द से जल्द हितधारकों की पहचान करें। प्रारंभिक पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिंग के परिणाम, और पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन का मसौदा, सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधानों से उप-परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिससे भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य भूमि अधिग्रहण तथा अनैच्छिक पुनर्स्थापन हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, अनिवार्य भूमि अधिग्रहण को प्रभावित करने वाली ग्रीन फील्ड परियोजनाओं (यदि ग्रीनफील्ड उप-परियोजना परिव्यय 6 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है) के लिए अभिज्ञात जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से एक पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) सुनिश्चित की जाएगी जहां प्रभावों की पहचान की जाती है, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, नकारात्मक हों या सकारात्मक।

एलएआरपी में भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्वासन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ग्रीनफील्ड उप-परियोजना परिव्यय के लिए निम्नलिखित तत्वों की जांच की जाएगी:-

अ) क्या परियोजना में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है जिसके कारण लोगों का विस्थापन/अनैच्छिक पुनर्वास होता है?

आ) क्या इकाई/परियोजना महत्वपूर्ण निपटान के क्षेत्रों और/या आदिवासी लोगों/स्वदेशी लोगों के सामूहिक लगाव के क्षेत्रों में स्थित है?

तथापि, भूमि अधिग्रहण पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम, 2013) में उपयुक्त प्रावधानों और सुरक्षोपायों के साथ-साथ औद्योगिकीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण, आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और शहरीकरण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का ध्यान रखा गया है जिसमें भूमि के स्वामियों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम बाधा पहुंचाई जाए और उन प्रभावित परिवारों को न्यायोचित और उचित मुआवजा प्रदान किया गया है जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है या अधिगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित है या जो इस प्रकार का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए।